भारतीय पुनर्वास परिषद्

सत्यमेव जयते

THE UNIVERSITY OF MELBOURNE

समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) में प्रमाण-पत्र

अनुदेशक की मार्गदर्शिका चरण एक

संस्करण – 1.1

भारतीय पुनर्वास परिषद्
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
भारत सरकार

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

सर्वाधिकार सुरक्षित

यह दस्तावेज़ भारतीय पुनर्वास परिषद् की पूर्णतः संपत्ति है। इस प्रकाशन का कोई भी हिस्सा आरसीआई की पूर्व अनुमति के बिना रिट्रीवल प्रणाली में पुनःप्रकाशित, संग्रहीत या किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्यथा प्रेषित नहीं किया जा सकता है।

इस दस्तावेज़ में व्यक्त विचार लेखक के हैं न कि आरसीआई के।

आरसीआई के बारे में अधिक जानकारी वेबसाइट ***www.rehabcouncil.nic.in*** पर देखी जा सकती है

मार्च, 2021 फाल्गुन 1942 (शक)

सत्यमेव जयते

समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी) में प्रमाण–पत्र

अनुदेशक की मार्गदर्शिका
चरण एक

संस्करण 1.1

भारतीय पुनर्वास परिषद्

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

भारत सरकार

संचालन समिति :

श्रीमती शकुन्तला डौले गामलिन, भा.प्र.से.
सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार और अध्यक्षा, भारतीय पुर्नवास परिषद्

श्रीमती तारिका रॉय,
संयुक्त सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

डॉ. सुबोध कुमार,
सदस्य सचिव, भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली

विकास समिति :

पाठ्यक्रम अनुदेशक :

डॉ. नाथन ग्रिल्स,
एसोसिएट प्रोफेसर, नोसल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हैल्थ (एनआईजीएच),
मेलबोर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया

प्रो. लिंडसे गेल,
एसोसिएट प्रोफेसर, नोसल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हैल्थ (एनआईजीएच),
मेलबोर्न विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया

मॉड्यूल I : समावेशी सामुदायिक विकास (आईसीडी)

श्री कार्मो नोरोन्हा,
कार्यकारी निदेशक, बेथानी सोसायटी, शिलांग

श्री पंकज मारू,
संस्थापक अध्यक्ष, स्नेह, नागदा, मध्य प्रदेश

मॉड्यूल II : आकलन और हस्तक्षेप (ए एण्ड आई)

डॉ. भूषण पुनानी,
कार्यकारी सचिव, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद

सुश्री जुबिन वर्गीज,
ईएचए अस्पताल, देहरादून

मॉड्यूल III : व्यावसायिक व्यवहार और चिंतनशील अभ्यास (पीबीआरपी)

श्रीमती सारा वर्गीज,
कंट्री डायरेक्टर, क्रिस्टोफेल ब्लाइंडन मिशन (सीबीएम) भारत, बैंगलोर

सुश्री जेचिन वेलेवन,
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर

भारतीय पुनर्वास परिषद्

सामग्री डेवलपर और संपादक :

प्रो. सुजाता भान,
विभाग प्रमुख, विशेष शिक्षा, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई

डॉ. वर्षा गट्टू,
विभाग प्रमुख, विशेष शिक्षा, एवाईजेएनआईएसएचडी (दिव्यांगजन), मुंबई

यूनिट लेखक :

श्री अखिल पॉल,
निदेशक, सेंस इंटरनेशनल इंडिया, अहमदाबाद

सुश्री नंदिनी रावल,
कार्यकारी निदेशक, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद

सुश्री विमल थवानी,
परियोजना निदेशक, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद

सुश्री किन्नरी देसाई,
परामर्शी प्रबंधक, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद

सुश्री एडलिन सिथर,
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर

श्री विशाल गुप्ता,
कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएचएआई), हैदराबाद

श्री उमेश,
क्रिस्टोफ़ेल ब्लाइंडन मिशन (सीबीएम) भारत, दिल्ली

सुश्री लीला एग्नेस,
होली क्रॉस सोसाइटी, बैंगलोर

सुश्री फेयरलेन सोजी,
क्रिस्टोफ़ेल ब्लाइंडन मिशन (सीबीएम) भारत, बैंगलोर

श्री शिशिर कुमार,
नमन जबलपुर, मध्य प्रदेश

सुश्री मेघना कश्यप,
मनोवैज्ञानिक, बैंगलोर

श्री भरत जोशी,
प्रबंधक, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद

श्री जगन्नाथ मल्लिक,
ऑर्थो– प्रोस्थेटिक इंजीनियर, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद

कार्यक्रम समन्वयक :

श्री संदीप ठाकुर, एसीई, आरसीआई

विषय–सूची

प्रस्तावना 1

सीबीआईडी सक्षमताएँ 2

प्रगामी सक्षमता की परिकल्पना 3

पाठ्यक्रम पूरा होने के साथ–साथ प्रगामी क्षमतावर्धन 3

चरण एक पूरा करने के लिए आवश्यकताएं 5

उपस्थिति 5

मूल्यांकन प्रक्रिया 5

चरण एक की व्याख्यात्मक टिप्पणियों की सूची 8

चरण एक के असाईनमेंट/नियत कार्यों की सूची 10

प्रेक्षण मूलक आकलन 12

निर्देश एवं समंकन निर्देशिका 19

चरण एक की समय–सारणी 23

चरण एक की सत्र–योजना 25

पहला सप्ताह 25

दूसरा सप्ताह 38

तीसरा सप्ताह 49

चौथा सप्ताह 68

चरण एक परिशिष्ट 83

परिशिष्ट 1 : स्वयं का झलक 83

परिशिष्ट 2 : दिव्यांगजनों का साक्षात्कार 84

परिशिष्ट 3 : आईसीएफ चित्र 85

परिशिष्ट 4 : स्थानीय समुदाय के अवरोध 86

परिशिष्ट 5 : ज्ञानार्जन जर्नल : अभ्यास 1 87

परिशिष्ट 6 : ज्ञानार्जन जर्नल : अभ्यास 2 क 88

परिशिष्ट 7 : ज्ञानार्जन जर्नल : अभ्यास 3 89

परिशिष्ट 8 : ज्ञानार्जन जर्नल : अभ्यास 4 90

परिशिष्ट 9 : ज्ञानार्जन जर्नल : अभ्यास 2 ख 91

परिशिष्ट 10 : दिव्यांगजनों को प्राप्य सरकारी हक और योजनाओं के बारे में प्रायिक प्रश्न 92

परिशिष्ट 11 : सरकारी हक और योजनाओं के लाभ प्राप्त करने की कार्यविधियों के बारे में प्रायिक प्रश्न .. 93

परिशिष्ट 12 : ज्ञानार्जन जर्नल : अभ्यास 5 94

परिशिष्ट 13 : दिव्यांगता जाँच साधन 95

परिशिष्ट 13 जारी: विश्व स्वास्थ्य संगठन दिव्यांगता मूल्यांकन अनुसूची 2.0 96

परिशिष्ट 14 : ज्ञानार्जन जर्नल : अभ्यास 6 97

परिशिष्ट 15 : आईसीडी में सहयोगी दिव्यांगता कानून और योजनाओं की तालिका बनाना 98

परिशिष्ट 16 : दिव्यांगता प्रमाणन और आवेदन पत्र की कार्यविधियों की तालिका बनाना 99

परिशिष्ट 17 : जोखिम से सुरक्षा का मूल्यांकन 100

परिशिष्ट 18 : सीबीआईडी कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श आचरण संहिता 101

परिशिष्ट 19 : सीबीआईडी प्रतिवेदन प्रारूप 104

परिशिष्ट 20 : संबंधों को सशक्त बनाने वाले पाँच नैतिक तत्व (ट्रोन्टो, 1994) 105

परिशिष्ट 21 : रोल मॉडल बन चुके दिव्यांगजनों की प्रेरक कहानियाँ को सविस्तार जानने हेतु प्रश्न 106

परिशिष्ट 22 : ज्ञानार्जन जर्नल : अभ्यास 7 107

परिशिष्ट 23 : सीबीआर मैट्रिक्स के क्षेत्रों की सेवाएँ और हितधारक 108

प्रस्तावना

समुदाय आधारित समावेशी विकास प्रमाणपत्र (सीबीआईडी) 6 माह का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है। यह क्षमता–आधारित व्यावसायिक शिक्षण कार्यक्रम है।

पाठ्यक्रम की अवधि 24 सप्ताह है। हर सप्ताह में 30 घंटे (प्रतिदिन 6 घंटे) शामिल है।[1] सक्षमता–आधारित पाठ्यक्रमों की आवश्यकता के अनुरूप इस पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण का अनुपात 60:40 है।

पाठ्यक्रम में तीन मुख्य निष्पादन क्षेत्र (के पी ए) शामिल हैं –

1. **समावेशी सामुदायिक विकास (आईसीडी)** – 40 प्रतिशत आवंटन
2. **आकलन और हस्तक्षेप (ए एंड आई)** – 40 प्रतिशत आवंटन
3. **व्यावसायिक व्यवहार एवं चिंतनशील अभ्यास** – 20 प्रतिशत आवंटन

[1]A notional session length of 90 mins is suggested, which will provide 4 sessions/day (20 sessions/week = 480 sessions). Sessions can be shortened or lengthened as needed, provided the weekly allocation is maintained.

सीबीआईडी सक्षमताएँ

तीन मुख्य निष्पादन क्षेत्रों के अंतर्गत 11 सक्षमता–परीक्षण इकाईयाँ हैं –

समावेशी सामुदायिक विकास	मूल्यांकन और हस्तक्षेप	व्यावसायिक व्यवहार और चिंतनशील अभ्यास
1. समुदाय आधारित समावेशी विकास और इसके आधार के व्यावहारिक ज्ञान का प्रदर्शन	1. अनुभवजन्य दिव्यांगता, कानून और समकालीन समझ के व्यावहारिक ज्ञान का प्रदर्शन	1. भूमिका से जुड़ी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति
2. समुदाय को संबद्ध कर विवरण तैयार करना	2. मूल्यांकन और नियोजन का उत्तरदायित्व	2. कार्यों और उत्तरदायित्वों की सुव्यवस्था और प्रबंध
3. सरकारी संरचना के साथ मिल–जुलकर कार्य	3. ज्ञान, संयोजन और रेफरल्स में सहयोग	3. स्वयं के कुशलक्षेम और निरंतर शिक्षा का ध्यान
4. सामुदायिक नेतृत्व और कार्य में सहयोग	4. बहुपक्षीय मध्यस्थता करना और मध्यस्थता में सहयोग देना	

इन सक्षमता–परीक्षण इकाईयों में मोटे तौर पर ज्ञान, कौशल, अभिवृद्धि और मूल्यों का मेल है। भारत के सीबीआईडी विशेषज्ञ मानते हैं कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले फील्डवर्कर में यह होना ही चाहिए। तभी वे समुदाय आधारित समावेशी विकास का कार्य उत्तम एवं सुरक्षित रूप से कर सकते हैं।

प्रगामी सक्षमता की परिकल्पना

पाठ्यक्रम पूरा होने के साथ–साथ प्रगामी क्षमतावर्धन –

पाठ्यक्रम तीन चरणों में आयोजित किया जाता है। अपेक्षा की जाती है कि हर चरण में सक्षमता बढ़नी चाहिए। पाठ्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाए और शिक्षण तथा ज्ञानार्जन किस प्रकार हो, यह भी निर्धारित किया गया है। पहला चरण–इसमें चार सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस समय प्रशिक्षणार्थियों को अनुभवहीन और प्रथम स्तर पर कार्य करने वाले माना जाता है। सैद्धांतिक प्रशिक्षण का 40 प्रतिशत भाग इसी चरण में पूरा किया जाता है। आमने–सामने प्रशिक्षण की व्यवस्था होने पर प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण दिया जा सकता है अन्यथा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

पहला चरण पूरा होने पर निम्नलिखित स्तर तक पहुँचना चाहिए –

मुख्य निष्पादन क्षेत्र (के पी ए)	अनुभवहीन स्तर
समावेशी सामुदायिक विकास	इस स्तर पर प्रशिक्षणार्थियों को यह समझ आ जाना चाहिए कि समावेशी विकास से संबंधित सिद्धान्त और प्रथाएँ क्या हैं। वे स्पष्ट कर सकें कि सामाजिक बाधाओं का विकलांगता पर क्या प्रभाव होता है। किसी मामले को आधार बनाकर वे शोध कर बताएँ कि उससे संबंधित कानून क्या हैं, जिनमें समावेशी विकास के बारे में निदेश दिए गए हों और जिनसे दिव्यांगजनों के अधिकार सुनिश्चित होते हों। वे समुदाय के विकास में सहायक कार्यनीतियाँ (स्ट्रेटेजी) बता सकते हैं, जिनसे सशक्तिकरण हो और आत्मनिर्णय की क्षमता बढ़े। समुदाय के दिव्यांगजनों को संबल प्रदान करने की योजनाएँ बनाएँ। उनकी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं का पता लगाएँ और उनके बारे में दूसरों को बताएँ। परिवार के लोगों और साथ रहने वालों को प्रोत्साहित करें कि वे दिव्यांगजनों से संबंध प्रगाढ़ बनाएँ, उनसे बातचीत करते रहें और उन्हें सहयोग देते रहें। प्रशिक्षणार्थी सहायता समूह/डीपीओ बैठकों में भाग लें और वहाँ दिव्यांगजनों के पक्ष में बात करें। दिव्यांगजनों पर केंद्रित समावेशी विकास की योजना बनाने और कार्यान्वित करने के बारे में चर्चा करें। पीआरए और समुदाय की मैपिंग तथा विवरण तैयार करने की प्रक्रिया बताएँ एवं मैपिंग में गाँव के मुख्य हितधारकों को शामिल करें।

मुख्य निष्पादन क्षेत्र (के पी ए)	अनुभवहीन स्तर
मूल्यांकन और हस्तक्षेप	इस स्तर पर प्रशिक्षणार्थी दिव्यांगता के प्रति शक्ति आधारित समझ प्रदर्शित करते हैं और दिव्यांगता के कारणों का स्पष्टीकरण देते हैं ताकि अंधविश्वास भरी बातें समाप्त हों। वे संबंधित कानूनों, योजनाओं और प्रावधानों का अध्ययन करते हैं। अनुकृत परिवेश (सिम्युलेटेड सेटिंग) निर्मित कर दिव्यांगों के हक और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों की सही–सही जानकारी और सलाह देते हैं। प्रशिक्षणार्थी शीघ्र चयन और मूलभूत मूल्यांकन पर ध्यान देते हैं और परिणामों को लेखबद्ध करते हैं। इसके लिए निर्धारित फार्मेट का उपयोग करते हैं, जिनमें दिव्यांगता प्रमाणपत्र/यूडीडी के फार्मेट शामिल हैं। वे कम जोखिम वाली जानकारी और मूल्यांकन के परिणामों को पूरी शुद्धता और आदर के साथ संप्रेषित करते हैं। सरल, प्रमाण आधारित, बहु क्षेत्रीय मध्यस्थता के बारे में बताते हैं और प्राप्त करने में सहायता करते हैं। अनुकृत परिवेश (सिम्युलेटेड सेटिंग) निर्मित कर इन तकनीकों के बारे में परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण देने का अभ्यास करते हैं और बताते हैं कि परिणामों में सुधार के लिए परिवार के मौजूदा संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। भावनात्मक कुशलक्षेम बढ़ाने के लिए वे शोध करते हैं और विभिन्न उपायों की जानकारी देते हैं।
व्यावसायिक व्यवहार एवं चिंतनशील अभ्यास	इस स्तर पर प्रशिक्षणार्थी कार्य–अनुसूची हेतु योजना बनाने के विभिन्न तरीकों के बारे में अपनी समझ का प्रदर्शन करते हैं। वे निर्धारित फार्मेटों में कार्य–योजनाएँ तैयार करते हैं। वे निर्धारित कार्य दिए हुए समय में पूरा करते हैं। समूह–कार्य में लग जाते हैं और टीम में उपलब्ध विभिन्न कौशलों का अनुभव करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। वे भूमिकाओं से संबंधित आचरण संहिताओं, कानूनों, नैतिक आवश्यकताओं और मानक संचालन प्रक्रियाओं के बारे में अनुसंधान और वर्णन करते हैं। वे दिव्यांगता के बारे में अपने निजी विचार बताते हैं और अपने रुख, मूल्यों तथा पृष्ठभूमि से उत्पन्न संभावित भावात्मक प्रभाव और चुनौतियों की पहचान करते हैं। अपने ज्ञान और कौशल की कमी ढूंढते हैं और इस बारे में प्राप्त सूचना को खुले मन से स्वीकार करते हैं तथा ज्ञान प्राप्त करने की राह खोजते हैं।

चरण एक पूरा करने के लिए आवश्यकताएं

उपस्थिति

सैद्धांतिक सत्रों में कम से कम 80 और व्यावहारिक सत्र में 90 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

मूल्यांकन प्रक्रिया

प्रथम चरण में मूल्यांकन (रचनात्मक मूल्यांकन)

क्षमता–आधारित पाठ्यक्रम होने से मूल्यांकन योग्य कार्यों को क्षमता–वर्धन की दृष्टि से डिज़ाइन किया गया है। वे वास्तविक कार्य स्थितियों पर आधारित हैं या उनमें ही पूरे किए जाते हैं। वे 'करो और सीखो' जैसे हैं तथा अभ्यास की मांग करते हैं। रचनात्मक मूल्यांक चार प्रकार के हैं। चौथा प्रकार असाइनमेन्ट है, जो दूसरे चरण में शुरू होता है। पहले चरण में उत्तीर्ण होने के लिए चारों प्रकार के मूल्यांकन में उत्तीर्ण होना जरूरी है।

न्यूनतम निष्पादन (हर्डल टास्क)

उपस्थिति और सहभागिता से न्यूनतम निष्पादन पूरा हो जाता है। पाठ्यक्रम की सभी गतिविधियों को न्यूनतम निष्पादन की श्रेणी में रखा जा सकता है किंतु उनमें से कुछ को सीबीआईडी फील्डवर्क के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि कार्यों के रूप में रखा गया है। **प्रशिक्षकों को मार्किंग गाईड बनाकर न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी होने की पुष्टि करना चाहिए।**

जर्नल टास्क

ज्ञानार्जन के बारे में संक्षिप्त औपचारिक नोट प्रस्तुत करना और सीबीआईडी के महत्वपूर्ण कार्यों तथा उत्तरदायित्वों के निष्पादन के बारे में बताना जर्नल टास्क का अंग होगा। **प्रशिक्षणगण और नियोजन पर्यवेक्षकगण देखे कि प्रशिक्षणार्थियों ने क्या लिखा है और उन्होंने कोई समस्या बताई हो या चिंता जाहिर की हो तो उस पर उनके साथ बैठकर चर्चा करें।**

पोर्टफोलियो परियोजना

पोर्टफोलियो परियोजना के अंतर्गत पूरे पाठ्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थी को सरकारी प्रलेख तैयार करने होंगे, उन पर टिप्पणियाँ लिखनी होंगी, कार्य से संबंधित मसविदे तैयार करने होंगे तथा मुद्दों से संबंधित संसाधनों और उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी, जिनसे सीबीआईडी फील्डवर्क में सहायता मिले। प्रशिक्षणार्थियों से ये प्रलेख प्रति सप्ताह लिए जाएंगे, उनकी जाँच की जाएगी और उनका एक सब–सेट पोर्टफोलियो परियोजना के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। कुल मिलाकर एक ही प्रलेख (डिजिटल या हार्ड कॉपी में) प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें चार गतिविधियों की जानकारी रहेगी –

1. *संसाधन फोलियो,* जिसमें दिव्यांगता से संबंधित कानून, नीतियाँ, हक और उन्हें प्राप्त करने की विधि की जानकारी होगी। **प्रशिक्षकगण मार्किंग गाइड तैयार कर पुष्टि करें कि ये संसाधन एकत्रित और भलीभाँति फाइल किए गए हैं।**

2. प्रशिक्षणार्थी के स्थानीय समुदाय के बारे में निर्दिष्ट रिपोर्टिंग और उन तक पहुँचने के तरीके, में उल्लिखित नीतिओं और कार्यविधियों के संबंध में। ***प्रशिक्षकगण मार्किंग गाईड तैयार कर पुष्टि करें कि ये संसाधन एकत्रित और भलीभाँति फाईल किए गए हैं।***

3. **संसाधन एवं उपकरण** – सीबीआईडी फील्डवर्क नियोजन (प्लेसमेंट) में आई नौ (9) समस्याओं को चुनें – तीन (3) समावेशी सामुदायिक विकास और समूहों तथा सामुदायों के साथ कार्य, तीन (3) व्यक्तियों और परिवारों के साथ कार्य, उनका मूल्यांकन और पुनर्वास, तथा तीन (3) व्यावसायिक व्यवहार और चिंतनशील अभ्यास।

   क) दो या तीन विभिन्न संसाधनों और उपकरणों की टिप्पणी युक्त सूची तैयार करें (कुल 18–27)

   – समावेशी सामुदायिक विकास के लिए छः (6)

   – मूल्यांकन और मध्यस्थता के लिए छः (6)

   – प्रोफेशनल व्यवहार एवं वैचारिक अभ्यास के लिए छः (6)

   संसाधन और उपकरण के कुछ उदाहरण हैं –जानकारी पत्रक, प्रश्नावलियाँ, गतिविधियाँ, फ्लैश कार्ड, वेबसाइट, पुस्तकें, मीडिया आदि

   उनका प्रयोग निश्चित संदर्भ के अनुसार अलग समुदाय, आयु समूह या दिव्यांगता दशा के अनुसार हो सकता है; (अस्पष्टता के कारण वाक्य का शेष भाग अपूर्ण है)

   ख) कृपया बताएँ कि इनमें से प्रत्येक संसाधन का आप अपनी भूमिका में कैसे/कब/क्यों उपयोग करेंगे। उत्तर देते समय अग्रसक्रिय (प्रोएक्टिव) और प्रतिक्रियात्मक (रिएक्टिव) दोनों प्रकार के प्रयोगों पर विचार करें।

प्रशिक्षक और नियोजन पर्यवेक्षक प्रशिक्षणार्थियों द्वारा एकत्रित इन संसाधनों को पूरा पढ़कर जाँच करें कि वे प्रयोजन पूरा करते हैं और आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त हैं।

4. **संक्षिप्त लिखित उत्तर** –व्याख्यात्मक टिप्पणी मैनुअल से लिए गए हैं। (**कृपया ध्यान दें** – इस पाठ्यक्रम की क्षमता–आधारित ज्ञानार्जन की प्रकृति यथावत् रखने के लिए स्व ज्ञानार्जन सामग्री (सेल्फ लर्निंग मटेरियल या एस एल एम) प्रशिक्षणार्थियों को न देकर प्रशिक्षकों/नियोजन पर्यवेक्षकों को व्याख्यात्मक टिप्पणी (एक्स्प्लेनेटरी नोट या ईएन) के रूप में दी जाती है ताकि वे संक्षिप्त उत्तर तैयार कर सकें और जाँच सकें। पोर्टफोलियो परियोजना का लिखित उत्तर खंड –भाग घ है)। ***प्रशिक्षकगण अपने के पी ए के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी मैनुअल देखें और अभ्यास से संबंधित प्रश्नावली तैयार करें, जिसमें सभी विषयों का समावेश हो। सुझाव है कि प्रति सप्ताह प्रति विषय पर 1–2 प्रश्न हों।*** उदाहरण के लिए एक प्रश्न आईसीडी 1.1.1.2–समुदाय में विविधता (डाईवर्सिटी) को लेकर यह है –

> *''समुदाय के सभी व्यक्ति एक ही सांस्कृतिक या भाषायी पृष्ठभूमि के नहीं होते। उनकी 'कठिनाइयाँ' और 'हल के तरीके' अलग–अलग हो सकते हैं। क) ऐसी दो कठिनाइयों का पता लगाएँ जो आपके समुदाय के दिव्यांगजन के सामने संस्कृति, जातीय या भाषा भेद के कारण उपस्थित हो सकती हैं, ख) हर कठिनाई के हल का कोई अलग तरीका बताएँ, ग) आपके समुदाय के दिव्यांगजनों और परिवार की निश्चित प्रकार की सांस्कृतिक आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए आपको जिन उपायों की आवश्यकता हो सकती है, उनमें से किन्हीं दो का वर्णन एक या दो पैरा में कीजिए।*

पहले चरण की समाप्ति पर मूल्यांकन (योगात्मक मूल्यांकन)

पहले चरण की समाप्ति पर पूरे चरण में प्रशिक्षणार्थी के निष्पादन का योगात्मक (सब जोड़कर) मूल्यांकन किया जाता है। इससे पता चलता है कि इस चरण में आवश्यक स्तर किस सीमा तक प्राप्त हुआ है, जिससे प्रशिक्षक निर्णय कर सकता है कि प्रशिक्षणार्थी अगले चरण में जाने के लिए तैयार है या वर्तमान चरण के कौशल को सुदृढ़ करने के लिए और प्रयत्नों की जरूरत है।

यह बहुविकल्पी **प्रेक्षणात्मक मूल्यांकन** होता है जो प्रशिक्षक अपने पर्यवेक्षण और नियोजन के दौरान प्रशिक्षणार्थी के ज्ञान के आधार पर तय करते हैं। इस मूल्यांकन में प्राप्त अंकों से प्रशिक्षणार्थी पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित स्तरों – अनुभवहीन, उन्नत प्रारंभकर्ता, सक्षम या मानक से उच्च – में से कोई स्थान प्राप्त करता है।

पहले चरण के स्तर पर प्रशिक्षणार्थियों की आवश्यकताओं के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें पाठ्यक्रम की शुरुआत में ही पूरा किया जाना चाहिए। बाद में भी लगातार इनका ध्यान रखना चाहिए।

प्रत्येक चरण के पूरा होने पर निर्धारित स्तर तक पहुँचने को अगले चरण में प्रवेश की योग्यता माना जाना चाहिए।

चरण एक की व्याख्यात्मक टिप्पणियों की सूची

आकलन और हस्तक्षेप

प्रकरण 1 : दिव्यांगता को समझना

प्रकरण 2 : दिव्यांगता के कारण आने वाली बाधाएं

प्रकरण 3 : दिव्यांगता और कामकाज पर उसका प्रभाव

प्रकरण 6 : अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर

प्रकरण 9 : परिवार की संरचना

प्रकरण 10 : परिवार के पास जाते और बातचीत करते समय ध्यान रखने योग्य बातें

प्रकरण 11 : जाँच का महत्व

प्रकरण 12 : जाँच सूचियों का चयन, प्रबंधन और संदर्भीकरण

प्रकरण 13 : परिणामों का निर्वचन (इंटरप्रिटेशन)

प्रकरण 19 : संप्रेषण

प्रकरण 20 : प्रमाणपत्र और उन्हें प्राप्त करने का तरीका

प्रकरण 23 : सीबीआईडी मैट्रिक्स

प्रकरण 26 : बच्चे का विकास

प्रकरण 27 : बहुविषयी टीम की भूमिका

प्रकरण 29 : एडीआईपी स्कीम

व्यावसायिक व्यवहार और चिंतनशील अभ्यास

प्रकरण 1 : सीबीआईडी कार्यकर्ताओं की भूमिका और उत्तरदायित्व

प्रकरण 2 : सीबीआईडी कार्यकर्ता की भूमिका की सीमाएँ

प्रकरण 3 : व्यक्तिगत संरचना (फ्रेमवर्क) का भूमिका पर प्रभाव

प्रकरण 4 : कार्यस्थल के कानून और नीतियाँ

प्रकरण 5 : आचार संहिता, सहमति और गोपनीयता

प्रकरण 6 : रिपोर्टिंग के फार्मेट

प्रकरण 7 : कामकाज के लक्ष्य

प्रकरण 8 : सीबीआईडी टीम

प्रकरण 9 : कार्यस्थल पर सुरक्षा

प्रकरण 10 : महिलाओं की सुरक्षा और कुशलक्षेम

प्रकरण 20 : मामला अध्ययन (केस स्टडी) तैयार करना

समावेशी सामुदायिक विकास

प्रकरण 1 : सीबीआईडी अवधारणा और निहितार्थ

प्रकरण 2 : दिव्यांगता के प्रतिदर्श (मॉडल)

प्रकरण 3 : समावेशी सामुदायिक विकास को संबल देने वाले सरकारी कार्यक्रम

प्रकरण 4 : समुदाय को जोड़ने के लिए सहभागिता और आस्ति आधारित दृष्टिकोण

प्रकरण 5 : पीआरए/पीएलए

प्रकरण 6 : सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करना

चरण एक के असाईनमेंट / नियत कार्यों की सूची

समावेशी सामुदायिक विकास

1. पहला सप्ताह – 1.1.1.3. जर्नल कार्य – आपके स्थानीय संदर्भ में विविधता (डाइवर्सिटी) का खाका तैयार करें।
2. पहला सप्ताह – 1.1.2.3. जर्नल कार्य – आपके स्थानीय संदर्भ में दिव्यांगता और अवरोधों (बैरियर्स) के प्रतिदर्शों की पहचान करें।
3. दूसरा सप्ताह – 1.2.1.2/ 1.2.2.2 पोर्टफोलियो – समावेशी सामुदायिक विकास के बारे में सरकारी नीतियों, अधिनियमों और योजनाओं की फाईल बनाना शुरू करें।
4. तीसरा सप्ताह – 2.2.1.2 जर्नल कार्य – प्रशिक्षण केंद्र के संसाधनों की सूची बनाएँ।
5. तीसरा सप्ताह – 2.2.2.2 पोर्टफोलियो (निरंतर) – एक जाँच सूची बनाना और उसका प्रयोग कर सुनिश्चित करना कि बैठक की रिपोर्टें सहभागितापूर्ण रहे।
6. चौथा सप्ताह – 2.2.3.2. पोर्टफोलियो (निरंतर) – स्थानीय संदर्भ में सीबीआईडी के सभी कार्यों में दिव्यांगजनों की सहभागिता में सहायक स्थानीय दिशानिर्देश तैयार करना
7. चौथा सप्ताह – 3.1.1.1 हर्डल – त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का वृक्ष–आरेख (ट्री डाइग्रैम) बनाइए

ए एंड आई

1. सप्ताह 1–2 – 1.2.1.1/2 जर्नल कार्य – समावेशी परिवेश के दौरे से संबंधित पत्रक की पूर्ति करें
2. पहला सप्ताह – 1.1.3.2 जर्नल कार्य – दिव्यांगता का परिवार पर प्रभाव (स्वयं के समुदाय में)
3. पहला सप्ताह – 1.2.2.1 जर्नल कार्य – स्वयं के समुदाय के परिवारों में व्याप्त विभेद (डाईवर्सिटी)

4. दूसरा सप्ताह – **1.2.2.2 पोर्टफोलियो** – दिव्यांगजनों को सरकार की ओर से प्राप्त हक तथा उनके लिए बनाई गई योजनाओं का ब्योरा

5. दूसरा सप्ताह – **2.2.1.1 पोर्टफोलियो** – दिव्यांगता स्क्रीनिंग और डब्ल्युएचओडीएएस 2.0 मूल्यांकन उपकरणों की सूची

6. दूसरा सप्ताह – **1.3.1.1** संबंधित सरकारी विभागों के दौरे से संबंधित पत्रकों की पूर्ति

7. तीसरा सप्ताह – **2.2.1.2** प्रशिक्षण केंद्र के आसपास की बस्ती में जाँचसूची का परीक्षण

8. तीसरा सप्ताह – **2.3.1.2 बाधा** – इन–क्लास जाँचसूची मूल्यांकन में अंक देना और व्याख्या करना

9. तीसरा सप्ताह – **3.2.1.1/3.2.2.1 पोर्टफोलियो** – दिव्यांगता प्रमाणन प्रलेख और आवदेन पत्र की कार्यविधि का ब्योरा फाइल करना

10. चौथा सप्ताह – **4.1.1.2 हर्डल** – अपवर्जन (एक्सक्लूज़न) को रोकने के लिए सीबीआर मैट्रिक्स का प्रयोग – ऐसे दिव्यांगजनों के प्रकरण अध्ययन (केस स्टडी) तैयार करने होंगे जो विभिन्न क्षेत्रों में जाना चाहते हैं।

11. चौथा सप्ताह – **4.2.1.1 पोर्टफोलियो** – विकासात्मक स्थितियाँ और विकास में विलंब की जाँचसूची

12. चौथा सप्ताह – **3.3.1.1 पोर्टफोलियो** – बहुविषयी टीम के विभिन्न विशेषज्ञों को प्रलेख भेजने की प्रक्रियाएँ

पी बी एंड आर पी

1. पहला सप्ताह – **1.1.2.1 जर्नल कार्य** – सीबीआईडी कार्यकर्ता की भूमिका की सीमाएँ

2. दूसरा सप्ताह – **1.1.3.1 जर्नल कार्य** – व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के साधक और बाधक पहलू

3. दूसरा सप्ताह – **1.2.1.1 जर्नल कार्य** – बाल संरक्षण कानून

4. तीसरा सप्ताह – **1.2.1.2 पोर्टफोलियो** – जोखिम मूल्यांकन का ब्योरा फाइल करना

5. तीसरा सप्ताह – **1.2.2.1 पोर्टफोलियो** – आचरण संहिता का ब्योरा फाइल करना

6. चौथा सप्ताह – **1.3.1.2 बाधा** – पुनर्वास कर्मचारियों और उनकी भूमिकाओं की जाँच सूची

प्रेक्षणमूलक आकलन (योगात्मक)

चरण 1, 2 और 3 पूरे होने पर इस टूल से प्रशिक्षणार्थी के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है।

अनुदेश – प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनें। आपके द्वारा चुना गया उत्तर या तो सीबीआईडी फील्डवर्क के निष्पादन से सबसे अधिक मिलता हुआ हो या आपके विचार में फील्डवर्कर जो कर सकता हो, उससे मिलता हुआ हो। यदि आपको लगे कि निष्पादन दो स्तरों के बीच का है तो निचले स्तर को चुनें। इससे मालूम हो जाएगा कि फील्डवर्कर उस स्तर पर तो पहुँच गया है, किंतु उससे अगले स्तर पर नहीं।

प्र1. सामुदायिक विकास और सीबीआईडी की समझ है

क. समुदाय में समावेश के सिद्धान्तों और उसमें आने वाले अवरोधों को स्पष्ट करता है

ख. दिव्यांगता के अनुभव और दिव्यांगता समावेशन पर पृष्ठभूमि से पड़ने वाले प्रभाव स्पष्ट करता है

ग. समुदाय के नकारात्मक रुख और दृष्टिकोण का सामना करने के तर्क सोचता है

घ. दिव्यांगता और समावेशन के बारे में समुदाय के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की तुलना करता है

प्र2. दिव्यांगता की दशा समझता है (परिभाषाएँ, कारण)

क. गलत और अंधविश्वास भरी बातों का खंडन कर दिव्यांगता के कारणों की व्याख्या कर सकता है

ख. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत 21 प्रकार की दिव्यांगता के मुख्य पहलू बताता है

प्र3. कानूनी प्रावधान समझता है

क. दिव्यांगता से संबंधित कानूनों, प्रावधानों और कार्यविधियों और उनसे जुड़ी बातों की व्याख्या करता है

ख. स्थिति के अनुसार सही कानून और कार्यविधि बता सकता है

ग. समुदाय की संरचना/प्रथाओं में कानून के अनुसार समायोजन/परिवर्तन को तर्कसंगत ठहराता है

प्र4. पृष्ठभूमि (सामाजिक, आर्थिक, लिंग, जाति, धर्म संबंधी) में अंतर और उसके प्रभाव को समझता है

क. बता सकता है कि समुदाय के कौन–कौन से पहलू दिव्यांगजनों के समावेशन में साधक और बाधक हैं

ख. स्थिति पर प्रभाव डालने वाले पहलुओं (सामाजिक–आर्थिक/लिंग/जाति/धर्म) के पारस्परिक प्रभाव को पहचानता है

ग. विभिन्न समूहों के अलिखित आधारभूत नियमों का उपयोग करते हुए सभी के लाभ की बात करता है

प्र5. दिव्यांगताओं के बीच अंतर करता है

क. सुस्पष्ट दिव्यांगता (जैसे दृष्टि/श्रवण/स्पष्ट शारीरिक दिव्यांगता) में भेद करता है

ख. कम स्पष्ट दिव्यांगता (जैसे वृद्धिशील दिव्यांगता, अन्य न्यूरालॉजिकल बीमारियाँ) पहचानता है

ग. मानसिक बीमारियों की संभावना को पहचान कर उनका कारण बताता है

प्र6. कार्यात्मक मूल्यांकन करता है

क. मूलभूत जाँचसूची अनुदेशों के अनुसार पूर्ण करता है

ख. उपयुक्त जाँचसूची का चयन कर उपयोग करता है

ग. मूल्यांकन की यथार्थता को प्रभावित करने वाली सभी स्थितियों पर ध्यान देता है

प्र7. मूल्यांकन से प्राप्त तथ्यों को संप्रेषित करता है

क. कम जोखिम वाली जानकारी (जिसका सकारात्मक प्रभाव होता है/कोई प्रभाव नहीं होता) बिलकुल ठीक–ठीक देता है

ख. संवेदशील जानकारी देते समय सामने वाले की भावनाओं का ध्यान रखता है

ग. विरोध कर रहे हितधारकों के साथ विश्वासोत्पादक रूप से संप्रेषण करता है

प्र8. पारिवारिक/संबंधों की संरचना और गतिशीलता का अध्ययन करता है

क. दिव्यांगजनों के परिवार तथा उनके साथ रहने वाले लोगों के साथ संबंध में अपेक्षित सामाजिक मानदंड का पालन करता है।

ख. दिव्यांगजनों के परिवार तथा उनके साथ रहने वाले लोगों के प्रति सम्मान और सहयोग प्रदर्शित करता है

ग. परिवार/रिश्तों से संबंधित महत्वपूर्ण/संवेदनशील पहलू समझता है

घ. परिवार/रिश्तों की स्थिति की आवश्यकता के अनुसार तरीके में परिवर्तन करता है (जैसे निराशाजनक लगने वाली स्थिति को बदलने के लिए शक्ति आधारित दृष्टिकोण अपनाता है)

प्र9. लक्ष्य और योजना निर्धारित करने के लिए पारिवारिक योग्यता और प्रभाविता पैदा करता है

क. दिव्यांगजनों के परिवारों और उनके साथ रहने वाले लोगों से व्यवहार करते समय निदेशात्मक और कार्य–उन्मुख रीति से कार्य करता है

ख. परिवारों/रिश्तेदारों को आपस में विचार–विमर्श को संभव बनाता है

ग. परिवार/रिश्तों में मिलजुल कर निर्णय करने को संभव बनाता है

घ. अपने व्यवहार का विश्लेषण कर अन्य व्यक्तियों और परिवारों को सशक्त बनाने के लिए अपने व्यवहार को समायोजित करता है।

प्र10. आस्तियों, क्षमताओं और सबल पक्षों की पहचान करता है

क. शक्ति आधारित दृष्टिकोण जानता है

ख. कार्यात्मक मूल्यांकन में आस्तियों और सबल पक्षों के बारे में प्रश्न शामिल करता है

ग. व्यक्ति / परिवार के सबल पक्षों के बारे निष्कर्षों की व्याख्या करता है और उन्हें अपनी योजना में शामिल करता है।

प्र11. संचलन (मूवमेंट) और शारीरिक क्षमताएँ बढ़ाता है

क. स्वास्थ्यकर्मी द्वारा निर्धारित क्रियाकलाप/व्यायाम पूरा कराता है

ख. गतिशीलता और शारीरिक क्षमता बढ़ाने में सहायक उपकरणों का सही प्रयोग सुनिश्चित करता है

ग. मकान में आने–जाने, चलने–फिरने को ज्यादा आसान बनाने के लिए मकान में सुधार का सुझाव देता है

घ. व्यक्ति की समुदाय में (और परिवहन में भी) आवाजाही बढ़ाने को आसान बनाता है

ङ. दिव्यांगों के चलने–फिरने को आसान बनाने वाली विश्व–स्वीकृत डिज़ाइन और प्रथाएँ पूरा समुदाय अपनाएँ, इस हेतु प्रयत्न करता है

प्र12. सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास तथा शीघ्र ज्ञानार्जन में वृद्धि करता है

क. समुदाय में परिवार की सहभागिता को प्रोत्साहित करता है

ख. शीघ्र सीखने के लिए उपलब्ध संसाधनों की परिवार को जानकारी देता है

ग. विकास और ज्ञानार्जन के लिए परिवार में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग आसान बनाता है

प्र13. सहायता और पुनर्वास के आधारभूत उकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण देता है

क. परिवार के सदस्यों को सरल तकनीकों (जैसे मानवीय गाइड) का प्रशिक्षण देता है

ख. सहायक प्रौद्योगिकी (जैसे चलने–फिरने के उपकरण, संप्रेषण के उपकरण) के प्रयोग का प्रशिक्षण देता है

ग. समुदाय के अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित करता है

प्र14. व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ाता है

क. रोजमर्रा के कामकाज में आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करता है

ख. रोजमर्रा के कामकाज में आत्मनिर्भरता के लिए अकेले भी कार्य करता है

ग. अधिक व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता के लिए परिवार के सदस्यों को सक्षम बनाता है

घ. व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए व्यक्ति/परिवार के प्रतिरोध को दूर कर समस्याएँ सुलझाता है

प्र15. संप्रेषण की अलग प्रकार की पद्धति द्वारा संप्रेषण

क. अलग–अलग तरह की दिव्यांगता/जरूरतों के लिए संप्रेषण के अलग–अलग रूप उदाहरण देकर समझाता है

ख. जानकारी को जरूरत के अनुसार अन्य प्रकार से (जैसे एकल शब्द, अभिवादन) संप्रेषित करता है

ग. संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों/रूपों में आधारभूत निपुणता को बढ़ाना चाहता है

प्र16. लोगों को व्यावसायिक कार्यों / सेवाओं से जोड़ता है

क. दिव्यांगता प्रमाणन / यूडीडी सुनिश्चित करता है

ख. आगे बढ़ाने के सही रास्तों की पहचान करता है और उपयुक्त होने पर संदर्भित करता है

ग. जोखिमग्रस्त और संपर्क–दुर्लभ व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें संदर्भित करता है

घ. प्रोफेशनल सेवाओं को गाँव तक लाने के लिए शिविर और अभियान में सहायता देता है

प्र17. सामाजिक एवं भावनात्मक संबल प्रदान करता है

क. भावनात्मक कुशलक्षेम बढ़ाने के विभिन्न उपायों की व्यक्तियों तथा परिवार को जानकारी देता है

ख. किसी खास जरूरत की पूर्ति के लिए भावनात्मक संबल देने वाले उपाय को लागू करता है

ग. व्यक्ति या परिवार की जरूरतों का संपूर्ण मूल्यांकन कर भावनात्मक संबल प्रदान करता है

घ. सामाजिक एवं भावनात्मक संबल प्रदान करते समय बाहरी घटकों (जैसे जाति, संस्कृति) का ध्यान रखता है।

प्र18. सही तरीके से सुनता है

क. सुनता है और उत्तर में सलाह देता है

ख. व्यक्तियों और परिवारों से बात करते समय सुनने के सीखे हुए उपायों का उपयोग करता है

ग. कही और अनकही जानकारी पर पूरा ध्यान देता है और उपयुक्त उत्तर देता है

प्र19. आवश्यक संबंध स्थापित करता है

क. गाँव के प्रमुख हितधारकों की जानकारी रखता है

ख. योजना और खाका रणनीतिक रूप से बनाता है (जैसे स्कूल को अपेक्षाकृत निम्न हितधारक मानना)

ग. समुदाय के साथ संबंध बनाने / सुदृढ़ करने के लिए हितधारकों के साथ बातचीत करता है

घ. प्राधिकारियों (जैसे तालुका) से आवश्यक दिशानिर्देश प्राप्त करता है

प्र20 दूसरों को जागरूक और प्रशिक्षित करता है

क. परिवारजनों को बताता है कि वे अपने दिव्यांग सदस्य की किस प्रकार सहायता करें

ख. समुदाय के लोगों को प्रशिक्षित करता है कि वे अपने परिचित दिव्यांगजन के साथ किस प्रकार जुड़े / बातचीत करें।

ग. गाँव के कार्याधिकारियों को बताता है कि दिव्यांगजनों की सामान्य आवश्यकताओं के प्रति उनके क्या उत्तरदायित्व हैं

घ. बाहरी सेवा प्रदाताओं को बताता है कि दिव्यांगजनों की सामान्य आवश्यकताओं के प्रति उनके क्या उत्तरदायित्व हैं

प्र21. समुदाय के संसाधनों को समझता है

क. सहभागितापूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) को स्पष्ट रूप से समझाता है

ख. पीआर में सहभागिता कर सहयोग देता है

ग. समुदाय को पीआरए (मैपिंग) के बारे में मार्गदर्शन करता है

प्र22. समुदाय के संसाधनों के उपयोग को संभव बनाता है

क. परिवारों को प्रोत्साहित करता है कि वे अपने स्वयं के मौजूदा संसाधनों का उपयोग करें

ख. व्यक्तियों और परिवारों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधन प्राप्त करने में सहायता करता है

ग. समुदाय को इस बात के लिए मनाता है कि वे अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग करें

घ. बाह्य संसाधन गाँव में लाता है

प्र23. संभावित नेतृत्वकर्ताओं की पहचान करता है

क. नेतृत्व के लक्षण वाले व्यक्तियों की पहचान (दिव्यांगजन स्वयं या परिवार अथवा समुदाय के सदस्य)

ख. संभावित नेतृत्वकर्ताओं को प्रोत्साहित कर स्पष्ट करता है कि वे अपनी क्षमता कैसे बढ़ाएँ

ग. संभावित नेतृत्वकर्ताओं के लिए नेतृत्व कौशल का उदाहरण बनता है

घ. अन्य लोगों में छिपे नेतृत्व के गुण को बाहर लाकर विकसित करता है

प्र24. समूह और डीपीओ बनाने में सहायता करता है

क. पर्यवेक्षित समूह बनाने की प्रक्रिया बताता है

ख. समूह स्थापित करने / डीपीओ बैठकें कराने में सहायता करता है

ग. समूह को उनके हक और दायित्वों के बारे में बताता है

घ. समूह को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का प्रशिक्षण देता है

ङ. अन्य संबंधित हितधारकों के साथ जुड़ने में समूह की सहायता करता है

प्र25. संबंधित जानकारी और प्रलेख साझा करता है

क. संबंधित प्रावधानों, योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रलेखों की जानकारी देता है

ख. इस बारे में आँकड़े जुटाता है कि कितने दिव्यांगजन प्रावधानों के बारे में जानते हैं

ग. गाँव के स्तर पर अनुपालन की रिपोर्ट भेजता है

प्र26. समावेशन के लिए गाँव के अग्रणी लोगों के साथ चर्चा करता है

क. अग्रणी लोगों के साथ लगातार बातचीत करता है

ख. स्थानीय अग्रणी लोगों के सहयोग से समावेशन बढ़ाने में सहायता करता है

ग. समावेशी विकास में खंड स्तर के अग्रणी लोगों को शामिल करने के लिए स्वयं होकर उनसे बातचीत करता है

घ. अग्रणी लोगों को बातचीत कर कैसे मनाया जाए, इस बारे में अन्य सीबीआईडी प्रशिक्षणार्थियों को सहयोग देता है और मॉडल बनता है

प्र27. व्यक्तियों और परिवारों को सामुदायिक समूहों में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है

क. व्यक्ति और परिवार के समूह में शामिल होने को प्रभावित करने वाले पहलुओं की पहचान करता है और उन्हें प्राथमिकता देता है

ख. परिवार/व्यक्ति से सामुदायिक जीवन में शामिल होने के लिए आग्रह करता है/समझाता है

ग. सामुदायिक सहभागिता में बाधा डालने वाले विविध पहलुओं पर ध्यान देता है

प्र28. समावेशी कार्यक्रम और विशेष दिवस आयोजित करता है

क. समावेशी कार्यक्रम और विशेष दिवस मनाता है और उनमें शामिल होता है

ख. समावेशी कार्यक्रम और विशेष दिवसों का आयोजन डीपीओ और समुदाय के साथ–साथ करता है

ग. समावेशी कार्यक्रम और विशेष दिवस/कार्यक्रम आयोजित करने में समुदाय/डीपीओ की सहायता करता है

प्र29. भूमिका से जुड़ी आवश्यकताएँ पूरी करता है (जैसे कहीं भी किसी भी साधन से यात्रा के लिए तैयार रहता है, भिन्न–भिन्न पृष्ठभूमि के समूहों के साथ कार्य करता है, समुदाय के लिए सबसे अधिक अनुकूल दिन और समय पर कार्य करता है)

क. अपनी स्वयं की पृष्ठभूमि के कारण अपनी भूमिका के निर्वाह में आने वाली चुनौतियाँ समझता है और उनके मुकाबले के लिए तर्क खोजता है

ख. भरोसेमंद, उत्तरदायी, निष्पक्ष व्यवहार प्रकट करता है

ग. व्यक्ति/परिवार/समुदायों की जरूरत के अनुसार दृष्टिकोण अपनाता है

प्र30. टीम में सक्रिय योगदान करता है

क. मानता है कि टीम में हर प्रकार का कौशल महत्वपूर्ण होता है

ख. टीम के सकारात्मक योगदान में सहायता करता है

ग. टीम के विज़न और प्रयोजन का समर्थन करता है

प्र31. विश्वसोत्पादक रूप से कार्य करता है

क. दिए हुए कार्यों को बताए अनुसार पूरा करता है

ख. गोपनीय जानकारी किसी को नहीं बताता

ग. भिन्न मत रखने वाले लोगों से व्यवहार करते समय निष्पक्षता दर्शाता है

प्र32. दिव्यांगता का ज्ञान के स्रोत के रूप में सम्मान करता है

क. समानता का व्यवहार करने के दिव्यांगजनों के अधिकार को अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है

ख. दिव्यांगता से उबर चुके लोगों को अपने अनुभव बताने और दिव्यांगों को सहयोग करने हेतु प्रोत्साहित करता है। उन्हें उचित स्थान देता है।

ग. समुदाय से आग्रह करता है कि शक्ति आधारित दृष्टिकोण के साथ दिव्यांगों से जुड़े और उन्हें साथ लें।

प्र33. संबंधित कानूनी और नियामक ढाँचे में कार्य करता है

क. संबंधित कानूनों और आचरण संहिता/मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करता है

ख. अपने कार्यों और बातचीत में शालीनता रखता है और सांस्कृतिक/प्रासंगिक मानदंडों का आदर करता है

ग. मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया में नए विचार/प्रथा/संदर्भ जोड़ता है

घ. अन्य व्यक्तियों को प्रेरित करता है कि वे व्यवसाय में नैतिकतापूर्ण व्यवहार की जिम्मेदारी लें

प्र34. स्वयं की सामाजिक–भावनात्मक कुशलक्षेम बनाए रखता है

क. अपनी भूमिका के संभावित भावनात्मक प्रभावों को पहचानता है

ख. अपनी कुशलक्षेम का ध्यान रखता है और सहयोग मांगता है

ग. व्यावसायिक प्रथा के अभिन्न अंग के रूप में अन्य लोग भी अपनी कुशलक्षेम बनाए रखें, इस हेतु उन्हें सहयोग करता है

प्र35. सीबीआईडी के निष्पादन को और अच्छा बनाने के लिए निरंतर योजना बनाता है

क. ज्ञान और कौशल की कमी का पता लगाता है

ख. ज्ञानार्जन के सुव्यवस्थित अवसरों का उपयोग करता है

ग. भूमिका के स्तर और आवश्यकता के अनुसार ज्ञानार्जन को प्राथमिकता देता है

घ. डिप्लोमा को अपेक्षानुसार पूरा करने की योजना बनाता है

प्र36. कार्ययोजना बनाता है

क. निर्धारित फार्मेट में कार्य योजना बनाता है

ख. अनापेक्षित घटना घटने / स्थिति पैदा होने पर कार्य योजना को संशोधित करता है

ग. दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य की योजना बनाता है

प्र37. रिपोर्ट लिखता है

क. मूलभूत जानकारी निर्धारित फार्मेट में तैयार करता है

ख. जटिल रिपोर्टें पूर्ण करता है

ग. रिपोर्टों को नई आवश्यकताओं के अनुकूल बनाता है

घ. रिपोर्टों में आँकड़ों/परिणामों की व्याख्या करता है।

निर्देश और अंक समंकन निर्देशिका

हर प्रश्न में क्षमता का क्रमशः विस्तार प्रकट होता है, इसलिए यदि कोई प्रशिक्षणार्थी किसी प्रश्न में सी लेवल पर पहुँचता है तो इसका मतलब है कि वह नीचे के दो लेवल पर पहुँच चुका/की है, इसलिए उस प्रश्न के लिए उसे 3 (ए+बी+सी) अंक मिलेंगे। आगे दी गई निर्देश एवं अंकन गाइड में कुल अंकों को मान्य निष्पादन क्षेत्र/स्तर में रखा जा सकता है, जिसमें इस समय प्रशिक्षणार्थी कार्य कर रहा/ही हो।

	समुदाय की संरचना/ प्रथाओं में कानून के अनुसार समायोजन/ परिवर्तन को तर्कसंगत ठहरा सकता है					बाह्य संसाधन गाँव में लाता है		अग्रणी लोगों को बातचीत कर कैसे मनाया जाए, इस बारे में अन्य सीबीआईडी प्रशिक्षणा र्थयों को सहयोग देता है और उदाहरण बनता है	गाँव के स्तर पर अनुपालन की रिपोर्ट भेजता है		अन्य लोगों में छिपे नेतृत्व के गुण को बाहर लाकर विकसित करता है	बाहरी सेवा प्रदाताओं को बताता है कि दिव्यांगजनों की सामान्य आवश्यकताओं के प्रति उनके क्या उत्तरदायित्व हैं	मानक से उच्च : समुदाय से परे भी सीबीआईडी का संवर्धन करता है; परिवर्तित कानून और सरकारी प्रथाओं को आसान बनाता है	41–46
अभ्यास हेतु न्यूनतम क्षमता स्तर														
दिव्यांगता और समावेशन के बारे में समुदाय के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों की तुलना करता है।		विभिन्न समूहों के अलिखित आधारभूत नियमों का उपयोग करते हुए सभी के लाभ की बात करता है		प्राधिकारियों (जैसे तहसील) से आवश्यक दिशानिर्देश प्राप्त करता है	सामुदायिक सहभागिता में हर्डल डालने वाले विविध पहलुओं पर ध्यान देता है	समुदाय को इस बात के लिए मनाता है कि वे अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग करें	समावेशी कार्यक्रम और विशेष दिवस/ कार्यक्रम आयोजित करने में समुदाय / डीपीओ की सहायता करता है	समावेशी विकास में खंड स्तर के अग्रणी लोगों को शामिल करने के लिए स्वयं होकर उनसे बातचीत करता है		अन्य संबंधित हितधारकों के साथ जुड़ने में समूह की सहायता करता है	संभावित नेतृत्वकर्ताओं के लिए नेतृत्व कौशल का उदाहरण बनता है		सक्षमः सभी क्षेत्रों में समुदाय की पहुँच और समावेश बढ़ाने का समर्थन करता है; आवश्यक संसाधन और सेवाएँ प्राप्त करता है; दिव्यांगजनों के साथ रहने वाले लोगों और परिवारों की स्थानीय नेतृत्व की क्षमता का विकास करता है	26–40
समुदाय के नकारात्मक रुख और दृष्टिकोण का सामना करने के तर्क सोचता है			पीआर, के माध्यम से समुदाय का मार्गदर्शन करता है (मैपिंग)	समुदाय के साथ संबंध बनाने / सुदृढ़ करने के लिए हितधारकों के साथ बातचीत करता है						समूह को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का प्रशिक्षण देता है		गाँव के कार्याधिकारियों को बताता है कि दिव्यांगजनों की सामान्य आवश्यकताओं के प्रति उनके क्या उत्तरदायित्व हैं		
	स्थिति के अनुसार सही कानून और कार्यविधि लागू करता है।	स्थिति पर प्रभाव डालने वाले पहलुओं (सामाजिक –आर्थिक/ लिंग/जाति/धर्म) के पारस्परिक प्रभाव को पहचानता है				व्यक्तियों/ परिवारों को सरकारी संसाधन उपलब्ध कराने में सहयोग करता है	परिवार/व्यक्ति से सामुदायिक जीवन में शामिल होने के लिए आग्रह करता है/समझाता है	स्थानीय अग्रणी लोगों के सहयोग से समावेशन बढ़ाने में सहायता करता है	इस बारे में आँकड़े जुटाता है कि कितने दिव्यांगजन प्रावधानों के बारे में जानते हैं	समूह को उनके हक और दायित्वों के बारे में बताता है			उन्नत प्रारंभकर्ताः समुदाय के समावेश के लिए तर्क प्रस्तुत करता है; समावेश हेतु समर्थन में शामिल होता है और व्यक्तियों तथा परिवार के सशक्तिकरण का समर्थन करता है	13–26
दिव्यांगता और दिव्यांगता समावेशन के अनुभव के बारे में पृष्ठभूमि से पड़ने वाले प्रभाव स्पष्ट करता है			पीआर में सहभागिता कर सहयोग देता है	रणनीतिक रूप से योजना और खाका बनाता है (जैसे स्कूल को अपेक्षाकृत निम्न हितधारक मानना)	परिवार/व्यक्ति से सामुदायिक जीवन में शामिल होने के लिए आग्रह करता है/समझाता है					समूह स्थापित करने / डीपीओ बैठकें कराने में सहायता करता है	संभावित नेतृत्वकर्ताओं को प्रोत्साहित कर स्पष्ट करता है कि वे अपनी क्षमता कैसे बढ़ाएँ	समुदाय के लोगों को प्रशिक्षित करता है कि वे अपने परिचित दिव्यांगजन के साथ किस प्रकार जुड़े / बातचीत करें।		
	दिव्यांगता से संबंधित कानूनों, प्रावधानों और कार्यविधियों और उनसे जुड़ी बातों की व्याख्या करता है	बताता है कि समुदाय के कौन–कौन से पहलू दिव्यांगजनों के समावेशन में साधक और बाधक हैं			व्यक्ति और परिवार के समूह में शामिल होने को प्रभावित करने वाले पहलुओं की पहचान करता है और उन्हें प्राथमिकता देता है	परिवारों को प्रोत्साहित करता है कि वे अपने स्वयं के मौजूदा संसाधनों का उपयोग करें			संबंधित प्रावधा नों, योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रलेखों की जानकारी देता है			परिवारजनों को बताता है कि वे अपने दिव्यांग सदस्य की किस प्रकार सहायता करें	अनुभवहीनः सीबीआईडी के मूलभूत सिद्धान्तों और कार्यों के प्रति जागरूकता दर्शाता है समावेश के अधिकार और हक के बारे में व्यक्तियों और परिवारों को सही–सही सूचना देता है	1–12
समुदाय में समावेश के सिद्धान्तों और उसमें आने वाले अवरोधों को स्पष्ट करता है			पीआरए/ पीएलए को स्पष्ट रूप से समझाता है	गाँव के मुख्य हितधारकों की सूची बनाता है			समावेशी कार्यक्रम और विशेष दिवसों के आयोजन में सहभागिता करता है	अग्रणियों के साथ प्रेरक बातचीत करता है		पर्यवेक्षित समूह बनाने की प्रक्रिया बताता है				
अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	समावेशी सामुदायिक विकास दिशानिर्देश और अंकन गाइड	
1.1 सामुदायिक विकास और सीबीआईडी की समझ है	1.2 कानूनी प्रावधान समझता है	1.3 पृष्ठभूमि के अंतरों और उनके प्रभावों को समझता है	2.3 समुदाय के संसाधनों को समझता है	2.1 समुदाय के साथ आवश्यक संबंध स्थापित करता है	2.9 व्यक्तियों और परिवारों को समूहों में शामिल होने के लिए प्रेरित करताहै	2.4 समुदाय के संसाधनों के उपयोग को संभव बनाता है	2.10 समावेशी कार्यक्रम और विशेष दिवस आयोजित करता है	2.8 समावेशन के लिए गाँव के अग्रणी लोगों के साथ चर्चा करता है	2.7 संबद्ध सूचना साझा करता है और अनुपालन को रिकॉर्ड करता है	2.6 समूह और डीपीओ बनाने में सहायता करता है	2.5 संभावित नेतृत्वकर्ताओं की पहचान करता है	2.2 दूसरों को जागरूक और प्रशिक्षित करता है		
1. समझ संबंधी संरचना			2. समुदाय को संबद्ध करता है और विवरण तैयार करता है				3. सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करता है			4. समुदाय के नेतृत्व और कार्यों में सहयोग देता है				

	मानसिक बीमारी की पहचान करता है	मूल्यांकन की यथार्थता को प्रभावित करने वाली सभी स्थितियों पर ध्यान देता है					रिपोर्टों के आँकड़ों/परिणामों की व्याख्या करता है	शारीरिक अभिगम (एक्सेस) की वैश्विक डिज़ाइन और प्रथाओं को पूरे समुदाय द्वारा अपनाए जाने के लिए प्रयास करता है					मानक से उच्च : समुदाय आधारित पुनर्वास की संभावनाओं को विस्तार देता है, गहन ज्ञान से सृजनात्मक उत्तर देता है	40–44
अभ्यास हेतु न्यूनतम क्षमता स्तर														
				अपने व्यवहार का विश्लेषण कर अन्य व्यक्तियों और परिवारों को सशक्त बनाने के लिए अपने व्यवहार को समायोजित करता है	योजना में व्यक्ति और परिवार के बल संबंधी निष्कर्षों का अर्थ स्पष्ट करता है और इस बल को शामिल करता है	प्रोफेशनल सेवाओं को गाँव तक लाने के लिए शिविर और अभियान में सहायता देता है	रिपोर्टों को नई आवश्यकताओं के अनुकूल बनाता है	समुदाय में प्रत्यक्ष आवाजाही बढ़ाने में सहायता करता है		समुदाय के अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित करता है	आत्मनिर्भरता बढ़ाने में परिवार के प्रतिरोध दूर करता है	संप्रेषण के विभिन्न साधनों में आधारभूत प्रवीणता बढ़ाने के लिए प्रयास करता है	सक्षम: व्यक्तियों के समावेश में बाधक अभिवृद्धि संबंधी और शारीरिक अवरोधों को दूर करने में शामिल होता है; पुनर्वास के लक्ष्यों में सहायता के लिए समुदाय की क्षमता निर्मित करता हैय स्वयं के निष्पादन पर और उसमें सुधार के लिए चिंतन करता है	27–39
			विरोध कर रहे हितार्थियों को अपनी बात समझा सकता है	परिवार/रिश्तों में मिलजुल कर निर्णय करने को संभव बनाता है		जोखिमग्रस्त और संपर्क–दुर्लभ व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें संदर्भित करता है।	जटिल रिपोर्टें पूर्ण करता है	मकान में आने–जाने, चलने–फिरने को ज्यादा आसान बनाने के लिए मकान में सुधार का सुझाव देता है	विकास और ज्ञानार्जन के स्थानीय संसाधनों के प्रयोग में परिवार की सहायता करता है					
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बताई गई 21 प्रकार की दिव्यांगताओं के नाम और विवरण बताता है	विकासात्मक दिव्यांगताओं में भेद करता है	उपयुक्त जाँचसूची का चयन कर उपयोग करता है		परिवारों में आपस में विचार–विमर्श को संभव बनाता है		रेफरल के सही रास्ते जानता है और उपयुक्त रूप से रेफर करता है				सहायक प्रौद्योगिकी के प्रयोग का प्रशिक्षण देता है	अधिक व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता के लिए परिवार के सदस्यों को सक्षम बनाता है		प्रगत प्रारंभकर्ता : क्षमता–निर्माण के लिए परिवारों और व्यक्तियों के साथ मिल–जुल कर कार्य करता है; मध्यस्थता का ठीक–ठीक अंदाज लगा लेता है; दिव्यांग सहायक कार्यों में शक्ति आधारित दृष्टिकोण अपनाता है	14–26
			संवेदी सूचनाएँ सोच–विचार कर देता है		कार्यात्मक मूल्यांकन में आस्तियों और सबल पक्ष से संबंधित प्रश्न शामिल करता है			गतिशीलता और शारीरिक क्षमता बढ़ाने में सहायक उपकरणों का सही प्रयोग सुनिश्चित करता है	शीघ्र सीखने के लिए उपलब्ध संसाधनों की परिवार को जानकारी देता है		रोजमर्रा के कामकाज में आत्मनिर्भरता के लिए अकेले भी कार्य करता है	आवश्यक होने पर वन–स्टेप जानकारी अन्य फार्मेट में संप्रेषित करता है		
		मूलभूत जाँचसूची अनुदेशों के अनुसार पूर्ण करता है				दिव्यांगता प्रमाणन / यूडीडी सुनिश्चित करता है	मूलभूत जानकारी निर्धारित फार्मेट में तैयार करता है		समुदाय में परिवार की सहभागिता को प्रोत्साहित करता है	परिवार के सदस्यों को सरल तकनीकों (जैसे मानवीय गाइड) का प्रशिक्षण देता है	रोजमर्रा के कामकाज में आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करता है		अनुभवहीन: सीबीआईडी कार्य के पहलुओं का समर्थन करता है; व्यक्तियों और परिवारों को अनुदेश और सलाह देता है; विकलांगता से संबंधित भ्रम दूर करता है	1.13
जानता है कि कौन से कारण दिव्यांगता पैदा करते हैं और कौन से नहीं	सुस्पष्ट दिव्यांगता में भेद करता है		कम से कम जोखिम वाली एकदम सही जानकारी प्रदान करता है	दिव्यांग व्यक्तियों और परिवारों से व्यवहार करते समय दिए गए निदेशों के अनुसार कार्य करता है	शक्ति आधारित दृष्टिकोण जानता है			फिजिकल थेरपिस्ट की सुझाई गतिविधियाँ अपनाता है				संप्रेषण के अलग–अलग रूप उदाहरण देकर समझाता है		
अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	मूल्यांकन और हस्तक्षेप दिशानिर्देश और अंकन गाइड	
1.1 दिव्यांगता की दशा समझता है	1.2 दिव्यांगताओं के बीच अंतर करता है	2.1 कार्य संबंधी मूल्यांकन करता है	2.2 मूल्यांकन से प्राप्त तथ्यों को संप्रेषित करता है	2.3 परिवार को लक्ष्य और योजना तैयार करने में सहयोग करता है	2.4 आस्तियों, क्षमताओं और सबल पक्षों की पहचान करता है	3.1 लोगों को विशेषज्ञ सेवाओं से जोड़ता है	3.2 रिपोर्ट लिखता है	4.1 मूवमेंट और शारीरिक क्षमता बढ़ाता है	4.2 सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास बढ़ाता है	4.3 सहायक उपकरणों का प्रशिक्षण देता है	4.4 व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ाता है	4.5 संप्रेषण के भिन्न–भिन्न तरीकों का उपयोग करता है		
1. विकलांगता को समझता है		2. मूल्यांकन और योजना का दायित्व लेता है				3. लिंकेज/रेफरल में सहयोग करता है		4. बहुक्षेत्रीय मध्यस्थता प्रदान करता है						

			टीम के विज़न और प्रयोजन का समर्थन करता है	समुदाय से आग्रह करता है कि दिव्यांगता को शक्ति आधारित परिप्रेक्ष्य से संबंधित करें					अन्य व्यक्तियों को प्रेरित करता है कि वे व्यवसाय में नैतिकतापूर्ण व्यवहार की जिम्मेदारी लें	डिप्लोमा को अपेक्षानुसार पूरा करने की योजना बनाता है	मानक से उच्चः सीबीआईडी टीम में नेतृत्वकर्ता की भूमिका ग्रहण करता है; समुदाय में सशक्त पक्षपोषण करता है; विकास के अवसरों के लिए अपनी भूमिका से बढ़कर सक्रियता दिखाता है	41–46
अभ्यास हेतु क्षमता का निम्नतम स्तर												
	नए विचारों/प्रथाओं/ वर्तमान कार्यविधियों में नए आयाम शामिल करता है	भिन्न मत रखने वाले लोगों से व्यवहार करते समय निष्पक्षता दर्शाता है				परिवार/रिश्तों की स्थिति की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है	सामाजिक और भावनात्मक संबल प्रदान करते समय बाहरी घटकों (जैसे जाति और संस्कृति) का विचार करता है	दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य की योजना बनाता है	प्रोफेशनल प्रथा के अभिन्न अंग के रूप में अन्य लोगों को उनकी कुशलक्षेम बनाए रखने के लिए उन्हें सहयोग करता है	ज्ञानार्जन के सुव्यवस्थित अवसरों का उपयोग करता है	सक्षम : स्थितियों की गहरी समझ के लिए उन पर चिंतन करता है; वैकल्पिक दृष्टिकोणों का आदर करता है; सुनिश्चित करता है कि योजनाएँ वास्तविक, महत्वाकांक्षी और अनुकूलनीय हैं	26–40
व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों की जरूरत के हिसाब से दृष्टिकोणों को अनुकूलित करता है					कही और अनकही जानकारी पर पूरा ध्यान देता है और उपयुक्त उत्तर देता है	परिवार/रिश्तों से संबंधित महत्वपूर्ण/ संवेदनशील पहलू समझता है	व्यक्ति और परिवार की आवश्यकताओं के समग्र मूल्यांकन के आधार पर भावनात्मक संबल प्रदान करता है	अनपेक्षित घटनाएँ/ स्थितियाँ उत्पन्न होने पर कार्य–योजनाओं को अनुकूलित करता है				
सभी लोगों के साथ उत्तरदायी, निष्पक्ष व्यवहार करता है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो	अपने कार्यों और बातचीत में शालीनता रखता है और सांस्कृतिक/प्रासंगिक मानदंडों का आदर करता है	गोपनीय जानकारी किसी को नहीं बताता		दिव्यांगता भोग चुके लोगों को स्थान देता है और उनके विचार सुनकर उनका सहयोग लेता है					स्वयं के कुशलक्षेम की निगरानी करता है और आवश्यक होने पर सहयोग मांगता है		उन्नत प्रारंभकर्ता अन्योन्यक्रियात्मक शैली में सुधार के लिए सुविचारित उपाय अपनाता है; टीम के उत्तम कार्यों में सहयोग देता हैय लोगों से व्यवहार करते समय सांस्कृतिक और प्रासंगिक बातों का ध्यान रखता है; गोपनीय बातों के लिए भरोसेमंद है	13–26
			टीम के सकारात्मक योगदान में सहायता करता है		व्यक्तियों और परिवारों से बात करते समय सुनने के सीखे हुए उपायों का उपयोग करता है		व्यक्तियों और परिवारों से बात करते समय सुनने के सीखे हुए उपायों का उपयोग करता है			सीबीआईडी भूमिका के स्तर और आवश्यकता के अनुरूप ज्ञानार्जन को प्राथमिकता देता है		
	संबंधित कानूनों और आचरण संहिता/ मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करता है			समानता का व्यवहार करने के दिव्यांगजनों के अधिकार को अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है		दिव्यांगजनों के परिवार तथा उनके साथ रहने वाले लोगों के प्रति सम्मान और सहयोग प्रदर्शित करता है				ज्ञान और कौशल में कमी को पहचान लेता है	अनुभवहीन नियत कार्य पूरे करता है; मूलभूत अपेक्षाएँ और आवश्यकताएँ पूरी करता है; निष्पादन और ज्ञानार्जन संबंधी जरूरतों के बारे में विचार करता है; सीबीआईडी टीम के सदस्यों और दिव्यांग व्यक्तियों तथा परिवारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करता है	1–12
विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के साथ कार्य में आने वाली चुनौतियों की सूची तैयार करता है		दिए हुए कार्यों को बताए अनुसार पूरा करता है	मानता है कि टीम में हर प्रकार का कौशल महत्वपूर्ण होता है		सुनता है और उत्तर में सलाह देता है	दिव्यांगजन के साथ रहने वाले व्यक्तियों और परिवारों से संबंध बनाते समय अपेक्षित सामाजिक मानदंडों का पालन करता है		निर्धारित फार्मेटों के अनुसार कार्य योजनाएँ तैयार करता है	भूमिका के निर्वहन में उन पर होने वाले भावनात्मक प्रभाव को पहचानता है			
अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	अपर्याप्त प्रमाण	व्यावसायिक व्यवहार और चिंतनशील अभ्यास दिशानिर्देश और अंकन गाइड	
1.1 भूमिका से जुड़ी आवश्यकताएँ पूरी करता है	1.2 संबंधित कानूनी और नियामक ढाँचे में कार्य करता है	1.3 विश्वसोत्पादक रूप से कार्य करता है	1.4 टीम में सक्रिय योगदान करता है	1.5 दिव्यांगता का ज्ञान के स्रोत के रूप में सम्मान करता है	1.6 सही तरीके से सुनता है	1.7 पारिवारिक/संबंधों की संरचना और गतिशीलता का अध्ययन करता है	1.8 सामाजिक एवं भावनात्मक संबल प्रदान करता है	2.1 कार्ययोजना बनाता है	2.2 स्वयं की सामाजिक–भावनात्मक कुशलक्षेम बनाए रखता है	2.3 सीबीआईडी के निष्पादन को और अच्छा बनाने के लिए निरंतर योजना बनाता है		
1. भूमिका से जुड़ी अपेक्षाएँ और आवश्यकताएँ पूरी करता है								2. नियत कार्य, कुशलक्षेम और निरंतर शिक्षा का प्रबंध करता है				

चरण एक की समय–सारणी

पहला चरण		पहला सप्ताह	दूसरा सप्ताह	तीसरा सप्ताह	चौथा सप्ताह
सोमवार	पूर्वाह्न	1.1.1.1 दिव्यांगता की अवधारणा 1.1.1.2 इक्कीस प्रकार की दिव्यांगता की सामान्य परिभाषा	1.2.1.2 व्यावहारिक सत्र (दौरा) समाज कल्याण विभाग, जिला स्वास्थ्य अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी	2.2.2.1 जाँच सूची की जाँच करना–प्रकार और संदर्भीकरण 2.2.1.2 व्यावहारिक – प्रशिक्षण केंद्र के आसपास के क्षेत्र में जाँचसूची का परीक्षण करना	4.1.1.1; 4.1.1.2 सीबीआईडी मैट्रिक्स और अपवर्जन के निराकरण के लिए मैट्रिक्स का उपयोग
	अपराह्न	1.1.1.1; 1.1.1.2 समुदाय, दिव्यांगता और विभेदता का विहंगावलोकन,	1.2.1.1 दिव्यांगों और उनके अधिकारों से संबंधित कानून, नीतियाँ और अधिनियम	2.1.1.1; 2.1.1.2 समुदाय को जोड़ने, उनका विवरण तैयार करने और गतिशील बनाने की अवधारणा	2.2.3.1 सहभागितापूर्ण सामुदायिक बैठकें
मंगलवार	पूर्वाह्न	1.1.1.1; 1.1.1.2 सीबीआईडी कार्यकर्ता की भूमिका और उत्तरदायित्व	1.1.3.1; 1.1.3.2 वैयक्तिक संरचना का प्रभाव	1.2.1.2 (जारी) जोखिमग्रस्त बच्चों और बड़ों का बचाव 1.2.2.1 नैतिकता और गोपनीयता	2.1.1.1; 2.1.1.2 कार्य–योजना और कार्य के लक्ष्य
	अपराह्न	1.1.2.1; 1.1.2.2 दिव्यांगता के प्रतिदर्श और निहितार्थ	1.2.1.2 व्यावहारिक सत्र (पोर्टफोलियो) नीतियों, अधिनियमों और योजनाओं की फाइल बनाना शुरू करें	2.1.2.1; 2.1.2.2 समुदाय का सशक्तिकरण और सशक्त हुए लोगों की कहानियाँ	2.2.3.2 व्यावहारिक सत्र (पोर्टफोलियो) स्थानीय संदर्भ में सहभागिता बढ़ाने वाले स्थानीय दिशानिर्देश

पहला चरण		पहला सप्ताह	दूसरा सप्ताह	तीसरा सप्ताह	चौथा सप्ताह
बुधवार	पूर्वाह्न	1.1.2.1 उत्तरदायित्वों की सीमाएँ	1.2.1.1; 1.2.1.2 कार्यस्थल नियम एवं नीतियाँ	2.3.1.1 रिपोर्टिंग में सीबीआईडी उत्तरदायित्व और रिपोर्टिंग के फार्मेट	1.3.1.1; 1.3.1.2 सीबीआईडी टीम और अन्य प्रोफेशनल
	अपराह्न	1.1.2.1 दिव्यांगता के अवरोध 1.1.3.1. अवरोधों का परिवार पर प्रभाव	1.2.2.1 केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्य हक प्राप्त करने की कार्यविधि 1.2.2.2 प्राप्त हकों को व्यक्ति और परिवार के साथ साझा करना व्यावहारिक सत्र	2.3.1.1; 2.3.1.2 जाँचसूची परिणामों का निर्वचन (इंटरप्रिटेशन) तथा उन्हें साझा करना	3.3.1.1 बहुविषयी टीम के सदस्यों की भूमिका 4.2.1.1 विकास में हो रही देरी का पता लगाने में सहायता करने वाली जाँचसूची बनाना
गुरुवार	पूर्वाह्न	1.1.1.3 व्यावहारिक सत्र –स्थानीय विभेदता का प्रारंभिक खाका तैयार करना	1.2.2.1 समावेशी समुदायों के लाभ और उनका कानूनी आधार	2.2.1.1 पीआरए की अवधारणा और साधन 2.2.1.2 व्यावहारिक सत्र –प्रशिक्षण केंद्र के संसाधनों की सूची	3.1.1.1 पंचायती राज प्रणाली और संरचना 3.2.3.1 सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं में कमी या अन्य बातों का पता लगाना
	अपराह्न	1.1.3.2 व्यावहारिक सत्र–स्थानीय समुदाय में भिन्न–भिन्न प्रकार की दिव्यांगता के सामने आने वाले अवरोध (आईसीडी 1.1.2.3 के साथ सम्मिलित रूप से)	2.1.1.1 पारिवारिक संरचना व्यक्तिगत गतिशीलता 2.1.1.2 पारिवारिक संरचना व्यक्तिगत गतिशीलता दिव्यांगता का प्रभाव	3.1.1.1 अभिगम्य फार्मेट में जानकारी 3.1.2.1 उपयुक्त जानकारी समय पर साझा करना 3.2.1.1 प्रमाणपत्रों के प्रकार	4.3.1.1 एडीआईपी योजना –उपलब्ध सहायक उपकरण
शुक्रवार	पूर्वाह्न	1.1.2.3 व्यावहारिक सत्र– स्थानीय समुदाय में प्रचलित दिव्यांगता के प्रतिदर्शों और स्थानीय अवरोधों का पता लगाना	1.2.2.2 व्यावहारिक सत्र–(पोर्टफोलियो) आईसीडी से संबंधित योजनाएँ और प्रावधान	2.2.2.1 पीआरए में 'सहभागिता' की अवधारणा 2.2.2.2 व्यावहारिक सत्र (पोर्टफोलियो) सहभागितापूर्ण रिपोर्ट तैयार करने की जाँचसूची	3.1.1.1 कार्यस्थल पर सुरक्षा 3.1.2.1 महिलाओं की सुरक्षा और कुशलक्षेम
	अपराह्न	1.2.1.1 समावेशी संगठन के हक और प्रावधान 1.2.1.2 समावेशी संगठनों का दौरा – व्यावहारिक सत्र	2.1.2.1 विभेदात्मक भारतीय परिवारों के बारे में विचारणीय घटक 2.2.1.1 दिव्यांगता जाँचने का औचित्य, प्रक्रिया और प्रयोजन	3.2.1.2 परिवार के प्रमाणन का कार्य पूरा होने का अवलोकन 3.2.2.1 प्रमाणन और औपचारिकताएँ पूरी करने से पहले की आवश्यकताएँ	दूसरे चरण के कार्य की तैयारी –विचार–विमर्श, चेक–इन (आमने–सामने साक्षात्कार)

चरण एक की सत्र योजना

पहला सप्ताह

प्रमुख्य: ए एंड आई आईसीडी पीबी एंड आरपी

पहला सप्ताह	प्रथम चरण प्रशिक्षण केंद्र – इनपुट	
	पूर्वाह्न	अपराह्न
सोमवार	1.1.1.1; 1.1.1.2 दिव्यांगता की अवधारणा और 21 प्रकार की दिव्यांगता की सामान्य परिभाषा	1.1.1.1; 1.1.1.2 समुदाय, दिव्यांगता और विभेदता का विहंगावलोकन
मंगलवार	1.1.1.1; 1.1.1.2 सीबीआईडी कार्यकर्ता की भूमिका और उत्तरदायित्व	1.1.2.1; 1.1.2.2 दिव्यांगता के प्रतिदर्श और निहितार्थ
बुधवार	1.1.2.1 उत्तरदायित्वों की सीमाएँ (जर्नल)	1.1.2.1; 1.1.2.2 दिव्यांगजनों के सामने आने वाले अवरोध और व्यावहारिक सत्र
गुरुवार	1.1.1.3 व्यावहारिक सत्र –स्थानीय विभेदता का प्रारंभिक खाका तैयार करना (जर्नल)	1–1–3–1– अवरोधों का परिवार पर प्रभाव 1–1–3–2 दिव्यांगता के प्रतिदशोऔ का स्वयं के समुदाय में प्रभाव (जर्नल)
शुक्रवार	1–1–2–3 व्यावहरिक सत्र – स्थानीय अवरोधों और समुदाय में प्रचलित विकलांगता के प्रतिदशोऔ का पता लगाना जर्नल)	1.2.1.1/1.2.1.2 समावेशी स्व–समूह/ मुक्त नियोजन/ समावेशी शिक्षा में हक और प्रावधान तथा उन पर अमल–प्रतिदर्शों तथा उनके प्रभाव पर चर्चा (जर्नल)

पहला चरण–पहला सप्ताह

पाठ्यक्रम का परिचय परिशिष्ट 1

1. 'स्वयं का चित्र' (''मैं कौन हूँ?'', ''दिव्यांगता से मेरा क्या संबंध है?'')

    क. पाठ्यक्रम शुरू होने से पहले दिव्यांगता के बारे में प्रशिक्षणार्थी की धारणा जानने से संबंधित प्रश्न, जिनसे प्राप्त सूचना के आधार पर प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को उस सत्र में विभिन्न वर्गों में रखता है

    ख. इस पाठ्यक्रम को पूरा कर पाने में आपकी चिंताएँ क्या हैं? आपको किस सहयोग की आवश्यकता होगी?

2. ''दिव्यांगता और सीबीआईडी के बारे में मैं क्या जानता हूँ (आधार–रेखा तय करें)'' और ''क्या जानना चाहूंगा''?

    क. हो सकता है कि सीबीआर/सीबीआईडी कार्यकर्ताओं के बारे में और लोगों, परिवारों तथा समुदाय के लिए उनके कार्यों के बारे में आप कुछ जानते हों

    ख. आपके समुदाय में दिव्यांगता को क्या माना जाता है

ए एंड आई

1.1.1.1	दिव्यांगता की अवधारणा
1.1.1.2	इक्कीस प्रकार की दिव्यांगताओं की सामान्य परिभाषा
1.1.2.1	दिव्यांगता के अवरोध
1.1.2.2	व्यावहारिक सत्र –दिव्यांगता के अवरोध
1.1.3.1.	अवरोधों का परिवार पर प्रभाव
1.1.3.2	जर्नल कार्य –अपने ही समुदाय के परिवारों पर दिव्यांगता का प्रभाव
1.2.1.1; 1.2.1.2	जर्नल कार्य –सरकारी प्रावधान और समावेशी संगठनों में उन पर अमल

पीबी एंड आरपी

1.1.1.1 – 1.1.1.2	सीबीआईडी कार्यकर्ता की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व
1.1.2.1	जर्नल कार्य –सीबीआईडी कार्यकर्ता के उत्तरदायित्वों की सीमा

आईसीडी

1.1.1.1 – 1.1.1.2	समुदाय, दिव्यांगता और विभेदों का विहंगावलोकन
1.1.2.1 – 1.1.2.2	दिव्यांगता के प्रतिदर्श और निहितार्थ
1.1.1.3	जर्नल कार्य – प्रारंभिक खाका तैयार करना
1.1.2.3	जर्नल कार्य – स्थानीय अवरोधों और दिव्यांगता के प्रतिदर्शों का पता लगाना

ए एंड आई–पहली इकाई : दिव्यांगता को समझना, मॉड्यूल 1 : दिव्यांगता का कामकाज पर प्रभाव

शीर्षक 1 : दिव्यांगता की अवधारणा

सत्र 1.1.1.1: दिव्यांगता को समझना **सत्र 1.1.1.2:** दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बताई गई 21 प्रकार की दिव्यांगताएँ			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी दिव्यांगता की अवधारणा और दिव्यांगता के प्रकार समझेंगे और नए प्रकार की दिव्यांगताओं को स्पष्ट करेंगे तथा सजीव अनुभव को समझेंगे।			
समय	**विषय वस्तु**	**कार्य**	**संसाधन**
	1.1.1.1 दिव्यांगता व्यापक शब्द है	इस समय सिर्फ इतना ध्यान रखें कि दिव्यांगता का मतलब केवल शारीरिक असमर्थता नहीं है। इस पर बाद में तथा आईसीडी में चर्चा की जाएगी।	विकलांगता के सभी प्रतीकों वाला चार्ट, पीपीटी
	असमर्थताओं का वर्गीकरण	चार प्रकार की दिव्यांगता – शारीरिक, बौद्धिक, संवेदी, मानसिक (दिमागी बीमारियाँ)– बताने वाला वीडियो (8 मिनट) दिखाना। शुरुआत में समूह को इन प्रकारों के बारे में नहीं बताया जाता। वे दिव्यांगता के हिसाब से लोगों का मिलान और श्रेणीकरण करते हैं। इसके बाद प्रशिक्षक सारे फोटो व्हाइट बोर्ड पर लगाता है और श्रेणीकरण के बारे में अपनी सहमति देता है	8 लोगों के फोटो की पीपीटी सभी फोटो की हार्ड कापियाँ नीली टैक व्हाइट बोर्ड
	असमर्थता/ दिव्यांगता की श्रेणियाँ	चार श्रेणियाँ स्पष्ट करें शारीरिक, बौद्धिक, संवेदी और मानसिक (दिमागी बीमारियाँ)	पीपीटी
	1.1.1.2 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016	21 प्रकार की दिव्यांगताओं की प्रस्तुति	पीपीटी
	अनुकृत दिव्यांगता	**अनुकृत में निम्नलिखित शामिल है :** दोनों पैर बांधकर व्हीलचेयर का उपयोग, ईअरप्लग लगाकर बात करने का प्रयास, ईअरप्लग और ब्लाइंडफोल्ड लगाना और किसी और द्वारा अलग–अलग कमरों में ले जाया जाना ताकि दिव्यांग जैसा अनुभव मिले	व्हीलचेयर ईअरप्लग ब्लाइंडफोल्ड
	दिव्यांगजनों से मिलना	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में वर्णित सबसे आम तरह के दिव्यांगजनों को आमंत्रित करें। इक्कीस प्रकार की दिव्यांगताओं में से अपेक्षाकृत नए प्रकार की दिव्यांगता वाले कुछ लोगों को भी बुलाने पर विचार करें। पूर्व में न गिनी गई दिव्यांगताएँ हैं–एसिड आक्रमण का शिकार लोग, सीखने में कमजोर, बहु स्क्लेरोसिस, पेशीय दुष्पोषण, पार्किन्सन, हेमोफीलिया, थेलेसेमिया और सिक्कल कोशिका रोग।	अलग प्रकार की दिव्यांगता वाले लोग साक्षात्कार हेतु प्रश्न : परिशिष्ट 2 – दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में मान्य दिव्यांगता आपको होने का क्या अर्थ है? – आप दिव्यांगता को किस प्रकार परिभाषित करेंगे? – आपका स्थानीय समुदाय आपकी तथा परिवार की सहभागिता के लिए किस प्रकार अधिक सहायक हो सकता है?

संदर्भ :

- http://www.disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/RPWD%20ACT%202016.pdf
- b],u 'kh"kd 1% fn0;kxrk dk leÖuk

भारतीय पुनर्वास परिषद्

ए एंड आई पहली इकाई : दिव्यांगता को समझना, मॉड्यूल 1 : दिव्यांगता का कामकाज पर प्रभाव

शीर्षक 2 : दिव्यांगता के कारण आने वाले अवरोध

सत्र 1.1.2.1 दिव्यांगता के कारण समुदाय में पुनर्वास / वास में आने वाले अवरोध **सत्र 1.1.2.2** व्यावहारिक सत्र –पुनर्वास के अवरोधों का स्थानीय समुदाय में पता लगाना			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षकों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी समुदाय आधारित पुनर्वास के अवरोधों को पहचान कर श्रेणीकरण करेंगे और उन्हें दूर करने के उपाय बताएंगे			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	आईसीएफडीएच (विश्व स्वास्थ्य संगठन 2001) के अनुसार अवरोध	आईसीएफ डाइग्राम बनाना और हर पहलू को स्पष्ट करना	आईसीएफ डाइग्राम (विश्व स्वास्थ्य संगठन 2001, पृष्ठ 214) **परिशिष्ट 3**
	सोच संबंधी और सामाजिक– भावनात्मक अवरोध	पीपीटी शीर्षक अध्ययन माइंड मैप्स चर्चा	सोच संबंधी और सामाजिक–भावनात्मक अवरोध के चित्र चार्ट
	शारीरिक एवं परिवेशगत अवरोध	शीर्षक अध्ययन माइंड मैप्स् चर्चा एक्सेसिबल इंडियन कैंपिंग पर वीडियो फिल्म का प्रदर्शन	वीडियो फिल्म चार्ट
	अवरोध दूर करना	विचार–मंथन माइंड मैप्स चर्चा सैप की एप्प वॉइस का प्रदर्शन	चार्ट एलसीडी मोबाइल (इंटरनेट सहित)
	1.1.2.2 व्यावहारिक सत्र	प्रशिक्षणार्थियों को फील्ड मे भेजा जाता है ताकि वे देख सकें कि समुदाय में दिव्यांगजनों के बहुक्षेत्रीय पुनर्वास में आने वाले अवरोध क्या हैं	**परिशिष्ट 4** में पूर्ति की जाने वाली तालिका – कॉलम में अवरोधों (शारीरिक, संप्रेषणात्मक, सोच संबंधी) को रखें – पंक्तियों में सीबीआर मैट्रिक्स के 5 सेक्टर (स्वास्थ्य, शिक्षा, कार्य, सामाजिक, सशक्तिकरण) रखें।

संदर्भ

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (2001), कार्यात्मकता, दिव्यांगता और स्वास्थ्य का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण, जिनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, पृष्ट 214
- https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability-barriers.html
- www.lightfortheworld.nl
- Houtenville, A. and Boege, S. (2019). Annual Report on People with Disabilities in America: 2018. Durham, NH: University of New Hampshire, Institute on Disability. Available at https://disabilitycompendium.org/sites/default/files/user-uploads/Annual Report 2018 Accessible Adobe ReaderFriendly.pdf

- सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेन्शन, नेशनल सेंटर ऑन बर्थ डिफेक्ट्स् एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, डिविज़न ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी एंड हेल्थ डेटा सिस्टम (डीएचडीएस) डेटा (ऑनलाइन) (6 अगस्त 2019 को अभिगत)
- स्रोत : विश्व स्वास्थ्य संगठन https://www.who.int/mediacentre/news/notes/2012/child disabilities violence 20120712/en/ पर उपलब्ध
- शीर्षक 2 : विकलांगता के अवरोध

ए एंड आई पहली इकाई : दिव्यांगता को समझना, मॉड्यूल 1 : दिव्यांगता का कार्य पर प्रभाव

शीर्षक 3 : दिव्यांगता का परिवार पर प्रभाव

सत्र 1.1.3.1: दिव्यांगता का परिवारों पर प्रभाव			
पहला चरण– सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य लक्ष्य : दिव्यांगता से परिवार के सामने आने वाली कठिनाइयों और सकारात्मक प्रभावों का पता लगाएँ और विश्लेषण करें			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	विभिन्न दिव्यांगताओं के निहितार्थ दिव्यांगता के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और वित्तीय प्रभाव खुली चर्चा	पॉवर पाइंट प्रस्तुति चर्चा शीर्षक अध्ययन दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों के अनुभव जानना या किसी प्रशिक्षणार्थी के परिवार के दिव्यांगजन के सजीव अनुभव जानना या दिव्यांगता के प्रभावों पर वीडियो/फिल्म दिखाना	सीबीआईडी के दिव्यांग प्रशिक्षणार्थी के/सजीव अनुभव वीडियो फिल्म
	दिव्यांगता का परिवार पर सकारात्मक प्रभाव	जिन प्रशिक्षणार्थियों के परिवार में कोई दिव्यांगजन हो उनके अनुभव सुनना कि परिवार के लोग किस प्रकार सहयोग दे सकते हैं और परिवार में दिव्यांग के होने से क्या सकारात्मक प्रभाव होते हैं	सीबीआईडी के दिव्यांग प्रशिक्षणार्थी /सजीव अनुभव

संदर्भ

- http://nhsn.ie/information/information-for-host-families/the-impact-of-disability-on-a-family/
- b],u 'kh"kd 3 % दिव्यांगता और उसका कार्य पर प्रभाव

ए एंड आई पहली इकाई : दिव्यांगता को समझना, मॉड्यूल 1 : दिव्यांगता का कार्य पर प्रभाव

शीर्षक 3 : दिव्यांगता का परिवार पर प्रभाव

सत्र 1.1.3.2 : व्यावहारिक सत्र –स्वयं के समुदाय के परिवारों में दिव्यांगता का प्रभाव			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : परिवार के सदस्यों को सपोर्ट करते समय पारंपरिक चिकित्सकीय दृष्टिकोण और वर्तमान के अधिकार आधारित दृष्टिकोण में भेद करना			
समय	**विषयवस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
		प्रशिक्षणार्थी अपने समुदाय की स्थिति पर विचार करेंगे और दिव्यांगता के विभिन्न प्रतिदर्शों के उदाहरण देकर समझाएंगे कि उसका व्यक्तियों और परिवारों पर क्या प्रभाव होता है। वे अपने विचारों और उधारों को दर्ज करेंगे।	ज्ञानार्जन जर्नल अभ्यास 1 परिशिष्ट 5

संदर्भ

- https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44405/9789241548052 introductory eng.pdf? sequence=9
- b],u 'kh"kd 6% अधिकार आधारित दृष्टिकोण की ओर गमन

ए एंड आई पहली इकाई : दिव्यांगता को समझना, मॉड्यूल 2 : सरकारी प्रावधान और कार्यविधियाँ

पहला शीर्षक : हकदारियाँ और समावेशी संगठन

सत्र 1.2.1.1 : हकदारियों और प्रावधानों की व्याख्या **सत्र 1.2.1.2. :** व्यावहारिक सत्र –समावेशी संगठनों में दिव्यांगता संबंधी प्रावधान			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : सरकारी प्रावधानों की क्षेत्रों/संगठनों के साथ संबंध के अनुसार श्रेणी बनाना और इन प्रावधानों से संगठन पर होने वाले प्रभाव पर विचार करना। कानून के पालन या उसे सही तरीके से लागू करने में आने वाली समस्या पर भी विचार करना।			
समय	**विषय वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	1.2.1.1 दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न हकदारियों, प्रावधान तथा रियायतों और समुदाय तथा संगठन पर उनके प्रभाव का वर्णन करना	समावेशी संगठनों में हकदारियों और योजनाओं को लागू करना प्रशिक्षणार्थी मिलकर दिव्यांगजनों के लिए घोषित सरकारी प्रावधानों, हकदारियों और रियायतों और समुदाय तथा संगठनों पर उनके प्रभाव का चार्ट तैयार करते हैं समावेशी संगठनों के दौरों की तैयारी	वाल चार्ट
	1.2.1.2 व्यावहारिक सत्र	• समावेशी स्व समूह • मुक्त रोजगार • समावेशी शिक्षा में दिव्यांगजनों से संबंधित प्रावधानों और मुद्दों के अनुपालन की स्थिति जानने और उस पर चर्चा करने के लिए दौरे करना।	**ज्ञानार्जन जर्नल अभ्यास 2** **परिशिष्ट 6**

पीबी और आरपी पहली इकाई : भूमिकाओं और अपेक्षाओं तथा उत्तरदायित्वों की पूर्ति

मॉड्यूल 1 : व्यावहारिक एवं लॉजिस्टिकल आवश्यकताएँ –शीर्षक 1 : सीबीडी भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व

सत्र 1.1.1.1: सीबीआईडी कार्यकर्ताओं की भूमिका और उत्तरदायित्व – भूमिका			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी विभिन्न स्तरों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को समझते हैं और उनके बारे में चर्चा करते है।			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	व्यक्तियों और परिवारों के साथ कार्य करने संबंधी भूमिका और उत्तरदायित्व;	किसी के घर का दौरा करते समय और समुदाय की बैठक (एस एच ओ/डीपीओ बैठक) करते समय सीबीआर कार्यकर्ता का वीडियो देखें	विडियो : नीचे संदर्भ देखें
	समूह चर्चा	दी गई सूची में से वीडियों में भूमिका निभाने वालों की पहचान करें	ड्यूटी में आने वाले कार्यों की सूची दी जानी है
	प्रशिक्षक द्वारा व्याख्यान	भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व, वे भी जो शामिल नहीं हैं	पॉवर पॉइन्ट

संदर्भ :

- सुझाया गया वीडियो: https://www.youtube.com/watch?v=MeiperdmHE8
- *ईएन शीर्षक 1 : सीबीआईडी कार्यकर्ता की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व*

प्रशिक्षक के लिए टिप्पणियाँ

सीबीआईडी उत्तरदायित्वों की रूपरेखा :

क. व्यक्तियों और परिवारों के साथ कार्य करना

क 1. पहचान कर ध्यान देना

क 2. साधारण पुनर्वास

क 3 सलाह

ख. समुदायों को साथ लाना :

ख 1. नेटवर्किंग

ख 2. सहयोग

ख 3. साथ लाना और संगठित करना

ग. संसाधन जुटाना

ग 1. संसाधनों की पहचान करना

ग 2. पक्ष–पोषण (एड्वोकेसी)

पीबी एंड आरपी पहली इकाई : भूमिकाओं और अपेक्षाओं तथा उत्तरदायित्वों की पूर्ति

मॉड्यूल 1 : व्यावहारिक एवं लॉजिस्टिकल आवश्यकताओं पर ध्यान देना, शीर्षक 1 : सीबीआईडी भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व

सत्र 1.1.1.2 : सीबीआईडी भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व – समुदायों को साथ लाना, संसाधन जुटाना			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी समुदाय का समावेश करने और संसाधन जुटाने हेतु सीबीआईडी कार्यकर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्यों की पहचान करता है और चुनौतियों की चर्चा करता है			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	समुदाय के पास मौजूद संसाधन ग1. संसाधनों की पहचान करें ग2. प्रेरित करें		
	समुदाय के पास उपलब्ध संसाधन	समूह में मंथन–समुदाय के संसाधन जुटाने में सीबीआईडी कार्यकर्ता किस प्रकार सहायक हो सकता है	संसाधनों की सूची • आईसीडी समूह की गतिविधियों से किसी पीआरए को जोड़ा जा सकता है
	संसाधनों और प्रमुख हितधारकों तथा समुदाय को प्रभावित करने वाले लोगों की पहचान करना	चर्चा	
	प्रेरित करना	सीबीआईडी भूमिका में पक्ष–पोषण पर व्याख्यान	
		एक–दूसरे को प्रभावित करना जोड़ीदार बनकर बात करना और अन्य व्यक्ति को कुछ करने के लिए मनाना	

संदर्भ :

- ***ईएन शीर्षक 1 :** सीबीआईडी कार्यकर्ताओं की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व*

पीबी एवं आरपी इकाई एक : भूमिकाओं और अपेक्षाओं तथा उत्तरदायित्वों की पूर्ति

मॉड्यूल 1 : व्यावहारिक और लॉजिस्टिकल आवश्यकताओं पर ध्यान, शीर्षक 2 : उत्तरदायित्वों की सीमाएँ

सत्र 1.1.2.1 : सीबीआईडी कार्यकर्ता की भूमिका की सीमाएँ			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य लक्ष्य : प्रशिक्षणार्थी सीबीआईडी कार्यकर्ता के रूप में सांस्कृतिक, प्रोफेशनल, व्यक्तिगत क्षेत्रों में अपनी भूमिका से संबंधित सीमाओं की पहचान करता है।			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	अन्य भूमिकाओं की सीमाएँ	उदाहरण– नर्स / डॉक्टर	
	सांस्कृतिक सीमाएँ	विचार मंथन –सांस्कृतिक, लैंगिक मानदंड	
	वैयक्तिक सीमाएँ	दिव्यांगजन की निजता सीबीआईडी कार्यकर्ता की निजता	https://canbc.org/blog/respect-personal-space/
	भूमिका की सीमाओं को स्पष्ट करना	समूह चर्चा – सीबीआईडी क्या कर सकता है और क्या नहीं	
	स्वयं की सीमाएँ स्पष्ट करना	वैयक्तिक लेखन	ज्ञानार्जन जर्नल अभ्यास 3 **परिशिष्ट 7** के पी ए 3–3.2.1 स्व–मूल्यांकन से जोड़ा जा सकता है

संदर्भ

- *ईएन शीर्षक 2 : सीबीआईडी कार्यकर्ता की भूमिका की सीमाएँ*

आईसीडी पहली इकाई : सीबीआईडी अवधारणाएँ और उनका आधार, मॉड्यूल 1 : दिव्यांगता के बारे में पारंपरिक और समकालीन समझ, शीर्षक 1 : समुदाय, दिव्यांगता और विविधता

सत्र 1.1.1.1: समुदाय में विविधता			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्त परिणाम : प्रशिक्षणार्थी समुदाय के विविधतापूर्ण संरचना को समझता है			
समय	**विषय वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	भूमिका : प्रशिक्षक और प्रशिक्षणार्थी समुदाय की समान बातों के बारे में चर्चा करते हैं	आइस ब्रेकिंग गतिविधि के रूप में पासिंग द पार्सल का खेल। संगीत या कोई भी ध्वनि के साथ कोई वस्तु एक से दूसरे को दी जाती है। संगीत या ध्वनि रुकने पर जिस व्यक्ति के हाथ में वस्तु रह जाए वह अपना परिचय देता है और समुदाय की किसी एक बात के बारे में बताता है।	अनुदेशक के अनुदेश, समूह में घुमाने के लिए कोई भी उपलब्ध वस्तु फ्लिप चार्ट/बोर्ड मार्कर पेन
	समुदाय की परिभाषा और व्याख्या	प्रशिक्षक समुदाय की मुख्य अवधारणाओं को फीतों पर लिखकर एक डब्बे में रख देगा। हर प्रशिक्षणार्थी एक फीता उठाएगा और इसके बारे में विचार कर उसे अपने समुदाय के लोगों के साथ जोड़ेगा प्रशिक्षणार्थियों के छोटे–छोटे समूह पास–पास आएंगे और समुदाय की परिभाषा तय करेंगे। हर छोटा समूह अपनी परिभाषा प्रस्तुत करेगा। वह उसमें कुछ जोड भी सकता है	डिब्बा और समुदाय के लक्षण लिखे हुए फीते फ्लिप चार्ट
	समुदाय में विभेद	मेटा कार्ड वितरित किए जाएँ जिन पर प्रशिक्षणार्थी दिव्यांगता से इतर प्रकार की स्थानीय विभेदता (जैसे जाति, पंथ, धर्म, लिंग, आर्थिक और सामाजिक हैसियत) लिखेंगे इसके बाद प्रशिक्षक समूह को सूचियों का सारांश और श्रेणीकरण करने में मदद करता है और हर एक की सहभागिता के प्रभाव पर चर्चा करता है और स्पष्ट करता है कि विविधता समुदाय की संपदा है बशर्ते सभी लोग उससे लाभ उठा सके और अपना योगदान कर सकें।	कोरे कार्ड अनुदेशक के अनुदेश

संदर्भ

- *ईएन शीर्षक 1 : सीबीआईडी अवधारणाएँ और निहितार्थ*

आईसीडी पहली इकाई : सीबीआईडी अवधारणाएँ और आधार, मॉड्यूल 1 : दिव्यांगता के बारे में पारंपरिक और समकालीन समझ, शीर्षक 1 : समुदाय, दिव्यांगता और विभेद

सत्र 1.1.1.2 : स्थानीय समुदाय में दिव्यांगता की आस्तियाँ और अधिकार
पहला चरण, सत्र संख्या :
सत्र की अवधि :
प्रशिक्षकों की संख्या :
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी कार्यात्मक प्रभाव, विभेद रूपी संपदा में योगदान और दिव्यांगजन के स्थानीय समुदाय में समावेशन के अधिकार पर चर्चा करता है

समय	विषयवस्तु	गतिविधियाँ	संसाधन
	दिव्यांगता के कारण उत्पन्न विभिन्न वाधाओं का वर्णन	विभिन्न बाधाओं और कार्यात्मक कठिनाइयों के बारे में कृत्रिम अभ्यास • यह कृत्रिम होना चाहिए या अलग–अलग तरह की दिव्यांगता वाले लोगों को शामिल करना चाहिए?	अनुदेशक के अनुदेश, रस्सी, व्हीलचेयर, पानी की बोतल (**सभी की सूची बनाएँ)
	दिव्यांगता की दशाओं और परिभाषा पर दो–दो का समूह	प्रशिक्षक फीतों पर दिव्यांगता के प्रकार लिखकर एक डब्बे में रख देता है। दो–दो प्रशिक्षणार्थी एक–एक फीता उठाते हैं, उस पर विचार करते हैं और अपने अनुभव तथा ज्ञान के आधार पर इसके कार्यात्मक प्रभाव पर विचार करते हैं। वे दिव्यांगता की परिभाषा तैयार करते हैं।	कोरे कार्ड अनुदेशक के अनुदेश
	दिव्यांगता की परिभाषा के बारे में समूह चर्चा	प्रत्येक जोड़ा अपनी परिभाषा प्रस्तुत करता है और अंतिम परिभाषा में योगदान करता है।	
	विविधता के भाग के रूप में दिव्यांगता और समावेश के अधिकार पर चर्चा	प्रशिक्षक समुदाय की विभेदता में दिव्यांगता को शामिल करने के बारे चर्चा करता है और समुदाय के सभी सदस्यों की भागीदारी का महत्व और लाभ बताता है	

संदर्भ :

- *ईएन शीर्षक 1 : सीबीआईडी अवधारणाएँ और निहितार्थ*

आईसीडी पहली इकाई, सीबीआईडी अवधारणाएँ और आधार, मॉड्यूल 1 : दिव्यांगता के बारे में पारंपरिक और समकालीन समझ, शीर्षक 2 : दिव्यांगता के प्रतिदर्श और निहितार्थ

सत्र 1.1.2.1 : दिव्यांगता की दोहरी समझ			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी दिव्यांगता में व्यक्ति के बाह्य घटकों के योगदान के बारे में चर्चा करते हैं और दिव्यांगता को दोनों सिरों से समझते हैं।			
समय	**विषय वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	दिव्यांगता असमर्थता के समान नहीं है	प्रशिक्षक दिव्यांगता और असमर्थता के बारे में चर्चा प्रारंभ करेगा। इस हेतु नोट करेगा कि प्रशिक्षणार्थीगण समझ चुके हैं कि लोगों में एक जैसी असमर्थता होते हुए भी अभिगम और स्वीकार्यता की स्थिति में अंतर होता है। प्रत्येक प्रतिभागी को असमर्थता और दिव्यांगता के अर्थ के बारे में एक विचार रखने को कहा जाएगा। इन्हें फ्लिप चार्ट पर लिखकर असमर्थता और दिव्यांगता के बीच अंतर को स्पष्ट किया जाएगा। दिव्यांगता समावेशन में बाधा है। 'अक्षमता' की अवधारणा को भी स्पष्ट कीजिए जो समावेशन में एक बड़ी बाधा है।	अनुदेशक के अनुदेश
	आईसीएफ असमर्थता, कार्य, दिव्यांगता, सहभागिता	प्रशिक्षणार्थियों का दो–दो का समूह बना दिया जाता है। उन्हें किसी दिव्यांग की भूमिका देकर यह पता लगाने के लिए कहा जाता है कि समुदाय में शामिल करने से उनके कार्यों और सहभागिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन्हें मेटा कार्ड पर लिख लिया जाता है और संबंधित शीर्षकों के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है प्रशिक्षणार्थी दो–दो के समूह में बने रहते हैं और पता लगाते हैं कि असमर्थ लोगों को दैनिक जीवन में क्या बाधाएँ आती हैं इसके बाद बाधाओं का अभिवृद्धि, संप्रेषण, अभिगम और सहभागिता के अंतर्गत समूह बनाया जाता है ये मेटा कार्ड अब दीवार पर चिपका दिए जाते हैं	मेटा कार्ड
	हर्डल, कार्य, सहभागिता, जुड़वा दृष्टिकोण के बीच संबंध	छाता खोला जाता है। छाते में सबसे ऊपर दिव्यांगता शब्द चिपका होता है और असमर्थता, कार्य, अवरोध, सहभागिता शब्द छाते के स्टैंड के रूप में लगाए जाते हैं। स्पष्ट किया जाता है कि दिव्यांगता व्यापक शब्द है जिसमें असमर्थता, कार्य, अवरोध और सहभागिता शब्द शामिल हैं। सहभागिता बढ़ाने के लिए ट्विन ट्रैक दृष्टिकोण आवश्यक है, जो एक ओर व्यक्ति के स्तर पर रहता है और दूसरा व्यवस्था के स्तर पर, ताकि समावेश संभव हो सके और समावेशी विकास हो सके।	छाता आईसीएफ डाइग्राम

संदर्भ :

- https://www.telegraphindia.com/states/odisha/definition-of-disability-guest-column/cid/289209
- http://disability.virginia.edu/2018/12/04/disability-as-part-of-human-diversity-dr-marcus-martins-influenc/
- http://www.biologydiscussion.com/ecology/community/community-definition-concept-structure-ecology/70721
- https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1449&context=gladnetcollect
- https://www.who.int/disabilities/world report/2011/chapter1.pdf

भारतीय पुनर्वास परिषद्

आईसीडी पहली इकाई : सीबीआईडी अवधारणाएँ और आधार, मॉड्यूल 1 : दिव्यांगता के बारे में पारंपरिक और समकालीन समझ, शीर्षक 2 : दिव्यांगता के प्रतिदर्श और निहितार्थ

सत्र 1.1.2.2 : दिव्यांगता के प्रतिदर्शों का अलग–अलग प्रभाव होता है			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी दिव्यांगता के विभिन्न प्रतिदर्शों को विस्तारपूर्वक बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि दिव्यांगता के पहलू सहभागिता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं			
समय	**विषयवस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	दिव्यांगता के विभिन्न प्रतिदर्शों के निहितार्थ	प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को प्रोत्साहित करेगा कि वे दिव्यांगता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा और विचार करें। ऐसा करते समय शब्दों को स्पीच बैलून पर लिख लिया जाएगा। इनसे स्पष्ट होगा कि किस तरह दिव्यांगता को अलग–अलग परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है।	प्रत्येक प्रतिदर्श पर आधारित स्पीच बैलून
	चैरिटी मॉडल और इसके निहितार्थ	समूह चैरिटी मॉडल पर केस स्टडी पढ़ेगा और दिव्यांगजनों की सोच तथा सहभागिता पर चेरिटी मॉडल के निहितार्थ पर चर्चा करेगा।	केस स्टडी
	मेडिकल मॉडल और इसके निहितार्थ	समूह मेडिकल मॉडल की केस स्टडी पढ़ेगा और दिव्यांगजनों की सोच तथा सहभागिता पर मेडिकल मॉडल के प्रभाव पर चर्चा करेगा	केस स्टडी
	सोशल मॉडल और इसके निहितार्थ	समूह सोशल मॉडल की केस स्टडी पढ़ेगा और दिव्यांगजनों की सोच तथा सहभागिता पर सोशल मॉडल के प्रभाव पर चर्चा करेगा	केस स्टडी
	मानवाधिकार और सहभागिता मॉडल	समूह मानवाधिकार मॉडल की केस स्टडी पढ़ेगा और दिव्यांगजनों की सोच तथा सहभागिता पर मानवाधिकार मॉडल के प्रभाव पर चर्चा करेगा, जैसे अधिकार आधारित दृष्टिकोण के लाभों पर मानवीय रुचि की कहानियों का पोस्टर प्रस्तुतीकरण	निम्नलिखित पर केस स्टडी 1. इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवंटन 2. स्व सहायता समूह में कवरेज 3. बैंक से बहुत छोटी राशि का ऋण 4. वृद्धावस्था पेंशन

संदर्भ :

- http://www.scielo.org.za/pdf/hts/v74n1/06.pdf
- https://www.nap.edu/read/5799/chapter/5#65
- *ईएन शीर्षक 2 : दिव्यांगता के मॉडल*

आईसीडी पहली इकाई : सीबीआईडी अवधारणाएँ और आधार, मॉड्यूल 1 : दिव्यांगता के बारे में पारंपरिक और समकालीन समझ, शीर्षक 1 : समुदाय, दिव्यांगता और विभेद

सत्र 1.1.1.3 : व्यावहारिक सत्र–प्रारंभिक खाका बनाना			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रारंभिक खाता तैयार करना			
समय	**विषयवस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	प्रशिक्षणार्थी अपने स्थानीय समुदाय में दिव्यांगता विभेद के बारे में विचार करते हैं	प्रशिक्षणार्थी अपने मौजूदा ज्ञान के आधार पर प्रारंभिक खाका तैयार करते हैं, अपने ज्ञान की कमी का पता लगाते हैं, समुदाय के ऐसे लोगों का पता लगाते हैं जो उन्हें अधिक सही खाका तैयार करने में सहायता कर सकें। वे डेटा एकत्रित करने का साधन तैयार करते हैं	ज्ञानार्जन जर्नल **अभ्यास 4** **परिशिष्ट 8**

संदर्भ :

- https://www.iied.org/participatory-learning-action
- https://pubs.iied.org/search/?s=PLA
- Working towards inclusion: Experiences with disability and PRA
- https://pubs.iied.org/pdfs/G02138.pdf

आईसीडी पहली इकाई, सीबीआईडी अवधारणाएँ और आधार, मॉड्यूल 1 : दिव्यांगता के बारे में पारंपरिक और समकालीन समझ, शीर्षक 2 : दिव्यांगता के प्रतिदर्श और निहितार्थ

सत्र 1.1.2.3 : व्यावहारिक सत्र –स्थानीय अवरोधों और दिव्यांगता के प्रतिदर्शों की पहचान करना			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य लक्ष्य : स्थानीय अवरोधों और दिव्यांगता प्रतिदर्शों की पहचान			
समय	**विषयवस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	प्रशिक्षणार्थी 1.1.1.3 में संदर्भित दिव्यांगजनों की दृष्टि से समुदाय के बारे में विचार करते हैं	प्रशिक्षणार्थी दिव्यांगता के अवरोधों को अभिगम, संप्रेषण, अभिवृद्धि और सहभागिता श्रेणियों में रख सकते हैं	ज्ञानार्जन जर्नल **अभ्यास 4** **जारी परिशिष्ट 8**

संदर्भ :

- ''कम्युनिटी मैपिंग स्टडी : पीपुल विद इंपेअरमेंट्स् इन मुसांझे डिस्ट्रिक्ट, 2013'': https://chanceforchildhood.org/wp-content/uploads/2014/03/Jubilee Action FCYF Mapping Report PWI Musanze Rwanda.pdf

भारतीय पुनर्वास परिषद्

दूसरा सप्ताह

दूसरा सप्ताह	प्रथम चरण प्रशिक्षण केंद्र – इनपुट	
	पूर्वाह्न	अपराह्न
सोमवार	1.2.1.2 व्यावहारिक (दौरा) समाज कल्याण विभाग, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (जर्नल)	1.2.1.1 दिव्यांगता और अधिकारों से संबंधित कानून, नीतियाँ और अधिनियम
मंगलवार	1.1.3.1 वैयक्तिक संरचना का प्रभाव –स्पष्ट करें कि पहला चरण पूरा होने पर प्रशिक्षणार्थी पर इसका प्रभाव दिखाई देगा – विचार करने, विचारों को तथा उनमें होने वाले किसी भी परिवर्तन को लिखने और उसे दूसरों के साझा करने हेतु तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित करें (जर्नल)	1.2.1.2 व्यावहारिक सत्र (पोर्टफोलियो) नीतियों, अधिनियमों और योजनाओं की फाइल बनाना शुरू करें।
बुधवार	1.2.1.1; 1.2.1.2 कार्यस्थल संबंधी नियम और नीतियाँ (जर्नल)	1.2.2.1 (पोर्टफोलियो) हकदारियाँ प्राप्त करने की कार्यविधियाँ 1.2.2.2 व्यावहारिक सत्र –प्राप्त हकदारियों को परिवार के साथ साझा करना
गुरुवार	1.2.2.1 समावेशी समुदाय के लाभ और कानूनी आधार	2.1.1.1 पारिवारिक संरचना और व्यक्तिगत गतिशीलता 2.1.1.2 पारिवारिक संरचना और गतिशीलता– दिव्यांगता का प्रभाव
शुक्रवार	1.2.2.2 व्यावहारिक सत्र (पोर्टफोलियो) आईसीडी समर्थक योजनाएँ और प्रावधान	2.1.2.1 विभेदपूर्ण भारतीय परिवारों के बारे में विचार योग्य घटक 2.2.1.1 दिव्यांगता जाँच का औचित्य, प्रक्रियाएँ और प्रयोजन

टिप्पणियाँ

- पोर्टफोलियो के कई पहलू हैं और यह पूरे पाठ्यक्रम के दौरान चलता रहता है – इससे फील्डवर्क से इतर लगभग सभी परिणाम प्राप्त होते हैं। इसमें असाइन्मेन्ट, मूल्यांगन और संसाधन शामिल हैं जिनकी प्रशिक्षणार्थी को अपनी भूमिका में एकत्रित और फाइल करने की आवश्यकता पड़ती है।
- *पीबी एंड आरपी 1.1.3.2 को दूसरे चरण में लाना होता है, क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम की शुरुआत से हुई प्रगति की झलक शामिल रहती है।

पहला चरण – दूसरा सप्ताह

ए एंड आई

1.2.1.2	जर्नल कार्य जारी (समावेशी संगठनों का दौरा)
1.2.2.1	**पोर्टफोलियो** : योजनाओं और अनुदानों का लाभ लेने की कार्यविधियाँ
1.2.2.2	**पोर्टफोलियो** : हकदारियों को परिवार के साथ साझा करना –व्यावहारिक सत्र
2.1.1.1	पारिवारिक संरचना –वैयक्तिक गतिशीलता
2.1.1.2	पारिवारिक संरचना और गतिशीलता –दिव्यांगता का प्रभाव
2.1.2.1	जर्नल कार्य – विभेदपूर्ण भारतीय परिवारों के विचार योग्य पहलू
2.2.1.1	**पोर्टफोलियो** : दिव्यांगता जाँच का औचित्य, प्रक्रियाएँ और प्रयोजन

पीबी एंड आरपी

1.1.3.1	जर्नल कार्य – वैयक्तिक संरचना का प्रभाव
1.2.1.1; 1.2.1.2	जर्नल कार्य – कार्यस्थल संबंधी नियम और नीतियाँ

आईसीडी

1.2.1.1	दिव्यांगता और अधिकारों से संबंधित कानून, नीतियाँ और अधिनियम
1.2.1.2	**पोर्टफोलियो** : आईसीडी समर्थक नीतियाँ और अधिनियम की फाइल बनाना
1.2.2.1	समावेशी समुदाय के लाभ और कानूनी आधार
1.2.2.2	**पोर्टफोलियो** : आईसीडी समर्थक योजनाओं और प्रावधानो की फाइल बनाना

ए एंड आई पहली इकाई: दिव्यांगता को समझना, मॉड्यूल 2 : सरकारी योजनाएँ, प्रावधान, कार्यविधियाँ शीर्षक 1: व्यक्तियों और परिवारों की हकदारियाँ– सामुदायिक क्षेत्रों के संबंध में

सत्र 1.2.1.2 : व्यावहारिक सत्र –समावेशी संगठनों का दौरा			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थियों को सामुदायिक क्षेत्रों की हकदारियों से परिचित कराया जाता है			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	समावेशी संगठनों का दौरा जारी रखें और योजनाओं तथा अनुदानों की उपलब्धता के बारे में चर्चा करें	दौरे • समाज कल्याण विभाग • जिला स्वास्थ्य अधिकारी • जिला शिक्षा अधिकारी	ज्ञानार्जन जर्नल **अभ्यास 2ख** **परिशिष्ट 9**

संसाधन :

- देखें आईसीडी b],u 'kh"kd 3 % vkb]lhMh leFkd ljdkjh dk;Øe

ए एंड आई पहली इकाई : दिव्यांगता को समझना, मॉड्यूल 2 : सरकारी योजनाएँ, प्रावधान, कार्यविधियाँ शीर्षक 2 : हकादारियाँ प्राप्त करने की कार्यविधियाँ

सत्र 1.2.2.1 : केंद्र और राज्य सरकार की हकदारियों और योजनाओं का लाभ लेने की कार्यविधियाँ			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी दिव्यांग व्यक्तियों और परिवारों की हकदारियाँ, कानूनी प्रावधान, योजनाएँ और रियायतें बता सकेंगे			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	मुख्य–मुख्य शब्दों के अर्थ		पॉवर पॉइन्ट
	दिव्यांगजनों से संबंधित कानूनी प्रावधान और हकदारियाँ	चर्चा	बुकलेट पॉवर पॉइन्ट
	दिव्यांगजनों के परिवारों से संबंधित कानूनी प्रावधान और हकदारियाँ	चर्चा	बुकलेट पॉवर पॉइन्ट
	केंद्र सरकार की योजनाएँ और रियायतें	चर्चा	बुकलेट हैंडआउट
	राज्य सरकार की योजनाएँ और रियायतें	चर्चा	लीफलेट हैंडआउट
	पोर्टफोलियो **कार्य – हकदारियाँ और योजनाएँ तथा प्रायिक प्रश्न**	प्रशिक्षणार्थी अपने पोर्टफोलियो में विभिन्न हकदारियों, योजनाओं आदि की फाइल बनाएंगे और प्रायिक प्रश्नों का सत्र पूरा करेंगे	दिव्यांगजनों की हकदारियों और योजनाओं के बारे में प्रायिक प्रश्न **परिशिष्ट 10**

संदर्भ :

- http://vikaspedia.in/education/parents-corner/guidelines-for-parents-of-children-with-disabilities/legal-rights-of-the-disabled-in-india
- *ईएन शीर्षक 20 :* प्रमाणपत्र और उन्हें प्राप्त करने की कार्यविधियाँ

ए एंड आई पहली इकाई : दिव्यांगता को समझना, मॉड्यूल 2 : सरकारी योजनाएँ, प्रावधान, कार्यविधियाँ शीर्षक 2 : हकादारियाँ प्राप्त करने की कार्यविधियाँ

सत्र 1.2.2.2 : हकदारियाँ, योजनाएँ, रियायतें और लाभ प्राप्त करने की कार्यविधियाँ			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी हकदारियाँ, योजनाएँ, रियायतें और लाभ प्राप्त करने की कार्यविधियाँ बता सकेंगे			
समय	**विषयवस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	केंद्र सरकार – कार्यविधि	फॉर्म / आवेदन पत्र भरना	फॉर्म पॉवर पॉइन्ट
	राज्य सरकार – कार्यविधि	फॉर्म / आवेदन पत्र भरना	फॉर्म पॉवर पॉइन्ट
	कक्षा में किया जाने वाला अभ्यास – परिवारों को हकदारियाँ और योजनाओं का लाभ लेने की कार्यविधि बताएँ	प्रशिक्षणार्थी सूचनाएँ साझा करने और प्रश्नों का उत्तर देने का अभ्यास करेंगे। वे अपने पोर्टफोलियो में जानकारी की तालिका बनाएंगे और प्रायिक प्रश्नों का खंड तैयार करेंगे।	हकदारियाँ और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की कार्यविधियों के बारे में प्रायिक प्रश्न परिशिष्ट 11

संदर्भ :

- http://vikaspedia.in/education/parents-corner/guidelines-for-parents-of-children-with-disabilities/legal-rights-of-the-disabled-in-india
- **ईएन शीर्षक 20 :** ***प्रमाणपत्र और उन्हें प्राप्त करने की कार्यविधियाँ***

ए एंड आई दूसरी इकाई : मूल्यांकन और नियोजन, मॉड्यूल 1 : सकारात्मक कार्य–संबंध बनाना

शीर्षक 1 : पारिवारिक संरचना और गतिशीलता सत्र

2.1.1.1 विभिन्न पारिवारिक संरचनाएँ और गतिशीलता			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी विभिन्न पारिवारिक संरचनाओं और उनकी अंतर तथा बाह्य गतिशीलताओं के बारे में बता सकेंगे			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	आरंभ करें	प्रशिक्षणार्थियों के परिवार के बारे में चर्चा	
	पारिवारिक संरचना भारतीय परिवारों की अवधारणा	विचार–मंथन चर्चा	चार्ट लैपटॉप
	भारतीय परिवारों में अंतर वैयक्तिक एवं अंत:वैयक्तिक संबंध माता–पिता और बच्चों का संबंध भाई–बहनों का संबंध सास–बहू संबंध आदि	परिवारों की गतिशीलता के बारे में भूमिका निर्वहन और चर्चा अनुकृत (सिम्युलेटेड) गतिविधियां	लैपटॉप

संदर्भ :

- https://www.researchgate.net/publication/249648665 Indian family systems collectivistic society and psychotherapy
- http://www.scielo.br/pdf/ptp/v17n2/7878.pdf
- https://culturalatlas.sbs.com.au/indian-culture/indian-culture-family
- *ईएन शीर्षक 9: परिवार ढांचा*

ए एंड आई दूसरी इकाई : मूल्यांकन और नियोजन, मॉड्यूल 1 : सकारात्मक कार्य–संबंध बनाना

शीर्षक 1 : पारिवारिक संरचना और गतिशीलता

सत्र 2.1.1.2 : पारिवारिक संरचना और गतिशीलता – दिव्यांगता का प्रभाव			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी विभिन्न पारिवारिक संरचना को और परिवार के दिव्यांगजनों पर अंतर तथा अंतः पारिवारिक गतिशीलता के प्रभावों को स्पष्ट करेंगे।			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	केस स्टडी की प्रस्तुति – भिन्न–भिन्न प्रकार की दिव्यांगता, भिन्न–भिन्न प्रकार की परिवार संरचना और गतिशीलता, दिव्यांगजन के परिवार के भिन्न–भिन्न सदस्य	प्रशिक्षणार्थी दिव्यांगजन के साथ उस परिवार की संभावित गतिशीलता की चर्चा करेंगे	केस स्टडी लैपटॉप चार्ट

संदर्भ :

- देखें *पीबी एंड आरपी ईएन शीर्षक 20: केस स्टडी तैयार करना*

ए एंड आई दूसरी इकाई: मूल्यांकन और नियोजन, मॉड्यूल 1: सकारात्मक कार्य–संबंध बनाना

शीर्षक 2 : परिवारों से संपर्क स्थापित करने के उपाय

सत्र 2.1.2.1 : विभेदपूर्ण भारतीय परिवारों के बारे में विचार योग्य पहलू			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी भिन्न–भिन्न प्रकार के परिवारों से संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले भिन्न–भिन्न उपायों की जानकारी प्राप्त करेंगे और इन उपायों में संशोधन के तरीके सीखेंगे			
समय	**विषयवस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	प्रारंभ करें –हम अपने घर आने वाले लोगों –मेहमानों और अपरिचितों – से किस प्रकार बात करते हैं	चर्चा	
	महत्वपूर्ण पारिवारिक प्रसंग, धार्मिक पृष्ठभूमि राजनैतिक विचारधारा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आर्थिक पृष्ठभूमि परिवार का प्रकार	पीपीटी की प्रस्तुति, अनुकृत स्थिति (सिम्युलेटेड सेटिंग) भूमिका निर्वहन इस बात पर चर्चा कि किसी परिवार की परिस्थिति समझने के बाद प्रशिक्षणार्थी उनसे किस प्रकार बात करेंगे वीडियो क्लीपिंग देखकर चर्चा कर सकते हैं कि सीबीआईडी कार्यकर्ता किसी निश्चित परिवार से किस प्रकार संबंध स्थापित कर रहा है	वीडियो लैपटॉप शीर्षक ज्ञानार्जन जर्नल अभ्यास 5 **परिशिष्ट 12**
	परिवार से साथ संप्रेषण की रीति ● संप्रेषण में ध्यान रखने योग्य 7 ● श्रवण–कौशल के 8 प्रकार	पीपीटी प्रस्तुति भूमिका निर्वहन और चर्चा अनुकृत (सिम्युलेटेड) गतिविधियाँ जिनसे प्रशिक्षणार्थी सहानुभूति और तदनुभूति के अंतर को समझ सकें	वीडियो लैपटॉप शीर्षक

संदर्भ :

- *ईएन शीर्षक 10: किसी परिवार के पास जाते समय विचार करने योग्य पहलू और परिवार के साथ संप्रेषण की रीति*

टिप्पणियाँ :

- इस शीर्षक का व्यावहारिक उपयोग पाँचवे और छठे सप्ताह में होगा

ए एंड आई दूसरी इकाई : मूल्यांकन और नियोजन, मॉड्यूल 2 : भूमिका के दायरे में आने वाली जाँचसूचियाँ

शीर्षक 1 : जाँच की आवश्यकता

सत्र 2.2.1.1 : दिव्यांगता जाँच का औचित्य, प्रक्रियाएँ और प्रयोजन			
पहला चरण सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : जाँच की आवश्यकता और प्रक्रिया तथा जाँच के परिणामों को साझा करने एवं प्रयोग करने के बारे में बताइए			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	सीबीआर कार्यकर्ताओं द्वारा दिव्यांगता की जाँच का औचित्य दिव्यांगता की जाँच की पद्धतियाँ	दिव्यांगता की जाँच के बारे में पॉवर पॉइन्ट प्रस्तुति–दिव्यांगता का यथाशीघ्र पता लगाने का सरल तरीका	जाँच प्रक्रिया का मैनुअल
	जाँच की प्रक्रिया	जाँच का प्रदर्शन	पोर्टफोलियो में फाइल करें – दिव्यांगता स्क्रीनिंग का सरल साधन और डब्ल्युएचओ डीएएस 2.0 (12 मदों वाला वर्शन) परिशिष्ट 13
	जाँच का प्रयोजन	जाँच के परिणामों को जिम्मेदारी से साझा करने और उसके बाद उपयोग के बारे में चर्चा	

संदर्भ

- http://www.searo.who.int/entity/mental health/documents/childhood-disability-screening-tools.pdf?ua=1
- Lankaster and Grills (2019) Setting up Community Heath Programs in Low- and Middle-Income Settings (4th ed). Ch23: Disability and Community-Based Rehabilitation – https://oxfordmedicine.com/view/10.1093/med/9780198806653.001.0001/med-9780198806653-chapter-23
- WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) https://www.who.int/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health/who-disability-assessment-schedule
- *ईएन शीर्षक 11 : जाँच का महत्व*

पीबी एंड आरपी पहली इकाई : भूमिकाओं, अपेक्षाओं और उत्तरदायित्वों की पूर्ति, मॉड्यूल 1 : व्यावहारिक एवं लॉजिस्टिक आवश्यकताओं पर ध्यान : शीर्षक 3 : वैयक्तिक संरचना का प्रभाव

सत्र 1.1.3.1 : व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के समर्थक और प्रतिबंधक पहलू			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी अपनी निजी पृष्ठभूमि के साधक और बाधक पहलुओं को समझता है ताकि वह ग्राहक (क्लाइन्ट) के भले के लिए अपने सबल पक्ष का उपयोग कर सके और दुर्बल पक्ष पर विजय प्राप्त कर सके।			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	दिव्यांगता के सजीव/ साझा किए अनुभव	दिव्यांगता के स्वयं के या साझा किए अनुभव को छोटे समूहों में साझा करना	
	व्यक्तिगत विचार	सिखाई गई और पहले से मौजूद धारणाओं की समझ में अंतर	नीचे दिए गए संसाधन 2 (दूसरे बिंदु सूत्र) में से कुछ वैचारिक प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं – ज्ञानार्जन जर्नल में शामिल करें अभ्यास 5 परिशिष्ट 12
	लिंग, धर्म, जाति, परिवार, शैक्षणिक, सामाजिक–आर्थिक आधार पर दिव्यांगता को समझना	चर्चापरक व्याख्यान	नीचे संदर्भ देखें

संदर्भ :

- दिव्यांगता के बारे में वैश्विक रिपोर्ट, अध्याय 1: https://www.who.int/disabilities/world report/2011/report/en/
- यह भी देखें : यह बहुत विस्तृत हो सकती है किंतु इस खंड में प्रयोग के लिए अच्छी सामग्री सिद्ध होगी: https://www.americanbar.org/groups/diversity/disabilityrights/resources/implicit bias/
- *शीर्षक 3: भूमिका पर व्यक्तिगत संरचना का प्रभाव*

टिप्पणियां

इसका संबंध मूल्यांकन और मध्यस्थता इकाई 1 और 2 – दिव्यांगता के प्रतिदर्श और दिव्यांगता का प्रभाव से है।

पीबी एंड आरपी पहली इकाई : भूमिकाओं, अपेक्षाओं और उत्तरदायित्वों की पूर्ति, मॉड्यूल 2 : विधि और नीतिपूर्वक कार्य : शीर्षक 1 : कार्य–स्थल संबंधी कानून और नीतियाँ

सत्र 1.2.1.1 : बाल संरक्षण कानून			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी को सीबीआईडी कार्यकर्ता के आचरण से संबंधित नियमों और विनियमों (संस्थान और समुदाय दोनों से संबंधित) की जानकारी दी जाती है और उनका पालन करने को कहा जाता है			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का विहंगावलोकन, इन्हें बनाने की स्थितियाँ फोकस एरिया में बताए गए अन्य अधिनियमों का संक्षिप्त परिचय	भूमिका पीपीटी–अधिनियम और नियमों के प्रावधान और इनके कार्य के बारे में प्रस्तुति	एलसीडी प्रोजेक्टर और स्क्रीन या स्वच्छ दीवार
	बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व, केंद्रीय और राज्य स्तर पर। बाल संरक्षण मामलों को ग्राम स्तर पर हल करने के लिए राज्य आयोग द्वारा बनाए गए स्तर और उनके कार्य	प्रशिक्षणार्थियों के साथ विचार–मंथन : इस प्रकार के कानून की आवश्यकता के कारण पीपीटी–आयोग की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों, विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध संरचनाओं के बारे में प्रस्तुति	एलसीडी प्रोजेक्टर और स्क्रीन या स्वच्छ दीवार
	आयोग के फोकस क्षेत्र क. बाल अधिकार ख. शिक्षा का अधिकार ग. किशोर न्याय घ. लावारिस बच्चे ङ. पोस्को अधिनियम च. अन्य	पीपीटी –आयोग के विभिन्न फोकस क्षेत्र और निवारण के लिए राज्य स्तर पर उपलब्ध व्यवस्था के बारे में प्रस्तुति	एलसीडी प्रोजेक्टर और स्क्रीन या स्वच्छ दीवार
	समुदाय के लिए कार्य करने वाले सीबीआईडी कार्यकर्ता से संबंधित कानून का महत्व समझना	समूह कार्य : प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न फोकस क्षेत्रों (क से च तक) के हिसाब से समूहों में विभाजित करें। उन्हें 20 मिनिट का समय दें जिसमें वे चर्चा करें कि सीबीआईडी कार्यकर्ता के रूप में उनके सामने कैसे मसले आएंगे और उन्हें कैसे हल किया जाएगा समूह द्वारा प्रस्तुति – 20 मिनिट	फ्लिप चार्ट पोस्ट–इट्स् व्हाइट बोर्ड ज्ञानार्जन–जर्नल अभ्यास 6 परिशिष्ट 14

संदर्भ :

- भारत सरकार : बच्चों से संबंधित अधिनियम :
- https://www.ncpcr.gov.in/index1.php?lang=1&level=0&linkid=18&lid=588
- https://wcd.nic.in/sites/default/files/Download%20File 1.pdf
- राष्ट्रीय बाल संरक्षण नीति दिसंबर 2018 का प्रारूप
- *ईएन शीर्षक 4: कार्यस्थल से संबंधित नियम और नीतियाँ*

पीबी एंड आरपी पहली इकाई : भूमिकाओं, अपेक्षाओं और उत्तरदायित्वों की पूर्ति, मॉड्यूल 2 : विधि और नीतिपूर्वक कार्य : शीर्षक 1 : कार्य–स्थल संबंधी कानून और नीतियाँ

सत्र 1.2.1.2 : कार्य–स्थल संबंधी कानून और नीतियाँ –जोखिमग्रस्त बच्चों और वयस्कों का संरक्षण			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी को सीबीआईडी कार्यकर्ता के आचरण से संबंधित नियमों और विनियमों (संस्थान और समुदाय दोनों से संबंधित) की व्याख्या और पालन करने में मदद मिलेगी।			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	संरक्षण से संबंधित उत्तरदायित्व और बाध्यता – संरक्षण और इस सत्र के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना	भूमिका समूह के लिए गुब्बारों का खेल	गुब्बारे खेल के लिए स्थान
	बाल संरक्षण और बचाव – बाल संरक्षण और बचाव की परिभाषा और दोनों के बीच अंतर बाल दुर्व्यवहार और इसके लक्षण – दुर्व्यवहार क्या है और इसे कैसे पहचानना है, यह समझना	पॉवर पॉइन्ट प्रस्तुति परिभाषा के साथ पॉवर पॉइन्ट समग्र प्रश्नोत्तर सत्र	एलसीडी प्रोजेक्टर और स्क्रीन फ्लिप चार्ट पेन कागज
	बाल संरक्षण मानक 1. नीति 2. लोग 3. कार्यविधियाँ 4. जवाबदारी	पॉवर पॉइन्ट प्रस्तुति संरक्षण के मानकों के साथ समूह कार्य : उदाहरण के रूप में सीबीएम की संरक्षण नीति का वाचन करें जिससे बाल संरक्षण नीति वाले संगठन का अंदाज हो सके और सीबीआईडी कार्यकर्ता के लिए इसका आशय स्पष्ट हो सके	एलसीडी प्रोजेक्टर और स्क्रीन फ्लिप चार्ट पेन कागज पोस्ट–इट्स्
	बच्चों से संपर्क	विचार मंथन : पता लगाना कि संगठन के किस सीबीआईडी कार्यकर्ता और सीबीआईडी टीम सदस्यों का बच्चों से संपर्क हुआ और कैसे	फ्लिपचार्ट पेन कागज पोस्ट–इट्स्
	प्रशिक्षणदाता संगठन की बाल संरक्षण नीति और संरचना। इससे टीम को फील्ड वर्क की समझ मिलेगी और आगे कहीं ऐसी नीति न होने पर वे उसे संरचना में रखा पाएंगे।	संगठन के किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुति	

संदर्भ :

- जोखिमग्रस्त बच्चे और वयस्क –सीबीएम की संरक्षण नीति
- https://cbmindia.org.in/e-update-files/CBM-Child-Safeguarding-Policy.pdf
- *ईएन शीर्षक 4 : कार्यस्थल नियम और नीतियाँ*

आईसीडी पहली इकाई: सीबीआईडी अवधारणाएँ और आधार, मॉड्यूल 2: दिव्यांगता और समावेशन संबंधी कानून और कार्यक्रम: शीर्षक 1: दिव्यांगता और अधिकारों से संबंधित कानून

सत्र 1.2.1.1 : अधिनियम और नीतियाँ

पहला चरण, सत्र संख्या :

सत्र की अवधि :

प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :

ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम

***सत्र 4** : विभिन्न नीतियों, अधिनियम और योजनाओं तथा आईसीडी के लिए इसके प्रावधानों की सूची बनाना*

समय	विषय–वस्तु	गतिविधियाँ	संसाधन
	अधिनियम, नियम, उनके अंतर्गत नीतियाँ और कार्यक्रम और उनका प्रारंभ	विभिन्न अधिनियम बनाने से जुड़े घटनाक्रमों के बारे में और आरसीआइ के बारे में समूह के समक्ष व्याख्यान दिया जाएगा। (यूएनसीआरपीडी 2006, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, एनटीए 1999, आरटीई 2009)	पॉवर पॉइन्ट प्रस्तुति अधिनियम के जानकार अतिथि वक्ता का व्याख्यान
	यूएनसीआरपीडी 2006 का भारतीय संदर्भ में महत्व	यूएनसीआरपीडी की महत्वपूर्ण बातों के बारे में समूह के समक्ष व्याख्यान	पॉवर पॉइन्ट प्रस्तुति
	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की महत्वपूर्ण बातों के बारे में समूह के समक्ष व्याख्यान	पॉवर पॉइन्ट प्रस्तुति
	शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009/ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020	समूह को किसी निकटस्थ स्कूल में ले जाया जाएगा और अधिनियम और नीति के महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट किया जाएगा	स्कूल के प्राधिकारियों के साथ चर्चा
	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999	समूह को अधिनियम की मुख्य–मुख्य बातें बताई जाएंगी	पॉवर पॉइन्ट प्रस्तुति
	भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम	अधिनियम के महत्वपूर्ण बिंदुओं का संक्षिप्त परिचय	पॉवर पॉइन्ट प्रस्तुति

संदर्भ :

- https://mhrd.gov.in
- www.socialjustice.nic.in
- http://rehabcouncil.nic.in/
- https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html

आईसीडी पहली इकाई: सीबीआईडी अवधारणाएँ और आधार, मॉड्यूल 2: दिव्यांगता और समावेशन संबंधी कानून और कार्यक्रम: शीर्षक 1: दिव्यांगता और अधिकारों से संबंधित कानून

सत्र 1.2.1.2 : दिव्यांगता से संबंधित कानूनों और आईसीडी को सपोर्ट करने वाली योजनाओं का संग्रह

पहला चरण, सत्र संख्या :

सत्र की अवधि :

प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :

ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थियों को संबंधित नीतियों, अधिनियमों और योजनाओं का पोर्टफोलियो बनाने का कार्य दिया जाएगा

समय	विषय–वस्तु	गतिविधियाँ	संसाधन
	संबंधित कानूनों और योजनाओं के पन्ने	प्रशिक्षणार्थी संबंधित नीतियों, अधिनियमों और योजनाओं का पोर्टफोलियो निम्नलिखित शीर्षों के अनुसार बनाना प्रारंभ करेंगे –नाम, दिनांक, सूचना का स्रोत, सम्मिलित क्षेत्र, आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार इनका सहारा लेना है	**पोर्टफोलियो** **परियोजना** **परिशिष्ट 15**

संदर्भ :

- ***ईएन शीर्षक 3:** समावेशी सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने वाले सरकारी कार्यक्रम*

आईसीडी पहली इकाई : सीबीआईडी अवधारणाएँ और आधार, मॉड्यूल 2 : दिव्यांगता और समावेशन संबंधी कानून और कार्यक्रम : शीर्षक 2 : समावेशी समुदाय के लाभ और उनसे संबंधित कानून

सत्र 1.2.2.1 : समावेशी समुदाय के लाभ और कानूनी आधार			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य लक्ष्यः प्रशिक्षणार्थी विभिन्न सामुदायिक क्षेत्रों (स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक –खेलकूद, धर्म–ध्यान, सांस्कृति कार्यक्रम और पारिवारिक जीवन) में समावेशन के लाभों को जानेंगे और चर्चा करेंगे			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	विचार–मंथन	दीवार पर बिंदु अंकित शीट लगाई जाएंगी, जिनके शीर्षक होंगे ''स्कूल/कार्यस्थल/पारिवारिक जीवन/सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/खेलकूद कार्यक्रमों में समावेशन किस प्रकार दिखाई देता है?	
	संबंधित वीडियो	प्रशिक्षकगण लघु (लगभग 10 मिनिट की) फिल्म दिखाएंगे जो विभिन्न क्षेत्रों में समावेशन के लाभ का प्रमाण देने वाली होगी– दिव्यांग और अन्य लोगों की बातें सुनी जाएंगी	वीडियो वृत्तांत
	व्यावहारिक सत्र	प्रशिक्षणार्थी विचार करेंगे कि इन सकारात्मक स्थितियों में कौन सी बातें रोड़ा बन सकती हैं और उन्हें दूर करने में कोई कानून या स्थानीय प्रशासन उन्हें किस प्रकार सहायता कर सकता है	फिलप चार्ट मार्कर पेन

संदर्भित कड़ियाँ :

- समावेशन के लाभ के बारे में वीडियो स्टोरीज़: https://www.youtube.com/watch?v=MeiperdmHE8 (Nepal – Enablement's CBR for Inclusive Development)
- *ईएन शीर्षक 3: समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाले सरकारी कार्यक्रम*

आईसीडी पहली इकाई : सीबीआईडी अवधारणाएँ और आधार, मॉड्यूल 2 : दिव्यांगता और समावेशन संबंधी कानून और कार्यक्रम : शीर्षक 2 : समावेशी समुदाय के लाभ और उनसे संबंधित कानून

सत्र 1.2.2.2 : आईसीडी को सपोर्ट करने वाली सरकारी योजनाएँ और प्रावधान			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणामः प्रशिक्षणार्थी आईसीडी को संबल और समर्थन देने वाली विभिन्न सरकारी योजनाओं और प्रावधानों का पता लगाते हैं और फाइल बनाते हैं			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	आईसीडी अवधारणों पर विचार/ समीक्षा	केंद्रित समूह चर्चा (एफजीडी)	
	समावेशी सामुदायिक विकास को बढ़ाने में सरकार, प्रशासन और सामुदायिक संरचना की भूमिका	केंद्र और राज्य सरकारों की योजना के बारे में सूचना ग्राफिक साझा करना	पॉवर पॉइन्ट प्रस्तुति
	व्यावहारिक सत्र –समावेशी सामुदायिक विकास की समग्र अवधारणा को संक्षेप में दोहराना	समावेशी सामुदायिक विकास से संबंधित केंद्रीय, राज्य और स्थानीय योजनाओं तथा प्रावधानों को पोर्टफोलियो में जोड़ना	

संदर्भित कड़ियाँ :

- https://mohfw.gov.in
- https://www.nrega.nic.in
- **ईएन शीर्षक 3 :** समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाले सरकारी कार्यक्रम

तीसरा सप्ताह

तीसरा सप्ताह	प्रथम चरण प्रशिक्षण केंद्र – इनपुट	
	पूर्वाह्न	अपराह्न
सोमवार	2.2.2.1 स्क्रीनिंग चेकलिस्ट – प्रकार और संदर्भीकरण 2.2.1.2 व्यावहारिक सत्र –प्रशिक्षण केंद्र के आसपास स्क्रीनिंग जाँचसूची का प्रायोगिक परीक्षण	2.1.1.1; 2.1.1.2 समुदाय को संबद्ध करने, विवरण तैयार करने और साथ लाने की अवधारणा
मंगलवार	1.2.1.2 (पोर्टफोलियो) कार्यस्थल कानून और नीतियाँ जोखिमग्रस्त बच्चों और वयस्कों का संरक्षण 1.2.2.1 (पोर्टफोलियो) नैतिकता और गोपनीयता – संरक्षण की आचार संहिता	2.1.2.1 समुदायों और समूहों का सशक्तिकरण (पोर्टफोलियो) 2.1.2.2 दिव्यांग सशक्त रोल मॉडलों को सुनना और उनके प्रेरक संस्मरणों को लेखबद्ध करना (पोर्टफोलियो)
बुधवार	2.3.1.1 सीबीआईडी रिपोर्टिंग के उत्तरदायित्व और रिपोर्टिंग के फार्मेट (हर्डल)	2.3.1.1; 2.3.1.2 सर्वे / जाँचसूची के परिणामों का अर्थघटन–(इंटरप्रिटेशन) और साझा करना (हर्डल)
गुरुवार	2.2.1.1 पीआरए की अवधारणा और साधन; 2.2.1.2 व्यावहारिक सत्र – प्रशिक्षण केंद्र के संसाधनों की सूची बनाना (जर्नल)	3.1.1.1 अभिगम्य फार्मेट के बारे में जानकारी 3.1.2.1 सूचना समय पर और उपयुक्त रूप में साझा करना 3.2.1.1 प्रमाणन के प्रकार
शुक्रवार	2.2.2.1 पीआरए में 'सहभागिता' की अवधारणा; 2.2.2.2 व्यावहारिक सत्र – (पोर्टफोलियो) सहभागिता रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत करना **	3.2.1.2 प्रमाणन का पर्यवेक्षण और अंकन 3.2.2.1 प्रमाणन से पूर्व की आवश्यकताएँ और औपचारिकताएँ पूर्ण करना

टिप्पणियाँ :

*इसमें नैतिक विचार शामिल हैं –पीबी एंड आरपी का एक शीर्षक (2.3.1.1.), जिस पर यहाँ ध्यान दिया जाए।

**क्या यह सहभागिता बैठक की क्लिप देखने के साथ शुरू होता है? या डीपीओ का कोई प्रतिनिधि बताता है कि यह क्या है?

पहला चरण – तीसरा सप्ताह

ए एंड आइ

2.2.2.1	स्क्रीनिंग चेकलिस्ट – प्रकार और संदर्भीकरण
2.2.1.2	स्क्रीनिंग चेकलिस्ट –प्रायोगिक परीक्षण
2.3.1.1; 2.3.1.2	समूह हर्डल– डेटा इकट्ठा करना, सर्वे / जाँचसूची के परिणामों में अंक देना और अर्थघटन करना
3.1.1.1	अभिगम्य फार्मेट में सूचना
3.1.2.1	उपयुक्त रूप में और समय पर सूचना साझा करना
3.2.1.1	पोर्टफोलियो परियोजना : प्रमाणन के प्रकार
3.2.1.2	प्रमाणन का पर्यवेक्षण और अंक प्रदान करना
3.2.2.1	पोर्टफोलियो परियोजना : प्रमाणन से पूर्व की आवश्यकताएँ और औपचारिकताएँ पूर्ण करना

पीबी एंड आरपी

1.2.1.2	पोर्टफोलियो परियोजना : कार्यस्थल कानून और नीतियाँ– जोखिमग्रस्त बच्चों और वयस्कों का संरक्षण
1.2.2.1	पोर्टफोलियो परियोजना : नैतिकता और गोपनीयता– आचरण संहिता का संरक्षण
2.3.1.1	हर्डल कार्य – समावेशी सामुदायिक विकास रिपोर्टिंग के उत्तरदायित्व और रिपोर्टिंग के फार्मेट

आईसीडी

2.1.1.1; 2.1.1.2	समाज को संबद्ध करने, विवरण तैयार करने और जुटाने की अवधारणा
2.1.2.1	पोर्टफोलियो परियोजना : व्यक्तियों, समुदायों और समूहों का सशक्तिकरण
2.1.2.2	पोर्टफोलियो परियोजना : प्रेरक कहानियों का भावी उपयोग के लिए संग्रहण
2.2.1.1	पीआरए की अवधारणा और साधन
2.2.1.2	जर्नल कार्य – प्रशिक्षण केंद्र के संसाधनों की सूची बनाना
2.2.2.1	पीआरए में 'सहभागिता' की अवधारणा
2.2.2.2	पोर्टफोलियो परियोजना : सहभागिता रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत करने की जाँचसूची

ए एंड आई दूसरी इकाई : मूल्यांकन एवं नियोजन, मॉड्यूल 2 : भूमिका के दायरे में जाँचसूचियाँ शीर्षक 2 : जाँचसूचियों का अनुकूलन और प्रयोग

सत्र 2.2.2.1 : स्क्रीनिंग जाँचसूचियाँ –जाँचसूचियों के प्रकार और संदर्भीकरण			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : उपयुक्त जाँचसूची का चयन करने और उसे भलीभाँति प्रयोग करने की योग्यता			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	स्क्रीनिंग योजना तैयार करना	दिव्यांगता स्क्रीनिंग की योजना के लिए इनपुट • स्क्रीनिंग करने की अनुमति प्राप्त करना • स्क्रीनिंग शिविर/क्लिनिक के बारे में समुदाय में जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना • स्क्रीनिंग के साधन[5] तैयार करना जो संक्षिप्त, सरल, सांस्कृतिक दृष्टि से उपयुक्त और स्थानीय भाषा में हों • सीबीआर टीम के सदस्यों को प्रशिक्षण देना कि और अधिक जाँच की आवश्यकता वाले लोगों की पहचान कैसे करें और उन्हें सही ढंग से किस प्रकार रिकॉर्ड करें।	निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम स्थापित करना, 4 तथा संस्करण (लंकास्टर एंड ग्रिल्स, 2019)
	जाँचसूची की आवश्यकता जाँचसूची के घटक	जाँचसूची के प्रयोग का प्रदर्शन	जाँचसूची –दिव्यांगता जाँच साधन और डब्ल्यूएचओडीएएस 2.0 देखें **(परिशिष्ट 13)**
	जाँचसूची का संदर्भीकरण : जाँचसूची को अनुकूल बनाने की आवश्यकता अनुकूल बनाने की प्रक्रिया	उपलब्ध जाँचसूची की भाषा और मदों को वर्तमान संदर्भों के अनुसार अनुकूल बनाएँ– अनुकूल बनाने के सिद्धान्तों के बारे में इनपुट	
	व्यावहारिक सत्र – जाँचसूचियों को अनुकूल बनाना	• स्क्रीनिंग स्थल तक पहुँचने के लिए आवश्यक होने पर परिवहन की व्यवस्था के बारे में विचार किया जाए। • विशेष आवश्यकता वाले लोगों की सुविधा के लिए अतिरिक्त मदद, जैसे श्रवण बाधित लोगों के लिए संकेत भाषा। • पढ़ने–लिखने में कठिनाई वाले लोगों की मदद के लिए क) लिखित अभ्यास कम से कम रखना, ख) लिखित बिंदु छोटे, स्पष्ट हों और उन्हें मौखिक रूप से पूरी तरह स्पष्ट किया जाए, ग) चित्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करना, घ) निरक्षर लोगों को लिखने–पढ़ने में मदद करना • उनकी समझ की लगातार जाँच करना • श्रवण बाधित लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए क) परिवार के सदस्यों का सहयोग लेना, ख) ऊँची आवाज में धीरे–धीरे बोलना, ग) कम सुनाई देने वाले लोगों को आगे बैठाना	दिव्यांगता स्क्रीनिग साधनों को भिन्न–भिन्न प्रकार की दिव्यांगता आवश्यकता के अनुरूप अनुकूल बनाने के तरीकों पर विचार, इसमें मुद्रित सामग्री के उपयोग में आने वाली कठिनाई भी शामिल है

संदर्भ:

- https://oxfordmedicine.com/view/10.1093/med/9780198806653.001.0001/med-9780198806653-chapter-23?print=pdf
- ***ईएन शीर्षक 12:*** *जाँचसूचियों का चयन, उपयोग और संदर्भीकरण*

भारतीय पुनर्वास परिषद्

ए एंड आई दूसरी इकाई : मूल्यांकन एवं नियोजन, मॉड्यूल 2 : भूमिका के दायरे में जाँचसूचियाँ

शीर्षक 1 : जाँच की आवश्यकता

सत्र 2.2.1.2 : जाँचसूचियों की स्क्रीनिंग –प्रायोगिक परीक्षण			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : जाँचसूची की गुणवत्ता का परीक्षण			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधान**
	जाँचसूची का प्रायोगिक परीक्षण	प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण केंद्र के आसपास रहने वाले 3–5 व्यक्तियों पर अपनी अनुकूलित जाँचसूची का परीक्षण करेंगे	

ए एंड आई दूसरी इकाई : मूल्यांकन एवं नियोजन, मॉड्यूल 3 : परिणामों का निर्वचन करना, निष्कर्षों को संप्रेषित करना

शीर्षक 1 : सर्वे / जाँचसूची से प्राप्त परिणामों के आधार पर निष्कर्ष निकालना

सत्र 2.3.1.1, 2.3.1.2 : डेटा एकत्रित करना, अंक देना और सर्वे / जाँचसूची के परिणामों का अर्थघटन करना तथा व्यावहारिक सत्र			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी उपयुक्त जाँचसूची का चयन करने, उपयोग करने, अंक देने और परिणामों का तर्कसंगत अर्थ प्रस्तुत करने के अभ्यास में सहभागिता करेंगे।			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधान**
	2.3.1.1 जाँचसूचियाँ, प्रकार, उपलब्धता, सही जाँचसूची का चयन	चर्चा	भिन्न–भिन्न जाँचसूचियाँ
	जाँचसूचियों में अंक देना जाँचसूची का उपयोग करते समय और अंक देते समय ध्यान में रखने योग्य बातें	भिन्न–भिन्न जाँचसूचियों के उपयोग का प्रदर्शन	भिन्न–भिन्न जाँचसूचियाँ
	जाँचसूचियों के परिणामों का अर्थघटन करना	अलग–अलग प्रकार की भरी हुई जाँचसूचियाँ साझा करना और निष्कर्ष निकालना (समूह में या व्यक्तिश:)	द्वितीय जाँचसूचियाँ
	2.3.1.2 समूह हर्डल– जाँचसूची मूल्यांकन, अंकन और अर्थघटन का पर्यवेक्षण	प्रशिक्षणार्थियों को किसी स्थानीय दिव्यांगजन की केस स्टडी दी जाएगी। वे चर्चा कर तय करेंगे कि कौनसी जाँचसूची उपयुक्त है। इसके बाद वह व्यक्ति कक्षा में उपस्थित होगा और प्रशिक्षक द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाएगा –प्रशिक्षणार्थी परिणाम देखेंगे और अंक प्रदान करेंगे। इसके बाद परिणामों पर चर्चा कर सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशिक्षणार्थियों ने सही अर्थघटन किया है।	

संदर्भ :

- https://www.seattleu.edu/media/disability-services/CONFIDENTIALITY-OF-DISABILITY0102d7cc.pdf
- Developmental screening test by Bharat Raj (an Indian adaptation of the Vineland Social Maturity Scale)
- Family Needs Scale developed by NIMH http://www.niepid.nic.in/NIMH%20Family%20Needs%20Scheme.pdf
- *ईए शीर्षक 13 : परिणामों का अर्थघटन*

ए एंड आई तीसरी इकाई : ज्ञान, संयोजन और निर्देश (रेफरल), आसान बनाना, मॉड्यूल 1 : समय पर उपयुक्त सूचना, शीर्षक 1 : सूचना साझा करने के लिए अभिगम्य फार्मेट

सत्र 3.1.1.1/3.1.2.1 : अभिगम्य फार्मेट में सूचना और समय पर उपयुक्त सूचना का संप्रेषण			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य लक्ष्य : अभिगम्य फार्मेट में सही सूचना का संप्रेषण			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	3.1.1.1 सही सूचना क्या है?	दिव्यांगता के बारे में मनगढ़ंत बातें और तथ्य	फ्लिप चार्ट
	भिन्न–भिन्न अभिगम्य फार्मेट का परिचय	भूमिका निर्वहन	भूमिका निर्वहन की सामग्री
	3.1.2.1 भूमिका निर्वहन – अनुपयुक्त सूचना साझा करना	जैसे माता–पिता की निम्नलिखित बातों के आधार पर भूमिका–निर्वहन तैयार करना ''जब (मेरी पुत्री की) पहली बार जाँच हुई, तब हमें सर्विसेस की पूरी सूची दी गई, जो उस समय कुछ ज्यादा ही थी (और) कुछ को कुछ समय के लिए रोक लिया होता तो ज्यादा अच्छा रहता'' ''उन्होंने तत्काल कुछ सूचना भेजी, हमने उसी अनुसार कार्य किया। बाद में हमें पता चला कि वो सूचना बासी थी। इसमें बहुत समय बेकार हो गया। उन्हें हालत के बारे में पहले ही ठीक से अंदाज लगाना चाहिए था''	
	इनपुट –इसे कई प्रकार से समझा जा सकता है	सामयिक सूचना यानी – अद्यतन (बिलकुल ताजा) – पूछे गए प्रश्न का शीघ्र उत्तर – समय और जरूरत के हिसाब से उपयुक्त– यह सूचना का बोझ नहीं है व्यक्ति स्वयं अपने बारे में कुछ बता रहा हो तो उसके प्रति आदरभाव	

संदर्भ :

- https://cis-india.org/accessibility/blog/digital-accessibility-in-the-rights-of-persons-with-disabilities-act-2016
- *ईएन शीर्षक 19: संप्रेषण*

ए एंड आई तीसरी इकाई : ज्ञान, संयोजन और निर्देश (रेफरल) आसान बनाना, मॉड्यूल 2 : प्रमाणन

शीर्षक 1 : भिन्न–भिन्न प्रमाणपत्र और उनकी पूर्ति करना

सत्र 3.2.1.1. 3.2.1.2 : भिन्न–भिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र और किसी परिवार द्वारा उनकी पूर्ति का पर्यवेक्षण			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : भिन्न–भिन्न प्रमाणपत्रों में भेद करना और प्रमाणन की औपचारिकताएँ पूरी करने का कौशल विकसित करना			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	दिव्यांगजनों से संबंधित प्रमाणपत्रों के प्रकार विभिन्न प्रमाणपत्रों का महत्व	विभिन्न प्रमाणपत्रों का प्रदर्शन	प्रमाणपत्र
	प्रमाणपत्र प्राप्त करने की कार्यविधि	विविध आवेदनपत्रों का प्रदर्शन, प्रत्येक आवेदनपत्र की मानक प्रक्रिया और संलग्नकों की सूची	आवेदन पत्र **पोर्टफोलियो**– दिव्यांगता प्रमाणन के प्रलेख भरना और आवेदन पत्र की कार्यविधि **परिशिष्ट 16**
	3.2.1.2 व्यावहारिक सत्र	किसी परिवार के लिए प्रमाणपत्र की पूर्ति का प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अवलोकन और परिणामों पर चर्चा	

संदर्भ :

- http://vikaspedia.in/education/parents-corner/guidelines-for-parents-of-children-with-disabilities/disability-certificate
- *ईएन शीर्षक 20: प्रमाणपत्र और उन्हें प्राप्त करने की कार्यविधियाँ*

ए एंड आई तीसरी इकाई : ज्ञान, संयोजन और निर्देश (रेफरल) आसान बनाना, मॉड्यूल 2: प्रमाणन

शीर्षक 2 : प्रमाणन से पूर्व की आवश्यकताएँ और पात्रता

सत्र 3.2.2.1 : विभिन्न प्रमाणपत्र प्राप्त करने के मानदंड और पात्रता, जो पहले से पूरे होने चाहिए			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : बताने की स्थिति में होना कि किसी प्रमाणपत्र को प्राप्त करने से पहले कौन सी आवश्यकताएँ पूरी करनी होंगी			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	निर्दिष्ट दिव्यांगता प्रमाणपत्र के साथ ही दिव्यांगता प्रमाणपत्र, रेल रियायत, यात्रा रियायत, यूडीआइडी, दिव्यांगता पहचान पत्र	प्रशिक्षणार्थी निर्दिष्ट दिव्यांगता प्रमाणपत्र देखते हैं और पात्रता की पूर्व–आवश्यकताओं (प्रिरिक्टिजिट) के बारे में चर्चा करते हैं	निर्दिष्ट दिव्यांगता प्रमाणपत्र
	सामान्य प्रमाणपत्र और पैन, आधार, बीपीएल, प्रमाणपत्र, राशन कार्ड तथा ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने की कार्यविधियाँ	विभिन्न सामान्य प्रमाणपत्रों और औपचारिकताओं को पूरा करने का प्रदर्शन	सामान्य प्रमाणपत्र
	मूल्यांकन	प्रशिक्षणार्थी पात्रता के विवरणों और पहले से आवश्यक बातों की तालिका बनाएंगे।	**पोर्टफोलियो– पूर्ण करना** **परिशिष्ट 16**

संदर्भ :

- https://uidai.gov.in/
- http://www.disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/RPWD%20ACT%202016.pdf
- http://www.swavlambancard.gov.in
- http://www.iitg.ac.in/eo/sites/default/files/railwayConcessionForm.pdf
- *ईएन शीर्षक 20: प्रमाणपत्र और उन्हें प्राप्त करने की कार्यविधियाँ*

पीबी एंड आरपी पहली इकाई: भूमिकाएँ और अपेक्षाएँ तथा उत्तरदायित्व पूरे करना, मॉड्यूल 2: विधि और नीतिपूर्वक कार्य, शीर्षक 1: कार्यस्थल से संबंधित कानून और नीतियाँ

सत्र 1.2.1.2 : कार्यस्थल से संबंधित कानून और नीतियाँ 2–जोखिमग्रस्त बच्चों और वयस्कों को संरक्षण*			
पहला चरण, सत्र क्रमांक :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थीगण सीबीआईडी कार्यकर्ता के लिए निर्धारित सदाचार के नियमों (संस्थान और समुदाय दोनों से संबंधित) की व्याख्या और पालन करेंगे।			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	विभिन्न सत्रों का सार	कुछ प्रश्न पूछें	
	अनुकरण घटना प्रबंधन (सिम्युलेशन इंसिडेंट मेनेजमेंट) – बाल संरक्षण में सामने वाले जोखिम या स्थिति का व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत करें	समूह कार्य : प्रशिक्षणार्थियों को दिव्यांग बच्चों से दुर्व्यवहार के बारे में समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया से जानकारी एकत्रित करने का कार्य दिया जा सकता है। वे घटना पर और उससे जुड़े संरक्षण संबंधी मामलों पर विचार करें	फ्लिपचार्ट पेन कागज पोस्ट–इट्स्
	बाल संरक्षण जोखिम का विश्लेषण और जोखिम कम करना	विचार–मंथन– बच्चों के सामने विभाग/निश्चित कार्यक्रम की जोखिम किस सीमा तक रहती है, इसका पता लगाना और यह जोखिम किस प्रकार कम की जा सकती है।	फ्लिपचार्ट पेन कागज पोस्ट–इट्स्

* यह पहले सप्ताह के इनपुट 1.2.1.2. से आगे का है

	व्यावहारिक सत्र 1, दूसरा चरण		
	बच्चे की भाँति सोचना – आधार बनाना और हमारी सेवाओं का उपयोग करने वाले बच्चों के अनुभवों के प्रति तदनुभूति और जागरूकता विकसित करना।	स्व–विचार अभ्यास – बचपन के अनुभव की झलक	
	अनुकरण घटना प्रबंधन	समूह कार्य चिंतन– बाल संरक्षण में आने वाले जोखिम या स्थितियों के बारे में व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत करना।	
	जोखिम मूल्यांकन के अनुकृत (सिम्युलेटेड) अभ्यास	दो–दो के समूह में कार्यक्रम : संरक्षण जोखिम मूल्यांकन का अभ्यास (जोखिमग्रस्त बच्चे)	**पोर्टफोलियो–** संरक्षण जोखिम मूल्यांकन फाइल **परिशिष्ट 17**
	व्यावहारिक सत्र 2, दूसरा चरण		
	जोखिम मूल्यांकन में अनुकृत (सिम्युलेटेड) अभ्यास प्रशिक्षणार्थियों को चर्चा के लिए केस स्टडी/कथानक देना	दो–दो के समूह में कार्य करना : संरक्षण जोखिम मूल्यांकन का अभ्यास करना क. जोखिमग्रस्त बालक ख. जोखिमग्रस्त वयस्क	

संदर्भ :

- *ईएन शीर्षक 4: कार्यस्थल संबंधी नियम और नीतियाँ*

पीबी एंड आरपी पहली इकाई : भूमिकाएँ और अपेक्षाएँ तथा उत्तरदायित्व पूरे करना, मॉड्यूल 2 : विधि और नीतिपूर्वक कार्य, शीर्षक 2 : आचरण संहिता और गोपनीयता

सत्र 1.2.2.1 : नैतिकता और गोपनीयता			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी स्पष्ट कर सकेंगे कि अपेक्षित नैतिक ढाँचे में वे किस प्रकार कार्य करेंगें और सूचनाओं की गोपनीयता किस प्रकार बनाए रखेंगे।			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	भूमिका *प्रशिक्षणार्थियों को नीतिपूर्ण व्यवहार के लिए सचेत करना*	कोई कहानी सुनाना या पढ़ना (वास्तविक या वास्तविक लगने वाली) जिसमें नैतिकता के कुछ अच्छे और बुरे उदाहरण हों और फिर कक्षा में चर्चा हो: सीबीआईडी कार्यकर्ता द्वारा इस व्यक्ति से संपर्क के तरीके में अच्छी बात क्या थी? कार्यकर्ता इससे अलग क्या कर सकता था?	कहानी
	सीबीआईडी कार्यकर्ता के लिए आचरण संहिता' जैसे सीबीएम का संरक्षण व्यवहार कोड, जोखिमग्रस्त बच्चे और वयस्क (2018) की पीपीटी 14–15	हैंडआउट दें और प्रशिक्षणार्थियों को आचरण संहिता के प्रत्येक पहलू पर चर्चा करने के लिए कहें।	**पोर्टफोलियो–** सीबीएम संरक्षण व्यवहार कोड फाइल करना परिशिष्ट 18 मैनुअल
	आदर किस प्रकार प्रदर्शित करें (सीबीएम से) 1. सबसे पहले योग्यता के बारे में सोचें न कि अक्षमता के बारे में। पहले व्यक्ति के बारे में सोचें, फिर अक्षमता के बारे में। 2. दिव्यांगजनों को उनके नाम से बुलाएँ। 3. दिव्यांगता के बारे में बात करते समय ध्यान रखें कि वह व्यक्तिगत, सकारात्मक और सटीक हो क. व्यक्तिगत –दिव्यांगजन कहें न कि अक्षम ख. सकारात्मक– उदाहरण के लिए 'अक्षमता से पीड़ित' है कहने के स्थान पर यह कहना बेहतर है –'अक्षम है' और 'मानसिक रूप से पिछड़ा है' कहने के स्थान पर 'सीखने में अक्षम है' कहना चाहिए। ग. सटीक – कहें कि 'व्हीलचेयर का उपयोग करता है', न कि 'व्हीलचेयर का बंदी है' या 'व्हीलचेयर से बंधा है' 4. हाथ मिलाकर अभिवादन करना अच्छा है, जैसा आप किसी भी अन्य व्यक्ति से करते हैं, किंतु ध्यान रखें कि कुछ प्रकार की शारीरिक अक्षमता उत्तर में हाथ बढ़ाने में अवरोधक होती है। 5. अपनी सामान्य आवाज में ही बात करें। ज्यादा जोर से न बोलें। आपकी बात सुनाई न देने पर सामने वाला आपको बता देगा।	विचार–मंथन हम दिव्यांगजन के प्रति किस प्रकार आदर दर्शा सकते हैं? प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उनके सोचे पॉइन्ट बता देने के बाद प्रशिक्षक बाईं ओर दिए गए बिंदुओं में से कोई बिंदु छूटा हो तो उसकी चर्चा करे।	व्हाइट बोर्ड

समय	विषय–वस्तु	गतिविधियाँ	संसाधन
	6. दिव्यांगजन भी सामान्य लोगों की पसंद के विषयों पर बात करने में रुचि रखते हैं। 7. सभी प्रकार के साधन, जैसे लाठी, वार्किंग फ्रेम, व्हीलचेयर और कम्युनिकेशन बोर्ड निजी संपत्ति होते हैं। उन्हें छूना नहीं चाहिए और जब तक कहा न जाए, इधर–उधर नहीं करना चाहिए। 8. दिव्यांगता होने पर भी वयस्कों से वयस्कों की तरह का व्यवहार करें। 9. हमेशा मदद की पेशकश कर उत्तर की प्रतीक्षा करें। हड़बड़ी में वैसा कुछ न करें जिसे आप मदद समझते हों –हो सकता है उससे कोई मदद न हो। कई अक्षमताएँ छुपी हुई होती हैं। कुछ भी मान कर न चलें बल्कि समझने की कोशिश करें।		
	सहमति जब भी हम दिव्यांगजन के लिए कुछ कार्य कर रहे हों, तब उसकी सहमति महत्वपूर्ण होती है। जहाँ तक हो सके व्यक्ति को बिलकुल आसान भाषा में बता देना चाहिए कि आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद उनकी सहमति ली जानी चाहिए। इलाज, डेटा इकट्ठा करने और फोटो लेने आदि के लिए सहमति आवश्यक होती है। अधिकांशतः मौखिक स्वीकृति पर्याप्त होती है। लिखित स्वीकृति की आवश्यकता वाली स्थितियों को स्पष्ट करें। साथ ही, यह भी बताएँ कि किन स्थितियों में दिव्यांगजन के बजाय रिश्तेदार की सहमति लेनी होगी।	अनुदेशक बातचीत करते हुए स्पष्टीकरण देता जाता है।	
	गोपनीयता : गोपनीयता का मतलब है निजी जानकारी गुप्त रखना। सीबीआईडी कार्यकर्ता के रूप में आपको दिव्यांगजनों और उनके परिवारों के बारे में ऐसी जानकारी दी जाएगी, जो आपको सुरक्षित रखनी होगी। लोग आप पर भरोसा कर अपनी निजी जानकारी देंगे, जो आपको किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। यह सीखें कि ऐसी सूचनाएँ कब किसी अन्य को देनी है सीबीआईडी टीम के अन्य सदस्य या पर्यवेक्षक के साथ सूचना साझा करने के लिए अनुमति लेना चाहिए।	किसी शीर्षक के आधार पर चर्चा कि कौन सी जानकारी गुप्त होती है और कौनसी बेरोक साझा की जा सकती है	कोई शीर्षक हैंड आउट के रूप में या मैनुअल में से

संदर्भ :

- *CBM 2018 Children and Adults-at-Risk: Safeguarding Policy (pp14-15) – https://www.cbm.org/fileadmin/user upload/CBM Safeguarding Policy 2018.pdf
- https://www.cbm.org/fileadmin/user upload/Publications/CBM-DID-TOOLKIT-accessible.pdf p28
- *ईएन शीर्षक 5: आचरण संहिता, सहमति और गोपनीयता*

पीबी एंड आरपी दूसरी इकाई : कार्यों और उत्तरदायित्वों की रचना और प्रबंध

मॉड्यूल 3 : प्रलेखन और रिपोर्टिंग, शीर्षक 1 : रिपोर्टिंग के फार्मेट

सत्र 2.3.1.1 : रिपोर्टिंग – सीबीआईडी उत्तरदायित्व और रिपोर्ट के फार्मेट			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी कोई एक मानक सीबीआईडी रिपोर्ट समूह में पूर्ण करते हैं।			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	रिपोर्ट लेखन की भूमिका	**पॉवर पॉइन्ट प्रस्तुति :** मूलभूत बातें : 1 नाम, तारीख, कार्यक्रम के मुख्य कार्मिक, रिपोर्टकर्ता; 2 प्रयोजन का विवरण और कार्यक्रमों या स्थिति का क्रमवार वर्णन 3 कार्यक्रम या स्थिति के महत्व की व्याख्या 4 पर्यवेक्षण के बारे में टिप्पणियाँ, जिसमें त्वरित मूल्यांकन के तथ्य और परिणाम शामिल हो 5 भावी कार्रवाई के संभावित परिणाम 6 भावी कार्रवाई के लिए कार्ययोजना के रूप में सिफारिशें और संदर्भ 7 कोई अन्य निष्कर्षात्मक टिप्पणी **निम्नलिखित का महत्व फिर से वताएँ** – स्पष्टता और संक्षिप्तता – भाषा की सरलता – बुलेट पॉइन्ट का उपयोग	पेन कागज एलसीडी प्रोजेक्टर और स्क्रीन केस स्टडी
	समूह हर्डल – रिपोर्ट तैयार करना	प्रशिक्षक रिपोर्टिंग के लिए समूहों को 4 कथानक (सिनेरियो) देगा समूह मूलभूत बिंदुओं को विभिन्न शीर्षकों/उप–शीर्षकों के अंतर्गत रखने पर चर्चा करेगा और रिपोर्ट तैयार करेगा	सीबीआईडी रिपोर्ट **परिशिष्ट 19**

संदर्भ :

- *ईएन शीर्षक 6: रिपोर्टिंग के फार्मेट*

आईसीडी दूसरी इकाई : समुदाय को संबद्ध करना और विवरण तैयार करना, मॉड्यूल 1: सहभागितापूर्ण और आस्ति–आधारित दृष्टिकोण का पता लगाना, शीर्षक 1 : समुदाय संबद्धता की अवधारणा

सत्र 2.1.1.1 : समुदाय संबद्धता की अवधारणा, प्रकार और सिद्धान्त			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी समुदाय संबद्धता की अवधारणा और घटकों का पता लगाएंगे			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	संबद्धता : आवश्यकता, अर्थ और अवधारणा	संबद्धता पर व्याख्यान/ प्रस्तुति/ समूह चर्चा	प्रोजेक्टर पीपीटी चार्ट पेपर ग्लू स्टिक
	समुदाय संबद्धता के प्रकार निम्नलिखित पर फोकस • सामुदायिक विकास या सामुदायिक संरचना • परामर्श में समुदाय की सहभागिता • संगठनों, प्रशासन आदि को उनकी सेवाओं में सुधार के लिए सहयोग • सामाजिक परिवर्तन – आंदोलन या समुदाय आधारित संगठनों के कार्यों का एक अंग	पॉवर पॉइन्ट प्रस्तुति उदाहरण सहित	लैपटॉप और पीपीटी
	समुदाय संबद्धता के सिद्धान्त • नियोजन और तैयारी • समावेशन और जनसांख्यिकीय विभेद • सहयोग और साझा प्रयोजन • सीखने की तैयारी • पारदर्शिता और विश्वास • प्रभाव और कार्य • संबद्धता बनाए रखना	समूह चर्चा समुदाय संबद्धता संबंधी अभ्यास/खेल	स्थानीय संसाधन

संदर्भ :

- https://www.futurelearn.com/courses/global-disability/0/steps/37611
- https://www.cbm.org/fileadmin/user upload/Publications/CBM-DID-TOOLKIT-accessible.pdf
- *ईएन शीर्षक 4: समुदाय की संबद्धता में सहभागितापूर्ण और आस्ति आधारित दृष्टिकोण*

आईसीडी दूसरी इकाई: समुदाय को संबद्ध करना और विवरण तैयार करना, मॉड्यूल 1: सहभागितापूर्ण और आस्ति–आधारित दृष्टिकोण का पता लगाना, शीर्षक 1 : समुदाय संबद्धता की अवधारणा

सत्र 2.1.1.2 : संसाधन जुटाना, हितधारक (स्टेकहोल्डर) विश्लेषण और सहभागिता			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी समुदाय के विभिन्न संसाधनों को वर्गीकृत और श्रेणीकृत करेंगे, हितधारकों की पहचान करेंगे और सामुदायिक सहभागिता में उनकी भूमिका का वर्णन करेंगे			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	संसाधन : प्राकृतिक स्थानीय प्रशासन मानवीय भौतिक सामाजिक सामुदायिक पारिवारिक	सहभागियों के चार समूह बनाएँ। हर समूह उपलब्ध संसाधनों की पहचान कर मेटा कार्ड पर लिखता है और चार्ट पेपर पर चिपका देता है। इसके बाद इन कार्डों को संसाधनों के प्रकार (जैसे प्राकृतिक, स्थानीय, प्रशासनिक, मानवीय, भौतिक, सामुदायिक, सामाजिक) के अनुसार रखा जाता है।	मेटा कार्ड चार्ट पेपर पेन ग्लू स्टिंक
	हितधारक और उनके प्रकार। हितधारक विश्लेषण ग्रिड जिसमें ध्यान देने योग्य मुद्दे, लक्ष्य और प्रश्न शामिल रहते हैं	उन्हीं समूहों का उपयोग करते हुए प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हितधारकों के बारे में समझाया जाता है। इसके बाद समूह हितधारकों की पहचान कर मेटा कार्ड पर लिखते हैं और समूह की प्रस्तुति देते हैं	स्टेकहोल्डर ग्रिड का फार्मेट
	संसाधनों, हितधारकों को संबद्ध करना	प्रशिक्षक सामुदायिक संसाधनों को हितधारकों को समझायेगा और उन्हें रंरेखित करेगा और हितधारकों का विश्लेषण ग्रिड शुरू करके समाधान खोजने के लिए जोड़ देगा।	बोर्ड और मार्कर

संदर्भ :

- Leleaetal.2014 Stateholder Guide.pdf
- https://www.researchgate.net/profile/Anja Christinck/publication/280234554 Methodologies for Stakeholder Analysis - for Application in Transdisciplinary Research Projects Focusing on Actors in Food Supply Chains/links/55ae5f3208aed614b09a6b7b/Methodologies-for-Stakeholder-Analysis-or-Application-in-Transdisciplinary-Research-Projects-Focusing-on-Actors-in-Food-Supply-Chains.pdf?origin=kpublication detail
- *ईएन शीर्षक 4: समुदाय की संबद्धता में सहभागितापूर्ण और आस्ति आधारित दृष्टिकोण*

आईसीडी दूसरी इकाई : समुदाय को संबद्ध करना और विवरण तैयार करना, मॉड्यूल 1: सहभागितापूर्ण और आस्ति–आधारित दृष्टिकोण का पता लगाना, शीर्षक 2 : समुदायों और समूहों का सशक्तिकरण

सत्र 2.1.2.1 : सशक्तिकरण का महत्व और स्तर			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी सशक्तिकरण की अवधारणा और स्तरों की खोज और वर्णन करेंगे			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	किन अवसरों और संसाधनों का उपयोग किया गया और कौनसी समस्याएँ हल की गईं?	एफ.पी.ओ. की केस स्टडी सहयोग/डीपीओ	डॉक्यूमेंटरी/ केस स्टडी मेटा कार्ड
		सभी प्रशिक्षणार्थी अपने मेटा कार्ड पर अपने उत्तर लिखकर मेटा कार्ड को चार्ट पर चिपकाएंगे	डॉक्यूमेंटरी/ केस स्टडी मेटा कार्ड
	सशक्तिकरण के भिन्न–भिन्न स्तर	क) वैयक्तिक : प्रस्तुति + केस स्टडी ख) परिवार / समूह : प्रस्तुति + केस स्टडी ग) संगठन : प्रस्तुति + केस स्टडी घ) संस्थान : प्रस्तुति + केस स्टडी	वैयक्तिक सशक्तिकरण के बारे में – ट्रोन्टो के केअर मॉडल के माध्यम से सशक्तिकरण (1994) आपके **पोर्टफोलियो** में फाइल करें **परिशिष्ट 20**: • **संबंधों को सशक्त बनाने के बारे में पाँच नैतिक तत्वों के उदाहण दिए गए हैं :** 1) ध्यान देना (दूसरों की जरूरतें पहचानना, इसके लिए स्वयं के लक्ष्यों, आकांक्षाओं, जीवन की योजनाओं और चिंताओं को लंबित रखना) 2) उत्तरदायित्व (जिन्हें सहारे की आवश्यकता है, उनके प्रति बाध्यता या कानूनी कर्तव्य से बढ़कर उनकी देखरेख करना 3) सक्षमता (देखरेख और फिर जरूरते पूरी करना) 4) संवेदनशीलता (सुनिश्चित करना कि जिसे जरूरत है, उसके हिसाब से ही उसकी जरूरतें पूरी की जा रही हैं, और 5) सदाशयता (उक्त सभी तत्वों का महत्व इसमें है कि वे आपस में इस प्रकार मिल जाएँ कि 'उत्तम' देखरेख का प्रयोजन पूरा हो जाए।

संदर्भ :

- http://siteresources.worldbank.org/INTEMPOWERMENT/Resources/41307 wps3510.pdf
- http://siteresources.worldbank.org/WBI/Resources/EmpowermentLearningModulebody.pdf
- https://iep.utm.edu/care-eth/ (Care Ethics & discusses Tronto)
- *ईएन शीर्षक 4: समुदाय की संबद्धता में सहभागितापूर्ण और आस्ति आधारित दृष्टिकोण*

आईसीडी दूसरी इकाई : समुदाय को संबद्ध करना और विवरण तैयार करना, मॉड्यूल 1: सहभागितापूर्ण और आस्ति–आधारित दृष्टिकोण का पता लगाना, शीर्षक 2 : समुदायों और समूहों का सशक्तिकरण

सत्र 2.1.2.2 : सशक्तता प्राप्त पक्ष–पोषकों और रोल मॉडलों की कहानियाँ			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी सशक्त हुए पक्ष–पोषकों का साक्षात्कार लेकर उनसे जानते हैं कि प्रभावोत्पादकता / सशक्तिकरण की समझ कैसे विकसित होती है			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	सशक्तिकरण करना	सशक्त हुए पक्ष–पोषकों / रोल मॉडलों से आमने–सामने की बातचीत कर समझना कि प्रभावोत्पादकता या सशक्तिकरण की समझ कैसे प्राप्त होती है	दिव्यांगता का अनुभव रखने वाले और अब सशक्त हुए पक्ष–पोषक साक्षात्कार का प्रोफार्मा **परिशिष्ट 21** – **प्रश्नों के कुछ उदाहरण :** • निःशक्त अवस्था कैसी लगती थी, • सशक्तिकरण पनपने की कहानी, • सशक्त व्यक्ति/समूह कहाँ पहुँच सकते हैं, • किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, • इन मुश्किलों पर कैसे जीत प्राप्त की • सशक्तिकरण को कैसे बनाए रखा • बाहरी सीबीआईडी कार्यकर्ता की क्या भूमिका है? पोर्टफोलियो परियोजना– इन कहानियों को लेखबद्ध कर दूसरों को उपलब्ध कराएँ

संदर्भ :

आईसीडी दूसरी इकाई : समुदाय को संबद्ध करना और विवरण तैयार करना, मॉड्यूल 2: समुदाय दृष्टिकोण की योजना और अमल, शीर्षक 1 : पीआरए/पीएलए की अवधारणा और साधन

सत्र 2.2.1.1 : समुदाय संबद्धता के लिए पीआरए (अब पीएलए) की अवधारणा और साधन			
पहला चरण, सत्र संख्या ;			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी समुदाय संबद्धता के साधनों का पता लगाकर उन पर चर्चा करते हैं			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	पीआरए/पीएलए क्यों पीआरए/पीएलए के सिद्धांत समुदाय संबद्धता के लिए पीआरए/पीएलए के साधन विचार–मंथन, केस स्टडी, हिताधिकारी विश्लेषण (13 साधन)	प्रशिक्षणार्थियों को पीआरए/पीएलए की मूलभूत बातें बताकर प्रारंभिक अभ्यास में इसकी कड़ी सुनिश्चित की जाती है। प्रस्तुति और बातचीत द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि प्रशिक्षणार्थी पीआरए/पीएलए का महत्व समझ चुके हैं। पार्टिसिपेटरी लर्निंग इन एक्शन (पीएलए) : यह इसी प्रकार के दृष्टिकोणों और पद्धतियों के लिए व्यापक शब्द है। इसमें पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेज़ल (पीआरए), रैपिड रूरल अप्रेज़ल (आरआरए), पार्टिसिपेटरी लर्निंग मेथड्स् (पीएएलएम), पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च (पीएआर) फार्मिंग सिस्टम रिसर्च (एफएसआर), मेथड एक्टिव डि रिचर्चे एट डि प्लानिफिकेशन पार्टिसिपेटिव (एमएआरपी) और कई अन्य शामिल हैं। समान विषय यही है कि लोग अपनी जरूरतों और अवसरों को जानने और उन्हें पूरा करने में पूरी तरह सहभागी बनें पीआरए/पीएलए के साधनों के बारे में प्रस्तुति और मैनुअल तथा गाँव/समुदाय के परिवेश के उदाहरण देकर समझाया जाता है।	पॉवर पॉइन्ट चार्ट पीआरए/पीएलए की मूलभूत बातों के बारे में हैंडआउट

संदर्भ :

- Participatory Rural Appraisal (PRA)/ Participatory Learning and Action (PLA)
- Disability KAR (Knowledge & Research) & Manual; PRA Manual: FAO
- https://pubs.iied.org/search/?s=kPLA; https://www.iied.org/participatory-learning-action
- *ईएन शीर्षक 5 : सहभागितापूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन / सहभागितापूर्ण ज्ञानार्जन एवं कार्यवाही (पीआरए/पीएलए)*

आईसीडी दूसरी इकाई: समुदाय को संबद्ध करना और विवरण तैयार करना, मॉड्यूल 2: सामुदायिक दृष्टिकोणों की योजना और अमल, शीर्षक 1: पीआरए/पीएलए की अवधारणा और साधन

सत्र 2.2.1.2 : संसाधन मूल्यांकन अभ्यास			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी अपने प्रशिक्षण केंद्र के संसाधनों का मूल्यांकन करते हैं और उन्हें व्यवस्थित करते हैं			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	भूमिका : पर्यवेक्षण का महत्व, संसाधन की सूची बनाने के लिए संप्रेषण	प्रशिक्षणार्थियों को कहा जाता है कि वे समूह में नहीं बल्कि अकेले परिसर का चक्कर लगाएँ और देखें या स्वयं से प्रश्न करें कि कहाँ क्या संसाधन, कौन लोग उपलब्ध हैं और अपने अनुभव रिकॉर्ड करें।	ज्ञानार्जन जर्नल **अभ्यास 7** **परिशिष्ट 22**
		वापस आने पर उन्हें अपनी देखी बातों को व्यवस्थित रूप देना होता है। एक–दो प्रशिक्षणार्थियों को अपने अनुभव बताने के लिए बुलाया जाता है। दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बल दिया जाता है कि प्रशिक्षणार्थियों को जानकारी कैसे प्राप्त हुई और उसे उन्होंने सार्थक रूप किस प्रकार दिया (जर्नल कार्य)	

संदर्भ :

- Disability KAR (Knowledge & Research) & Manual
- PRA Manual: FAO
- *ईएन शीर्षक 5: पीआरए/पीएलए*

आईसीडी दूसरी इकाई : समुदाय को संबद्ध करना और विवरण तैयार करना, मॉड्यूल 2: समुदाय दृष्टिकोण की योजना और अमल, शीर्षक 2 : पीआरए/पीएलए में सहभागिता

सत्र 2.2.2.1 : सहभागितापूर्ण रिपोर्टिंग की तैयारी; 'सहभागिता'' की अवधारणा			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी पीआरए को सहभागितापूर्ण रीति से रिपोर्ट करने की तैयारी करते हैं			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	परिचय	प्रशिक्षक तीन प्रशिक्षणार्थियों को बुलाकर विचार–मंथन कराते हैं और पिछले सत्र में सीखी बातों को दोहराते हैं	फ्लिप चार्ट पेन
	पीआरए के परिणाम समुदाय के साथ सहभ. ागितापूर्ण रीति से साझा करने की पद्धतियाँ	प्रशिक्षक समावेशी, सहभागितापूर्ण सामुदायिक साझेदारी सुनिश्चित करने के बारे में दिशानिर्देश देते हैं	सहभागितापूर्ण साझेदारी के दिशानिर्देश ईएन शीर्षक 4 में दिए गए हैं
	समूह चर्चा और प्रस्तुति के लिए तैयारी	प्रशिक्षणार्थी तीन समूह बनाते हैं और हर समूह पीआरए परिणामों को सहभागितापूर्ण तथा समावेशी रीति से सुपुर्द करने के तरीकों के बारे में चर्चा करता है	पॉवर पॉइन्ट चार्ट पीआरए की मूलभूत बातों पर हैंडआउट मैनुअल

*यूनिट–4 मॉड्यूल 2 शीर्षक 1 और 2 में बताए पीआरए साधन और तकनीक से साथ संयुक्त

संदर्भ :

- *ईएन शीर्षक 4: समुदाय संबद्धता के सहभागितापूर्ण और आस्ति आधारित दृष्टिकोण*

आईसीडी दूसरी इकाई : समुदाय को संबद्ध करना और विवरण तैयार करना, मॉड्यूल 2: समुदाय दृष्टिकोण की योजना और अमल, शीर्षक 2 : पीआरए/पीएलए में सहभागिता

सत्र 2.2.2.2 : पोर्टफोलियो परियोजना : सहभागितापूर्ण रिपोर्टिंग की जाँचसूची			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी पीआरए की सहभागितापूर्ण रीति से रिपोर्ट करने की तैयारी करते हैं			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	सहभागितापूर्ण रिपोर्टिंग	इसे स्पष्ट करने के लिए स्थानीय डीपीओ के सदस्यों को आमंत्रित करें	
	सहभागितापूर्ण रीति से रिपोर्टिंग	प्रशिक्षणार्थी सहभागितापूर्ण बैठक का क्लिप देखते हैं। वे ईएन शीर्षक में दिए गए सहभागितापूर्ण शेरिंग के दिशानिर्देश का प्रयोग कर रिपोर्ट तैयार करते हैं। जरूरत के अनुसार बिंदुओं की व्याख्या करते हैं	

संदर्भ :

- *ईएन शीर्षक 4: समुदाय संबद्धता के सहभागितापूर्ण और सम्पति आधारित दृष्टिकोण*

भारतीय पुनर्वास परिषद्

चौथा सप्ताह

चौथा सप्ताह	प्रथम चरण प्रशिक्षण केंद्र – इनपुट	
	पूर्वाह्न	अपराह्न
सोमवार	4.1.1.1/4.1.1.2 सीबीआईडी मैट्रिक्स और अपवर्जन (एक्स्क्लुज़न) दूर करने में मैट्रिक्स का उपयोग (हर्डल)	2.2.3.1 सहभागितापूर्ण सामुदायिक बैठकें
मंगलवार	2.1.1.1; 2.1.1.2 कार्ययोजना की भूमिका और सीबीआईडी कार्यों की योजना	2.2.3.2 व्यावहारिक सत्र (पोर्टफोलियो) स्थानीय संदर्भ में सहभागिता बढ़ाने के लिए स्थानीय दिशानिर्देश
बुधवार	1.3.1.1; 1.3.1.2 सीबीआईडी टीम और अन्य टीम की भूमिकाएँ*	3.3.1.1 (पोर्टफोलियो) बहुविषयी टीम के सदस्यों की भूमिकाएँ और रेफरल की प्रक्रियाएँ 4.2.1.1 बाल विकास की अवस्थाएँ
गुरुवार	3.1.1.1 पंचायती राज प्रणाली और सेवाओं की सुपुर्दगी (हर्डल) 3.2.3.1 सेवा प्रदान करने से संबंधित कमियों और समस्याओं का पता लगाना	4.3.1.1 एडीआईपी योजना
शुक्रवार	3.1.1.1; 3.1.1.2 कार्यस्थल पर सुरक्षा 3.1.2.1 महिलाओं की सुरक्षा, कुशलक्षेम और चुनौतियाँ	दूसरे चरण के कार्य की तैयारी – चर्चा, चेक–इन** यहाँ पर पीबी एंड आरपी 1.1.3.2 – दिव्यांगजनों के साथ कार्य में वैयक्तिक संरचना के प्रभाव को साझा करना – शामिल करें

*बहुविषयी टीम (3.3.1.1) के बारे में ए एंड आइ चर्चा के समय इसे बताया जाए

**पहले चरण के अंत में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी का साक्षात्कार होना चाहिए – उन्हें कैसा लगा, कोई प्रश्न या चिंता, और अब तक हुई प्रगति तथा सबल पक्ष या जहाँ परिश्रम की आवश्यकता है आदि के बारे में अनौपचारिक मूल्यांकन

पहला चरण – चौथा सप्ताह

ए एंड आई

4.1.1.1/4.1.1.2	हर्डल कार्य – सीबीआईडी मैट्रिक्स और अपवर्जन (एक्सक्लूज़न) दूर करने में मैट्रिक्स का उपयोग
3.3.1.1	पोर्टफोलियो : बहुविषयी टीम के सदस्यों की भूमिकाएँ और रेफरल की प्रक्रियाएँ
4.2.1.1	पोर्टफोलियो : बाल विकास की अवस्थाएँ और विकास में विलंब संबंधी जाँचसूची
4.3.1.1	एडीआईपी योजना – (दिव्यांगजनों की सहायता) – सहायक वस्तुओं की खरीद/फिटिंग

पीबी एंड आरपी

2.1.1.1; 2.1.1.2	कार्य योजना की भूमिका, सीबीआईडी कार्यों की योजना
1.3.1.1; 1.3.1.2	हर्डल कार्य – सीबीआईडी टीम और अन्य टीम के सदस्यों की भूमिकाएँ
3.1.1.1; 3.1.1.2	कार्यस्थल, यात्रा और समुदाय की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा बनाए रखना
3.1.2.1	महिलाओं की सुरक्षा और कुशलक्षेम तथा चुनौतियाँ
1.1.3.2	दिव्यांगजनों के साथ कार्य पर वैयक्तिक संरचना का प्रभाव – झलक

आईसीडी

2.2.3.1	सहभागितापूर्ण सामुदायिक बैठकें
2.2.3.2	पोर्टफोलियो : सहभागिता बढ़ाने के लिए स्थानीय दिशानिर्देश
3.1.1.1	हर्डल कार्य – पंचायती राज प्रणाली और सेवा–सुपुर्दगी
3.2.3.1	सेवाएँ प्रदान करने संबंधी कमियों और समस्याओं का पता लगाना

ए एंड आई चौथी इकाई : सपोर्ट और बहुक्षेत्रीय मध्यस्थता, मॉड्यूल 1 : भूमिका के दायरे में मध्यस्थता, शीर्षक 1 : सीबीआईडी मैट्रिक्स का दायरा

सत्र 4.1.1.1/4.1.1.2 : सीबीआईडी मैट्रिक्स			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी सीबीआर मैट्रिक्स के दायरे और अपवर्जन दूर करने में इसके उपयोग को समझ सकेंगे			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	4.1.1.1 सीबीआर मैट्रिक्स का परिचय	सीबीआर मैट्रिक्स के इतिहास और महत्व की प्रस्तुति	प्रोजेक्टर और स्क्रीन
	मैट्रिक्स का प्रयोग	सीबीआर मैट्रिक्स पर चर्चा और सीबीआईडी कार्यों में इसका महत्व	प्रोजेक्टर और स्क्रीन
	सीबीआर मैट्रिक्स के घटकों का विवरण	समूह कार्य : सीबीआर मैट्रिक्स के खाली ढाँचे को विभिन्न घटकों से भरना	कागज और पेन
	4.1.1.2 व्यावहारिक सत्र	प्रशिक्षणार्थी दो–दो का समूह बनाकर केस स्टडी लेंगे और स्थिति के अनुरूप मैट्रिक्स के घटकों पर विचार करेंगे। वे एक तालिका तैयार करेंगे, जिसमें सामुदायिक सेवाओं के प्रकार, पहले चार क्षेत्रों के प्रमुखों के नाम और समानतापूर्ण सहभागिता में बाधक मसलों को रखेंगे और विचार करेंगे कि पाँचवे क्षेत्र – सशक्तिकरण – के घटकों का उपयोग करते हुए व्यक्ति के सशक्तिकरण में किस प्रकार सहयोग दिया जा सकता है।	ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों की केस स्टडी की रेंज जो मैट्रिक्स के विभिन्न क्षेत्रों में पहुँचना चाहते हैं हर्डल **उत्तर लिखने की तालिका** परिशिष्ट 23

संदर्भ :

- https://www.who.int/disabilities/cbr/matrix/en/
- *ईएन शीर्षक 23: सीबीआईडी मैट्रिक्स*

ए एंड आई चौथी इकाई : सपोर्ट और बहुक्षेत्रीय मध्यस्थता, मॉड्यूल 2 : दिव्यांग व्यक्ति के समग्र विकास को बढ़ावा, शीर्षक 2 : बहुविषयी टीम की भूमिकाएँ

सत्र 3.3.1.1 : बहुविषयी टीम के सदस्यों की भूमिका और रेफरल प्रक्रियाएँ			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : बहुविषयी टीम के विभिन्न सदस्यों की भूमिकाओं में अंतर करना, जिससे ठीक–ठीक रेफरल की क्षमता बढ़े			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	बहुविषयी टीम का परिचय : पीटी, ओटी, एसएलपी, मनोवैज्ञानिक, विशेष शिक्षक, प्रारंभिक मध्यस्थ	पीपीटी प्रस्तुति	लैपटॉप वीडियो
	बहुविषयी टीम की भूमिका	पीपीटी प्रस्तुति	लैपटॉप वीडियो
	विभिन्न विशेषज्ञों को रेफर करने की प्रक्रियाएँ	पीपीटी प्रस्तुति	**पोर्टफोलियो में रेफरल प्रक्रियाएँ होनी चाहिए**

संदर्भ :

- *ईएन शीर्षक 27: बहुविषयी टीम की भूमिकाएँ*

संदर्भ :

- **यह शीर्षक रेफरल और सिंगल विंडो प्रॉविज़न को जोड़ता है – देखें सप्ताह 9, 11–12 और 20।**

ए एंड आई चौथी इकाई : सपोर्ट और बहुक्षेत्रीय मध्यस्थता, मॉड्यूल 2 : दिव्यांग व्यक्ति के समग्र विकास को बढ़ावा, शीर्षक 1 : विकास में विलंब की जाँचसूचियाँ

सत्र 4.2.1.1 : बाल विकास की अवस्थाएँ			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी बाल विकास की अवस्थाओं को समझते हैं			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	विकास का परिचय विशिष्ट एवं असामान्य विकास	विद्यार्थियों को विषय का परिचय देना और विषय से जोड़ने के लिए उनसे लिखवाना कि वे स्वयं को बाल विकास की किस अवस्था में मानते हैं। उत्तरों को साझा करवाना और चर्चा करना।	लैपटॉप वीडियो
	विकास से संबंधित मुख्य–मुख्य पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा और प्रयोग	विद्यार्थियों को अपने विकास की जानकारी देने के लिए घर से प्रलेख और/या फोटो लाने होंगे	• पोस्टर बोर्ड या बड़ा कागज • मार्कर
	विकास की अवस्थाएँ	बाल विकास की अवस्थाएँ स्पष्ट करें	
	विकास में विलंब का पता लगाने वाली जाँचसूचियाँ	विकासात्मक जाँचसूचियों का परिचय दें, उनका उपयोग और उपयोग की आवश्यकताएँ बताएँ। सीबीआईडी फील्डवर्कर की भूमिका की चर्चा करें। डेटा इकट्ठा करने, उसकी व्याख्या करने, उसे साझा करने और परिणामों को संग्रहित करने में नैतिकता और उत्तरदायित्व की आवश्यकता के बारे में संक्षेप में बताएँ। छठे सप्ताह में इस बारे में ज्यादा विस्तार से बताया जाएगा। दूसरे चरण में प्रशिक्षणार्थी जिस नियोक्ता संगठन में जाएंगे, उसके द्वारा उपयोग की गई जाँचसूची (जाँच सूचियाँ) प्रस्तुत करें। प्रशिक्षणार्थी इन जाँचसूचियों को अपने पोर्टफोलियो में फाइल करेंगे और इनका उपयोग कर अंक देंगे।	भारत में सीबीआईडी फील्डवर्करों द्वारा प्रयोग की जा रही विभिन्न जाँचसूचियाँ

संदर्भ :

- https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones/index.html
- https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/checklists/all checklists.pdf
- *ईएन शीर्षक 26: बाल विकास*

ए एंड आई चौथी इकाई : सपोर्ट और बहुक्षेत्रीय मध्यस्थता, मॉड्यूल 3 : सहायक और पुनर्वास उपकरणों की फिटिंग और प्रशिक्षण, शीर्षक 1 : एडीआईपी योजना

सत्र 4.3.1.1 : एडीआईपी योजना (योजना के अंतर्गत उपलब्ध सहायक उपकरण)			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : एडीआईपी योजना का पर्याप्त ज्ञान			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	एडीआईपी और ऐसी ही अन्य योजनाओं का परिचय	एडीआईपी और ऐसी ही अन्य योजनाओं का ब्योरा एडीआईपी का मतलब् है – असिस्टेंस टु डिसेबल्ड परसन्स (दिव्यांगजनो की सहायता) खरीदने / फिटिंग में सहायता	प्रोजेक्टर और स्क्रीन
	एडीआईपी के अंतर्गत उपलब्ध सहायक उपकरणों का ब्योरा	प्रस्तुति : सहायक उपकरणों और उनके प्रयोग का ब्योरा	प्रोजेक्टर और स्क्रीन
	एडीआईपी योजना को एक्सेस करने की आवश्यकता	एडीआईपी योजना के एक्सेस करने की पात्रता, मानदंड और औपचारिकताओं के बारे में व्याख्यान	प्रोजेक्टर और स्क्रीन

संदर्भ :

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट, दिव्यांगजन प्रभाग, एडीआईपी योजना और संपूर्ण ब्योरा
- *ईएन शीर्षक 29: एडीआईपी योजना*

दूसरी इकाई : कार्यों और उत्तरदायित्वों का प्रबंध

मॉड्यूल 1 : कार्य–योजना तैयार करना, शीर्षक 1 : कार्य के लक्ष्य

सत्र 2.1.1.1 : कार्य योजना का परिचय			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थियों को वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करने की अपनी योग्यता दिखाने में मदद मिलेगी।			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	कार्य– योजना का अर्थ कार्य– योजना की आवश्यकता	सीबीआईडी कार्यकर्ताओं के साथ दो चर्चा बिंदुओं पर अलग–अलग विचार–मंथन कोई एक वालंटियर फ्लिपचार्ट पर बिंदु नोट कर सकता है इसके बाद पॉवर पॉइन्ट की 2 स्लाइड प्रशिक्षणार्थियों को बताई जा सकती है, ताकि और अच्छी तरह समझ सकें	फ्लिप चार्ट व्हाइट बोर्ड एलसीडी प्रोजेक्टर और स्क्रीन
	सीबीआईडी कार्यकर्ता के लिए कार्य–योजना का ढाँचा और अवयव (कांटेंट) कार्य–योजना की अवधि	कार्य–योजना के ढाँचे और कार्य–योजना के अवयव (कान्टेन्ट) के मुख्य बिंदुओं के बारे में पॉवर पॉइन्ट प्रस्तुति सीबीआईडी कार्यकर्ता के रूप में दिए गए कार्य और असाइन्मेन्ट की अवधि के आधार पर कार्य–योजना के बारे में चर्चा	एलसीडी प्रोजेक्टर और स्क्रीन फ्लिपचार्ट पेन कागज पोस्ट–इट्स्
	बज़ट और कार्मिकों का अनुमान करते हुए कार्य–योजना का प्रबंध/कार्य–योजना के अनुसार कार्य पूरा करने के लिए सहयोगियों के साथ कार्य, जोखिमों की पहचान और अनुमान	उप–शीर्षक (सब–टॉपिक) पूरा होने पर पॉवर पॉइन्ट प्रस्तुति और चर्चा	एलसीडी प्रोजेक्टर और स्क्रीन फ्लिपचार्ट पेन कागज पोस्ट–इट्स्
	निगरानी और समीक्षा का महत्व प्राथमिकता तय करने का महत्व		

संदर्भ :

ईएन शीर्षक 7: कार्य संबंधी लक्ष्य

दूसरी इकाई : कार्यों और उत्तरदायित्वों का प्रबंध

मॉड्यूल 1 : कार्य–योजना तैयार करना, शीर्षक 1 : कार्य के लक्ष्य

सत्र 2.1.1.2 : सीबीआईडी कार्य योजना

पहला चरण, सत्र संख्या :

सत्र की अवधि :

प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :

ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी विभिन्न कार्य–योजनाओं का मूल्यांकन कर देखेंगे कि उनमें कहाँ संशोधन की आवश्यकता है और कार्य–योजना के मुख्य पहलुओं को समझेंगे

समय	विषय–वस्तु	गतिविधियाँ	संसाधन
	इंटरवेंशन/कार्यक्रम/कार्य के लिए कार्य–योजना तैयार करने की भूमिका	वर्ल्ड केफे : प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के समूह बनाता है और एकत्रित की हुई अलग–अलग कार्य–योजनाएँ उनके सामने रखता है, जैसे – मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार करने के लिए कार्य–योजना – अनेक प्रकार की दिव्यांगता वाले बच्चे के शीघ्र इंटरवेंशन और स्कूल में नाम लिखाने के लिए कार्य–योजना – किसी समावेशी समूह (जिसमें दिव्यांगजन हो या न हो) के लिए कार्य–योजना, जिसे भारतीय मसाले बनाने और विपणन के लिए इकाई स्थापित करने हेतु सहयोग देना है – अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाने के लिए कार्य योजना **समूह कार्य** – कार्य–योजना के स्वरूप पर समूह द्वारा चर्चा और विचार (क्या यह बिलकुल ठीक है या और अच्छा हो सकता था?) – दिए गए परिदृश्य में इंटरवेंशन की योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं/बिंदुओं पर वृत्त खीचिए	फिलपचार्ट व्हाइट बोर्ड एलसीडी प्रोजेक्टर और स्क्रीन
		समूह की प्रस्तुतियों में आए एक समान बिंदुओं की प्रशिक्षक सूची बनाएँ और कार्य–योजना में शामिल किए जाने वाले आवश्यक घटकों की जानकारी दें।	

संदर्भ :

ईएन शीर्षक 7: कार्य संबंधी लक्ष्य

पहली इकाई : भूमिका से जुड़ी अपेक्षाओं और उत्तरदायित्वों की पूर्ति

मॉड्यूल 3 : समूह में प्रभावी रूप से कार्य करना, शीर्षक 1 : सीबीआईडी टीम

सत्र 1.3.1.1 : सीबीआईडी टीम के सदस्यों की भूमिकाएँ			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य लक्ष्य : प्रशिक्षणार्थी अन्य सीबीआईडी टीम के सदस्यो की सूची बनाता है			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	दिव्यांगजन की आवश्यकताएँ	विचार–मंथन	सीबीआर दिशानिदेश
	विशेषज्ञों की भूमिकाएँ	प्रश्नोत्तरी (क्विज़) – विशेषज्ञों की भूमिकाओं का मिलान करना	*क्विज़ के प्रश्न*
	भिन्न–भिन्न विशेषज्ञों की भूमिकाएँ	प्रस्तुति / व्याख्यान	पॉवर पॉइन्ट

संदर्भ :

- *ईएन शीर्षक 8: सीबीआईडी टीम*

पहली इकाई : भूमिका से जुड़ी अपेक्षाओं और उत्तरदायित्वों की पूर्ति

मॉड्यूल 3 : समूह में प्रभावी रूप से कार्य करना, शीर्षक 1 : सीबीआईडी टीम

सत्र 1.3.1.2 : अन्य प्रोफेशनल व्यक्तियों की भूमिकाएँ			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि : 90 मिनट			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी अन्य विशेषज्ञों की भूमिकाओं के बारे में समझता है			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	फिज़िओथेरपिस्ट, प्रोस्थेटिक और ओर्थोटिस्ट, स्पेशल एड्यूकेटर, ऑडियोलॉजी/स्पीच थेरपिस्ट ऑक्यूपेशनल थेरपिस्ट की भूमिका	विभिन्न प्रोफेशनल व्यक्तियों से बातचीत के लिए पुनर्वास केंद्र/डीडीआरसी का दौरा गतिविधियों का अवलोकन– जाँचसूची में चिह्न लगाएँ	स्टाफ और उनकी भूमिका से संबंधित जाँचसूची **हर्डल**

संदर्भ :

- *ईएन शीर्षक 8: सीबीआईडी टीम*

तीसरी इकाई : निजी कुशलक्षेम बनाए रखना और शिक्षण जारी रखना

मॉड्यूल 1 : निजी कुशलक्षेम पर ध्यान देना और बनाए रखना, शीर्षक 1 : कार्यस्थल सुरक्षा

सत्र 3.1.1.1 : यात्रा के दौरान सुरक्षा और समुदाय में सुरक्षा			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि : 90 मिनट			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी अन्य विशेषज्ञों की भूमिकाओं की समझ प्राप्त करता है			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	सुरक्षा और निजी उत्तरदायित्व का परिचय	पीपीटी	**संसाधन सामग्री :** 1. यात्रियों के लिए सीबीएम की सामान्य संरक्षा और सुरक्षा 2. दिव्यांगजनों के लिए सीबीएम संरक्षा और सुरक्षा 3. नागरिक अशांति के समय संरक्षा
	जोखिम की समझ	विचार–मंथन : केंद्र में जोखिम	
	सड़क–सुरक्षा	चर्चा : विभिन्न परिदृश्य	प्रलेख 2 में केस स्टडी
	व्यावहारिक : फील्ड एरिया की सुरक्षित यात्रा की योजना बनाएँ		

संदर्भ :

- *ईएन शीर्षक 9: कार्यस्थल पर सुरक्षा*

तीसरी इकाई : निजी कुशलक्षेम बनाए रखना और शिक्षण जारी रखना

मॉड्यूल 1 : निजी कुशलक्षेम का ध्यान रखना और कुशलक्षेम बनाए रखना, शीर्षक 1 : कार्यस्थल सुरक्षा

सत्र 3.1.1.2 : शारीरिक स्वास्थ्य और सुरक्षा बनाए रखना			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि 90 मिनट :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी अन्य विशेषज्ञों की भूमिकाओं की समझ प्राप्त करता है			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	भूमिका : स्वास्थ्य यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक कुशलता	पीपीटी	
	शारीरिक स्वास्थ्य, पोषक तत्व, व्यायाम	स्व–चिंतन	
	मानसिक स्वास्थ्य	पीपीटी	नई दिशा संसाधन
	यौन स्वास्थ्य		mhrd.gov.in पर दिए संसाधन नीचे देखें
	लतें : शराब, तंबाकू, ड्रग आदि		

संदर्भ :

- https://mhrd.gov.in/adolescence programme
- *ईएन शीर्षक 9: कार्यस्थल सुरक्षा*

तीसरी इकाई : निजी कुशलक्षेम बनाए रखना और शिक्षण जारी रखना

मॉड्यूल 1. निजी कुशलक्षेम–ध्यान देना और बनाए रखना, शीर्षक 2. महिलाओं की सुरक्षा और कुशलक्षेम

सत्र 3.1.2.1 : महिलाओं की सुरक्षा और कुशलक्षेम तथा चुनौतियाँ			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि : 90 मिनट			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी अन्य विशेषज्ञों की भूमिकाओं की समझ प्राप्त करता है			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	महिलाओं की सुरक्षा तथा कुशलक्षेम संबंधी प्रारंभिक बातें		
	महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी मसले	मासिक धर्म, फील्ड कार्य के समय स्वच्छता	चर्चा
	महिला सुरक्षा हैंडबुक	व्याख्यान	
	सारांश	चर्चा	

संदर्भ :

- https://www.mitkatadvisory.com/InsightPdf/Women-Safety-Handbook-Jan-20
- *ईएन शीर्षक 10: महिलाओं की सुरक्षा तथा कुशलक्षेम*

पीबी एंड आरपी पहली इकाई : भूमिकाओं, अपेक्षाओं और उत्तरदायित्वों की पूर्ति, मॉड्यूल : व्यावहारिक और लॉजिस्टिकल आवश्यकताओं पर ध्यान : शीर्षक 3 : वैयक्तिक संरचना का प्रभाव

सत्र 1.1.3.2 : वैयक्तिक संरचना का प्रभाव			
पहला चरण'; सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : पहले चरण के फील्ड वर्क के बाद' उनकी समझ में हुए परिवर्तन पर विचार करें। प्रशिक्षणार्थी अपनी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के साधक और अवरोधक पहलुओं को समझें ताकि वे ग्राहकों (क्लाइन्ट) के भले के लिए अपने सबल पक्ष का उपयोग कर सकें और अपने अवरोधों को दूर कर सकें।			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	वैयक्तिक विचार	वर्तमान समझ को लिख लें	
		पहले चरण के दौरान समझ में हुए 2 परिवर्तनों का उल्लेख करें	
		साथियों को बताएँ कि उनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि का अब तक उनके कार्य पर क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव हुआ है	
		बड़े समूह में साझा करें	

संदर्भ :

- *शीर्षक 3 : वैयक्तिक संरचना का भूमिका पर प्रभाव*

आईसीडी दूसरी इकाई : समुदाय को संबंद्ध कर विवरण तैयार करना, मॉड्यूल 2 : योजनाएँ और कार्यान्वयन – सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण, शीर्षक 3 : सामुदायिक बैठकों में सहभागिता

सत्र 2.2.3.1 : सहभागितापूर्ण बैठकों के लिए दिशानिर्देश और संसाधन			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी सामुदायिक बैठकों के आयोजन से जुड़ी अच्छी और बुरी प्रथाओं की समीक्षा और चर्चा करेंगे			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	अनुकृत (सिम्युलेटेड) सामुदायिक बैठक* का अवलोकन करें	प्रशिक्षणार्थियों को सामुदायिक बैठकों के साथ आमतौर पर जुड़ी कठिनाइयों और सीबीआईडी कार्यकर्ता द्वारा उनके संभावित निदान की सूची दी जाए। प्रशिक्षणार्थी बैठक देखेंगे और कठिनाइयों तथा लोगों के व्यवहार को जाँचेंगे। उसके बाद अपने पर्यवेक्षण के बारे में बताएंगे तथा चर्चा करेंगे।	सामुदायिक बैठक का मंचन करने के लिए लोगों का समूह कठिनाइयों और संभावित उत्तरों की सूची – हर प्रशिक्षणार्थी के लिए एक–एक
	सामुदायिक बैठकों को प्रभावी बनाने वाले तत्वों के बारे में प्रस्तुति	प्रयोजन योजना सेटिंग सहभागिता के परिणामों में सुधार / अगले कदम	पॉवर पॉइन्ट हैंडआउट – प्रभावी सामुदायिक बैठकों के लिए सामान्य दिशानिर्देशों की सूची

*या पीबीआरपी यू1एम1टी1एस4 देखें और दोनों जाँचसूचियाँ (भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व तथा कठिनाइयाँ और उत्तर) पूरी करें या एक ही जाँचसूची में दोनों कवर हो जाएँ

- *ईएन शीर्षक 5: समुदाय संबद्धता के सहभागितापूर्ण और आस्ति आधारित दृष्टिकोण*

आईसीडी दूसरी इकाई : समुदाय को संबद्ध कर विवरण तैयार करना, मॉड्यूल 2 : योजनाएँ और कार्यान्वयन, सहभागितापूर्ण दृष्टिकोण, शीर्षक 3 : सामुदायिक बैठकों में सहभागिता

सत्र 2.2.3.2 : सहभागितापूर्ण बैठकों के लिए स्थानीय दिशानिर्देश तथा संसाधन			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी अपने परिवेश में सहभागिता बढ़ाने के लिए स्थानीय दिशानिर्देशों का सेट तैयार करेंगे			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	सहभागिता बढ़ाने के लिए स्थानीय दिशानिर्देश तैयार करना	प्रशिक्षणार्थी दो–दो के समूह में चर्चा कर दिशानिर्देशों को अपने परिवेश के हिसाब से अनुकूल बनाते हैं और अपने **पोर्टफोलियो** में फाइल करते हैं	प्रोजेक्टर चार्ट पेपर ग्लू स्टिक ड्राय कलर

संदर्भ :

- *ईएन शीर्षक 5: समुदाय संबद्धता के सहभागितापूर्ण और आस्ति आधारित दृष्टिकोण*

आईसीडी तीसरी इकाई : सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य, मॉड्यूल 1 : सरकारी अधिकारियों का समर्थन और सहयोग; शीर्षक 1 : पंचायती राज प्रणाली, अधिकारीगण और सेवाओं की सुपुर्दगी

पहला सत्र 3.1.1.1 : पंचायती राज प्रणाली और इसकी प्रशासनिक संरचना			
पहला चरण, सत्र संख्या			
सत्र की अवधि			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी सरकारी निकायों का पद–क्रम और उनकी भूमिका तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट करते हैं			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	भूमिका यह सत्र व्यावहारिक होना चाहिए, जिसमें प्रशिक्षणार्थी जिला, ब्लॉक एवं पंचायत कार्यालयों का दौरा कर स्थानीय शासन प्रणाली की संरचना और कामकाज से संबंधित जानकारी एकत्रित करेंगे। वे यह भी जानेंगे कि विभिन्न योजनाएँ किस प्रकार मंजूर और कार्यान्वित की जाती हैं। इसके बाद उन्हें बताया जाता है कि सूचनाओं का किस प्रकार विश्लेषण और प्रबंधन तथा डीपीओ प्रशिक्षण के लिए उपयोग करना है।	किसी भी एक लोक–प्रतिनिधि के कार्यों का संक्षेप में दोहराव	बोर्ड और मार्कर
	त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली : 1. ग्राम पंचायत 2. जनपद पंचायत (तहसील/ब्लॉक) 3. जिला परिषद् (जिला)	स्थानीय स्वशासन निकायों में लोक प्रतिनिधियों का श्रेणीकरण	इंफोग्राफिक्स
	हर स्तर पर सरकारी अधिकारियों का ढाँचा	ट्री डाइग्राम तैयार करना **हर्डल**	इंफोग्राफिक्स

संदर्भ :

- *ईएन शीर्षक 6: सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य*

भारतीय पुनर्वास परिषद्

आईसीडी तीसरी इकाई : सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य, मॉड्यूल 2; शीर्षक 3: कमियों का विश्लेषण और मुद्दों की पहचान

सत्र 3.2.3.1 : सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमियों का विश्लेषण और प्रभावी प्रस्तुति तथा बातचीत कौशल			
पहला चरण, सत्र संख्या :			
सत्र की अवधि :			
प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :			
ज्ञानार्जन से प्राप्य परिणाम : प्रशिक्षणार्थी भूमिका निर्वहन द्वारा कमियों के विश्लेषण तथा विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत और प्रस्तुति का कौशल सीखते हैं।			
समय	**विषय–वस्तु**	**गतिविधियाँ**	**संसाधन**
	मसलों की पहचान और कमियों का विश्लेषण करने का कौशल पक्ष–पोषण करने और अभियान चलाने के कौशल का विकास अधिक रुचि रखने वाले समूह के लिए प्रस्तुति का कौशल	अंतराल विश्लेषण साधनों के माध्यम से मसलों का अंतराल विश्लेषण सीखना पक्ष–पोषण और अभियान के विभिन्न कौशल सीखना तथा चयनित केस स्टडी पर विभिन्न कौशलों का भूमिका निर्वहन करना भूमिका निर्वहन और अभ्यास	चार्ट पेपर/गम स्टिक/ टैप बोर्ड/ वीडियो/ विभिन्न संगठनों की सूचना–परक सामग्री।
	निष्कर्ष – प्रभावी अंतराल विश्लेषण और प्रस्तुति तथा पक्ष–पोषण कौशल का विकास		

संदर्भ :

- https://www.bio.org/sites/default/files/Negotiation%20Strategies Lesley%20Stolz.pdf
- https://www.cbm.org/news/news/news-2018/disability-inclusion-policy-brief-gap-analysis-on-disability-inclusive-humanitarian-action-in-the-pacific/
- *ईएन शीर्षक 6 : सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य।*

चरण एक के परिशिष्ट

परिशिष्ट 1

स्वयं की झलक

1. मैं कौन हूँ

2. दिव्यांगता से मेरा क्या संबंध है?

3. दिव्यांगता की मेरी परिभाषा और व्याख्या

4. इस पाठ्यक्रम को पूरा करने को लेकर मेरी चिंताएँ

5. मुझे क्या सहायता चाहिए

6. सीबीआर/सीबीआईडी की मेरी परिभाषा और व्याख्या

7. मेरे स्थानीय समुदाय में दिव्यांगता को क्या माना जाता है?

8. मेरे समुदाय के लोगों और परिवारों के लिए सीबीआईडी की उपलब्धि क्या है?

***सोमवार प्रातः, पहला सप्ताह :** पाठ्यक्रम परिचय*

परिशिष्ट 2

दिव्यांगजनों का साक्षात्कार लेना

साक्षात्कार दिव्यांग व्यक्ति या परिवार के सदस्य का लिया जा सकता है

प्रशिक्षणार्थी चार प्रकार के दिव्यांगजनों की बातें सुने – शारीरिक, बौद्धिक, संवेदी (मूक भी) और मनोविकारी (दिमागी बीमारी)

प्रशिक्षणार्थी उन लोगों से भी बातें करें जिन्हें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांग श्रेणी में रखा गया है, किंतु पहले उन्हें दिव्यांग नहीं माना जाता था।

निम्नलिखित प्रश्न शामिल करें:

1. क्या आप अपनी स्थिति के बारे में बता सकते हैं? इससे आपका रोजमर्रा का काम कैसे प्रभावित होता है?

2. नए श्रेणीकरण वाले व्यक्ति से प्रश्न... दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत आपको दिव्यांग के रूप में मान्य किए जाने को आप किस रूप में लेते हैं?

3. आप दिव्यांगता को किस रूप में परिभाषित करते हैं?

4. आपके परिवार में कौन–कौन हैं और वे आपकी किस प्रकार सहायता करते हैं?

5. आपके स्थानीय समुदाय में सहभागिता में आपको कोई कठिनाई होती है?

6. आपका परिवार समुदाय के साथ और ज्यादा घुल–मिल सके, इसके लिए आप कोई सुझाव दे सकते हैं?

सोमवार प्रातः, पहला सप्ताह : *ए एंड आई 1.1.1.1./1.1.1.2*

परिशिष्ट 3

आईसीएफ डाइग्राम

कार्यात्मकता, दिव्यांगता और स्वास्थ्य का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण (आईसीएफ) 2011 में तैयार किया गया था ताकि जीवन की विभिन्न स्थितियों में स्वास्थ्य के स्थान को वर्गीकृत किया जा सके।

इसके अनुसार दिव्यांगता बड़ा व्यापक शब्द है। व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति, पर्यावरणीय पहलुओं और व्यक्तिगत पहलुओं के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाएँ इसमें आ जाती हैं।

आईसीएफ का तर्क है कि सक्षमता और दिव्यांगता को स्वास्थ्य की स्थिति या अवरोधों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता क्योंकि व्यक्ति के पर्यावरणीय और व्यक्तिगत पहलुओं का पारस्परिक प्रभाव दिव्यांगता के स्तर को नाटकीय रूप से परिवर्तित कर सकता है। इसलिए सभी पहलुओं पर विचार किया ही जाना चाहिए।

आईसीएफ स्वास्थ्य या अवरोध की तीन स्तर पर व्याख्या करता है – शरीर का स्तर (कार्य और संरचनाएँ), सक्रियता का स्तर (व्यक्ति क्या कर सकता है) और सहभागिता का स्तर (व्यक्ति को कैसे संबद्ध किया जा रहा है)।

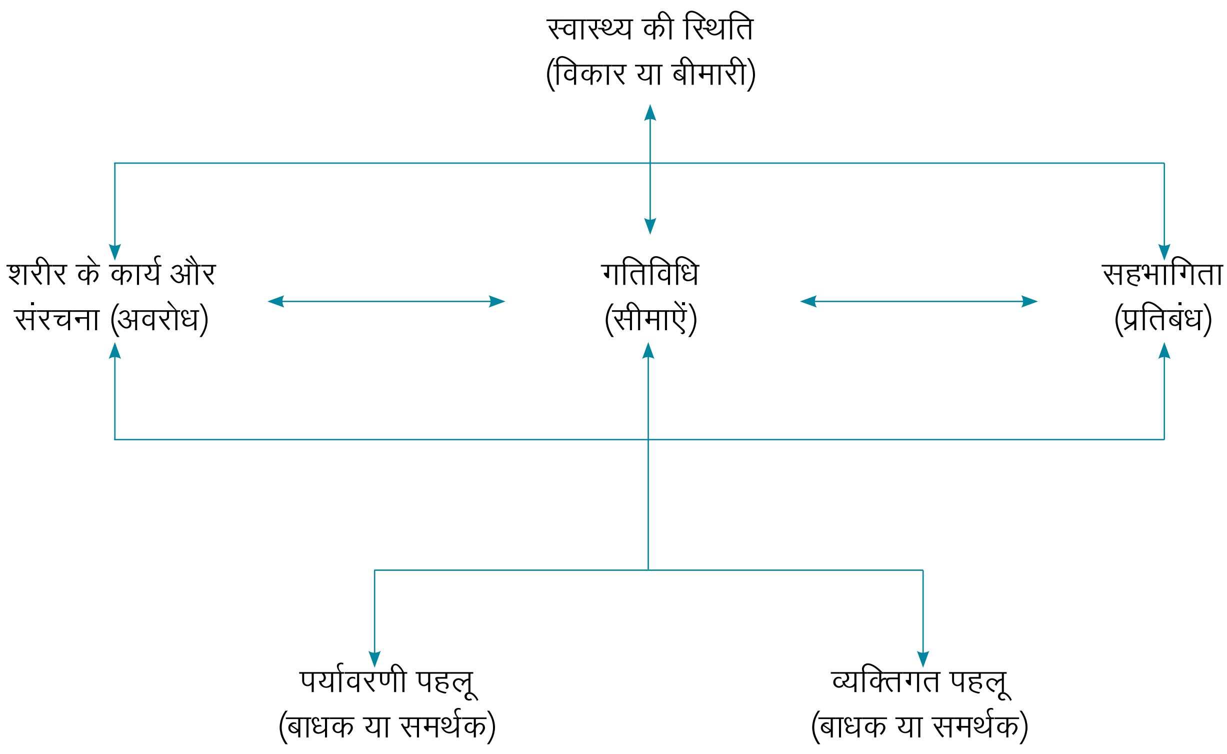

बुधवार दोपहर बाद, पहला सप्ताह : *ए एंड आई 1.1.2.1*

परिशिष्ट 4

स्थानीय समुदाय के अवरोध

सीबीआर मैट्रिक्स क्षेत्र	सामुदायिक अवरोध के प्रकार		
	शारीरिक	संप्रेषण संबंधी	अभिवृत्तिपरक
स्वास्थ्य			
शिक्षा			
कार्य			
सामाजिक			
सशक्तिकरण			

बुधवार दोपहर बाद, पहला सप्ताह : आईसीडी 1.1.2.2

परिशिष्ट 5

ज्ञानार्जन जर्नल : अभ्यास 1

स्थिति (दिनांक, विषय, सत्र संख्या और नाम) :
ए एंड आई 1.1.3.2 : अपने समुदाय के परिवारों में दिव्यांगता का प्रभाव

कार्य :

अपने समुदाय में से उदाहरण दें कि दिव्यांगता के विभिन्न प्रतिदर्श व्यक्तियों और उनके परिवारों को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं। उत्तर में अपने विचार और प्रतिक्रियाएँ लिखें।

विचार और चिंतन :

मंगलवार दोपहर बाद, पहला सप्ताह : ए एंड आई 1.1.3.2

परिशिष्ट 6

ज्ञानार्जन जर्नल : अभ्यास 2 क

स्थिति (दिनांक, विषय, सत्र संख्या और नाम) :
ए एंड आई 1.2.1.2 : समावेशी संगठनों में दिव्यांगता संबंधी प्रावधान क्षेत्र भ्रमण

कार्य :

विभिन्न समावेशी संगठनों के दौरे के बाद संगठन के दिव्यांगता संबंधी प्रावधानों और उनके अनुपालन तथा हक प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं के बारे में आपकी टिप्पणियाँ और निष्कर्ष लिखें

विचार और चिंतन

समावेशी स्व–सहायता समूह :

मुक्त नियोजन :

समावेशी शैक्षिक परिवेश :

शुक्रवार दोपहर बाद, पहला सप्ताह : ए एंड आई 1.2.1.2

परिशिष्ट 7

ज्ञानार्जन जर्नल : अभ्यास 3

स्थिति (दिनांक, विषय, सत्र संख्या और नाम) :
पीबी एंड आरपी 1.1.2.1 सीबीआईडी कार्यकर्ता की भूमिका की सीमाएँ

कार्य :

सीबीआईडी फील्डवर्कर की भूमिका की सांस्कृतिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत सीमाएँ नोट करें और अपनी निजी चुनौतियों के बारे में विचार करें

विचार और चिंतन

बुधवार दोपहर बाद, पहला सप्ताह : पीबी एंड आरपी 1.1.2.1

परिशिष्ट 8

ज्ञानार्जन जर्नल : अभ्यास 4

स्थिति (दिनांक, विषय, सत्र संख्या और नाम) :
आईसीडी 1.1.1.3 और 1.1.2.3 : प्रारंभिक मैपिंग अभ्यास – स्थानीय समुदाय में दिव्यांगता और अवरोध

कार्य

अपने समुदाय के परिचित दिव्यांगजनों का ध्यान करें। समुदाय की बस्ती की मुख्य गलियों और सीबीआर मैट्रिक्स क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का सरल खाका खींचे। जहाँ दिव्यांगजन रहते हों, वहाँ × का निशान लगाएँ और उनकी दिव्यांगता का प्रकार एक्रनिम में लिखें (PD = शारीरिक दिव्यांगता, ID = बौद्धिक दिव्यांगता, SD = संवेदी दिव्यांगता, MI = मानसिक दिव्यांगता)। इन लोगों को सड़क तक जाने–आने, परिवहन और जरूरत की अन्य सेवाओं के मुकाबले उनकी स्थिति पर विचार करें। इन लोगों के सामने आने वाले अभिगम (एक्सेस), संप्रेषण, अभिवृत्ति (एटिट्यूड) और सहभागिता संबंधी अवरोधों का वर्गीकरण करें।

विचार और चिंतन :

गुरुवार और शुक्रवार दोपहर बाद, पहला सप्ताह : आईसीडी 1.1.1.3/ 1.1.2.3

परिशिष्ट 9

ज्ञानार्जन जर्नल : अभ्यास 2ख

स्थिति (दिनांक, विषय, सत्र संख्या और नाम) :
ए एंड आई 1.2.1.2 : विभिन्न सामुदायिक क्षेत्रों से संबंधित हर – फील्ड के दौरे

कार्य :

विभिन्न समावेशी संगठनों के दौरे के बाद संगठन के दिव्यांगता संबंधी प्रावधानों और उनके अनुपालन तथा हक प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं के बारे में आपकी टिप्पणियाँ और निष्कर्ष लिखें

विचार और चिंतन :

समाज कल्याण विभाग :

जिला स्वास्थ्य कार्यालय :

जिला शिक्षा अधिकारी :

सोमवार प्रातः, दूसरा सप्ताह : ए एंड आई 1.2.1.2

परिशिष्ट 10

दिव्यांगजनों को प्राप्य सरकारी हक और योजनाओं के बारे में प्रायिक प्रश्न

प्रश्न 1 :

उत्तर :

प्रश्न 2 :

उत्तर :

प्रश्न 3 :

उत्तर :

प्रश्न 4 :

उत्तर :

प्रश्न 5 :

उत्तर :

बुधवार दोपहर बाद, दूसरा सप्ताह : ए एंड आई 1.2.2.1

परिशिष्ट 11

सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने की कार्यविधि के बारे में प्रायिक प्रश्न

प्रश्न 1 :

उत्तर :

प्रश्न 2 :

उत्तर :

प्रश्न 3 :

उत्तर :

प्रश्न 4 :

उत्तर :

प्रश्न 5 :

उत्तर :

बुधवार दोपहर बाद, दूसरा सप्ताह, *ए एंड आई 1.2.2.2*

परिशिष्ट 12

ज्ञानार्जन जर्नल : अभ्यास 5

स्थिति (दिनांक, विषय, सत्र संख्या और नाम) :
ए एंड आई 2.1.2.1 : विभेदपूर्ण भारतीय परिवारों के बारे में विचार योग्य पहलू
पीबी एंड आरपी 1.1.3.1 व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के साधक और बाधक पहलू

कार्य :

भारतीय परिवारों में धार्मिक पृष्ठभूमि, जाति, संस्कृति, आर्थिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक स्थिति और परिवार के प्रकार के आधार पर कई प्रकार के भेद होते हैं। इन भेदों के आधार पर और अपनी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि से उद्भूत चिंतन के आधार पर बताएँ कि आपके समुदाय के विभिन्न दिव्यांग परिवारों के लिए कार्य शुरू करने के लिए आपने क्या सीखा? महत्वपूर्ण बिंदु बताएँ।

विचार एवं चिंतन :

__बुधवार दोपहर बाद, पहला सप्ताह,__ ए एंड आई 2.1.2.1; __मंगलवार दोपहर बाद दूसरा सप्ताह,__ पीबी एंड आरपी 1.1.3.1

परिशिष्ट 13

दिव्यांगता जाँच उपकरण

प्रश्न	थोड़ी कठिनाई	बहुत कठिनाई	करने में असमर्थ	टिप्पणियाँ
क्या आपके परिवार में किसी को कम दिखाई देता है, चश्मा लगाने के बाद भी?				
क्या आपके परिवार में किसी को कम सुनाई देता है? उपकरण लगाने के बाद भी?				
क्या आपके परिवार में किसी को चलने में या सीढ़ियाँ चलने में कोई कठिनाई है?				
क्या आपके परिवार में किसी को भूलने या एकाग्र न हो पाने की परेशानी है?				
क्या आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसे नहाने–धोना या कपड़े पहनने जैसे निजी कार्यों में कठिनाई होती है?				
क्या आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसे अपनी भाषा में भी संप्रेषण (यानी अपनी बात समझाने और दूसरों की बात समझने) में कठिनाई होती हो				

शुक्रवार दोपहर बाद, दूसरा सप्ताह : ए एंड आई 2.2.2.1

परिशिष्ट 13 जारी...

विश्व स्वास्थ्य संगठन दिव्यांगता मूल्यांकन अनुसूची 2.0

कृपया इस प्रश्नावली का उत्तर देने से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन की दिव्यांगता मूल्यांकन अनुसूची 2.0 देखें। स्वास्थ्य की दशा में बीमारी या रोग या स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएँ, चाहे थोड़े समय के लिए हों या ज्यादा, चोट, मानसिक या भावनात्मक समस्या और शराब या मादक पदार्थों की समस्या शामिल है। पिछले 30 दिनों की स्थिति देखें और इन प्रश्नों के उत्तर दें। उत्तर देते समय विचार करें कि इन गतिविधियों को करने में आपको कितनी कठिनाई हुई। हर प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर में वृत्त खींचे।

यह प्रश्नावली कौन दे रहा है? (किसी एक पर गोला लगाएँ) : स्वयं /(रिश्ता बताएँ) आपको / आपके रिश्तेदार को पिछले 30 दिन में निम्नलिखित कार्यों में कितनी कठिनाई हुई :						
एस1	ज्यादा देर, जैसे 30 मिनिट, के लिए खड़े रहना ?	1 = बिलकुल नहीं	2 = थोड़ी–सी	3 = मध्यम	4 = तीव्र	5 = बहुत ज्यादा या संभव नहीं हुआ
एस2	घर के कामकाज संभालना?	1 = बिलकुल नहीं	2 = थोड़ी–सी	3 = मध्यम	4 = तीव्र	5 = बहुत ज्यादा या संभव नहीं हुआ
एस3	नया काम सीखना, जैसे किसी नई जगह जाना सीखना?	1 = बिलकुल नहीं	2 = थोड़ी–सी	3 = मध्यम	4 = तीव्र	5 = बहुत ज्यादा या संभव नहीं हुआ
एस4	समुदाय की गतिविधि (जैसे धार्मिक उत्सव या अन्य गतिविधि) में अन्य किसी भी व्यक्ति की तरह शामिल होने में आपको कितनी समस्या आई?	1 = बिलकुल नहीं	2 = थोड़ी–सी	3 = मध्यम	4 = तीव्र	5 = बहुत ज्यादा या संभव नहीं हुआ
एस5	अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से आप भावनात्मक रूप से कहाँ तक प्रभावित हुए?	1 = बिलकुल नहीं	2 = थोड़ी–सी	3 = मध्यम	4 = तीव्र	5 = बहुत ज्यादा या संभव नहीं हुआ
एस6	कोई कार्य करने के लिए दस मिनिट एकाग्र करना?	1 = बिलकुल नहीं	2 = थोड़ी–सी	3 = मध्यम	4 = तीव्र	5 = बहुत ज्यादा या संभव नहीं हुआ
एस7	लंबी दूरी, जैसे एक किलोमीटर तक चलना?	1 = बिलकुल नहीं	2 = थोड़ी–सी	3 = मध्यम	4 = तीव्र	5 = बहुत ज्यादा या संभव नहीं हुआ
एस8	अपने पूरे शरीर की सफाई?	1 = बिलकुल नहीं	2 = थोड़ी–सी	3 = मध्यम	4 = तीव्र	5 = बहुत ज्यादा या संभव नहीं हुआ
एस 9	कपड़े पहनना	1 = बिलकुल नहीं	2 = थोड़ी–सी	3 = मध्यम	4 = तीव्र	5 = बहुत ज्यादा या संभव नहीं हुआ
एस 10	अपरिचित लोगों के साथ व्यवहार?	1 = बिलकुल नहीं	2 = थोड़ी–सी	3 = मध्यम	4 = तीव्र	5 = बहुत ज्यादा या संभव नहीं हुआ
एस 11	दोस्ती निभाना?	1 = बिलकुल नहीं	2 = थोड़ी–सी	3 = मध्यम	4 = तीव्र	5 = बहुत ज्यादा या संभव नहीं हुआ
एस 12	आपके रोजमर्रा के कार्य?	1 = बिलकुल नहीं	2 = थोड़ी–सी	3 = मध्यम	4 = तीव्र	5 = बहुत ज्यादा या संभव नहीं हुआ
एच 1	कुल मिलाकर पिछले 30 दिनों में से कितने दिन ये कठिनाइयाँ बनी रहीं		दिनों की संख्या रिकॉर्ड करें			
एच 2	पिछले 30 दिनों में से कितने दिन आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण अपने सामान्य कामकाज बिलकुल नहीं कर पाए ?		दिनों की संख्या रिकॉर्ड करें			
एच 2	पिछले 30 दिनों में से जितने दिन आप अपना कामकाज बिलकुल नहीं कर पाए, उनके अलावा कितने दिन आपको अपनी सामान्य गतिविधियों या कार्यों को स्वस्थ न होने के कारण छोड़ना पड़ा?		दिनों की संख्या रिकॉर्ड करें			

***शुक्रवार दोपहर बाद, दूसरा सप्ताह :** ए एंड आई 2.2.2.1*

परिशिष्ट 14

ज्ञानार्जन जर्नल : अभ्यास 6

स्थिति (दिनांक, विषय, सत्र संख्या और नाम) :
पीबी एंड आरपी 1.2.1.1 बाल संरक्षण कानून

कार्य :

बाल संरक्षण कानून के इनपुट के अनुक्रम में समूह चर्चा का सार प्रस्तुत करें, जिसमें बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के छह केंद्रित क्षेत्रों से संबंधित मसलों पर ध्यान देने के तरीके बताए गए हों

निम्नलिखित फोकस क्षेत्रों के मसले और सीबीआईडी फील्डवर्कर के लिए उपलब्ध निवारक तंत्र :

बाल अधिकार :

शिक्षा का अधिकार :

किशोर न्याय :

लावारिस बच्चे :

बच्चों की यौन अपराधों से सुरक्षा (पोक्सो) :

अन्य :

बुधवार प्रातः दूसरा सप्ताह : *पीबी एंड आरपी 1.2.1.1*

परिशिष्ट 15

समावेशी सामुदायिक विकास में सहयोगी दिव्यांगता और योजनाओं की तालिका

नाम, दिनांक, सूचना का स्रोत	शामिल क्षेत्र	आवश्यकता पड़ने/समस्या होने पर कैसे उपयोग किया जाए :
यूएनसीपीआरडी 2006 (दिव्यांगजनों के अधिकारों पर सयुंक्त राष्ट्र) अभिसमय 2006		
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016		
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020		
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999		
भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992		

मंगलवार दोपहर बाद दूसरा सप्ताह : आईसीडी 1.2.1.2

परिशिष्ट 16

दिव्यांगता प्रमाणन प्रलेखों और आवेदन पत्र की कार्यविधियों की तालिका

नाम	संलग्नक और पात्रता अनुलाभ :	आवेदन पत्र की कार्यविधियाँ :
दिव्यांगता–विशिष्ट प्रमाणपत्र :		
यूनिक दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी)		
दिव्यांगता प्रमाणपत्र		
रेल और अन्य यात्रा रियायत		
गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) का प्रमाणपत्र		
सामान्य प्रमाणपत्र :		
पैन		
आधार		
राशन कार्ड		
ड्राइविंग लाइसेंस		

गुरुवार और शुक्रवार दोपहर बाद तीसरा सप्ताह : ए एंड आई 3.2.1.1; 3.2.2.1

परिशिष्ट 17

जोखिम मूल्यांकन संरक्षण

विचार–मंथन के दौरान आपने सीबीआईडी के जिन संगठनात्मक और कार्यक्रम–विशिष्ट जोखिमों की पहचान की, उनके आधार पर जोखिम मूल्यांकन तालिका बनाएँ और प्रत्येक के लिए जोखिम रेटिंग निश्चित करें तथा इन्हें अपने पोर्टफोलियो में रखें।

स्रोत : सीबीएम की जोखिमग्रस्त बालक और वयस्क संरक्षण नीति

गतिविधि (रिस्क इवेंट)	
प्रयोजनों पर प्रभाव (इस जोखिम का परियोजना, लोगों और प्रयोजनों पर क्या प्रभाव होगा?)	
प्रभाव*	
संभावना**	
जोखिम रेटिंग (प्रभाव गसंभावना)	
कम करने के उपाय (पहले से उपलब्ध –पी– और आपके द्वारा तैयार किए जा रहे –डी– उपायों की सूची बनाएँ जिनसे जोखिम रुक जाए या कम हो जाए)	
स्वीकार्य जोखिम? हाँ/नहीं	
जोखिम की जिम्मेदारी (रिस्क उत्पन्न होने पर जिम्मेदार व्यक्ति)	
समयसीमा (कार्य पूरा होने का अपेक्षित दिनांक)	
निगरानी/रिपोर्टिंग (रिपोर्टिंग की निर्धारित समयसीमा और पद्धति)	

रिस्क रेटिंग		*प्रभाव		
		निम्न	मध्यम	उच्च
**संभावना	उच्च	मध्यम	उच्च	उच्च
	मध्यम	निम्न	मध्यम	उच्च
	निम्न	निम्न	निम्न	मध्यम

मंगलवार प्रातः, तीसरा सप्ताह : 1.2.1.2

परिशिष्ट 18

सीबीआईडी कार्यकर्ताओं के लिए आदर्श आचार संहिता

संरक्षण व्यवहार संहिता सीबीआईडी प्रतिनिधियों के संपर्क में आने वाले बच्चों और वयस्कों की रक्षा की दृष्टि से बनाई गई है। इस आचार संहिता का पालन अनिवार्य है। उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। यदि यह पता न हो कि किसी कार्य से इस संहिता का उल्लंघन तो नहीं होता है, तो संरक्षण संबंधी कार्य देख रहे स्थानीय जानकार व्यक्ति से मार्गदर्शन लें।

मैं (नाम लिखें) .... घोषित करता हूँ कि मैंने सीबीआईडी संरक्षण नीति को पढ़ और समझ लिया है। मैं इसका पालन करने के लिए सहमत हूँ और अपने कार्य–परिवेश में संरक्षणपरक व्यवहार संहिता का पालन करने के लिए उत्तरदायी हूँ।

इस संबंध में मैं

- कार्यस्थल पर खुलेपन और परस्पर उत्तरदायित्व की संस्कृति का निर्माण करूँगा।
- यूएनसीआरपीडी21 के सामान्य सिद्धान्तों का पालन करूंगा। व्यक्तियों की मर्यादा, वैयक्तिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता का आदर करूंगा। भेदभाव नहीं करूंगा। समाजजनों की प्रभावी सहभागिता और समावेशन को बढ़ाऊंगा। भिन्नताओं का आदर करूंगा। मानवीय विभेद और मानवीयता के भाग के रूप में दिव्यांगजनों को स्वीकार करूंगा। अवसरों की समानता और पुरुषों और महिलाओं में समानता बढ़ाने के लिए कार्य करूंगा। दिव्यांग बच्चों की अभिगम्यता (एक्सेसिबिलिटी) और क्षमता बढ़ाऊंगा।
- बच्चों के साथ कार्य करते समय 'टू–एडल्ट रूल' का पालन करूंगा। इसका मतलब यह है कि कोई अन्य वयस्क (कोई सहकर्मी या बच्चे की देखरेख करने वाला) उपस्थित रहे या आस–पास बना रहे। यह संभव न होने पर मैं पर्यवेक्षक को सूचित करूंगा ताकि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व प्रकट हो। वयस्क के अनुरोध करने पर उसे भी वयस्क व्यक्ति को साथ रखने का विकल्प दिया जाना चाहिए।
- सुनिश्चित करूंगा कि शारीरिक संपर्क हर समय वैसा ही हो जैसा आवश्यक है (सीबीएम प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे जहाँ कार्य कर रहे हों, वहाँ के सांस्कृतिक परिवेश को समझें और उसके अनुरूप उपयुक्त व्यवहार करें)।
- संप्रेषण की सकारात्मक, अहिंसक विधियों का प्रयोग करूंगा और बच्चों के प्रति व्यवहार के मामले में रोल मॉडल बनूंगा।
- रिपोर्टिंग या जनसंपर्क के लिए फोटो लेने, फिल्म बनाने, रिपोर्ट लिखने के लिए बच्चों और वयस्कों की सहमति/निर्णय के अनुसार कार्य करूंगा।
- बच्चों और वयस्कों का निजी डेटा बहुत सावधानी से संभालूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि जिन अन्य पक्षों के पास यह जानकारी जाए, वे भी इसका आदर करें।

- सीबीएम स्टाफ, प्रतिनिधियों, कार्यक्रमों, परिचालनों से संबंधित किसी भी प्रकार की चिंता, आरोप और दुरुपयोग, लापरवाही तथा शोषण की सूचना मेरे संरक्षण प्रभारी या वैश्विक संरक्षण प्रबंधकों को यथाशीघ्र (किंतु कोई शिकायत प्राप्त होने/कोई घटना देखने के अधिक से अधिक 48 घंटे में) दूंगा।

- संरक्षण हेतु किए जाने वाले किसी भी अन्वेषण (जिसमें साक्षात्कार भी शामिल है) में सहयोग करूंगा और जो भी जानकारी आवश्यक हो, उपलब्ध कराऊंगा।

मैं कभी भी

- किसी भी बच्चे या वयस्क को अनुपयुक्त रूप से या सांस्कृतिक दृष्टि से असंवेदनशील तरीके से न पकड़ूंगा, न पुचकारूंगा , न चुंबन लूंगा , न आलिंगन करूंगा , न स्पर्श करूंगा और न ही ऐसी कोई गतिविधि करूंगा जिसमें बच्चे या वयस्क के साथ प्रोफेशनल जरूरत से ज्यादा शारीरिक स्पर्श हो।

- ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जो अनुचित हो या जिसमें किसी वयस्क या बच्चे के साथ दुर्व्यवहार की जोखिम हो।

- बच्चे के साथ अकेले में, दूसरों से अलग, बंद कमरे में या निर्जन क्षेत्र में अधिक समय नहीं बिताऊंगा (ऊपर संदर्भित 'टू एडल्ट रूल' देखें)। बच्चों की देखरेख का कानूनी या सांस्कृतिक उत्तरदायित्व निभाने वालों पर यह नियम लागू नहीं होता।

- जोखिमग्रस्त बच्चों या वयस्कों के साथ ऐसे संबंध नहीं बनाऊँगा जो किसी भी रूप में शोषणकारी या अनुचित माने जाएँ।

- 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति से शादी नहीं करूंगा चाहे उसकी सहमति हो और स्थानीय प्रथा भी हो।

- बच्चे के प्रति यौन संकेत करने वाली टिप्पणियाँ या चेष्टा परिहास के तौर पर भी नहीं करूंगा।

- बच्चे के साथ यौनक्रिया नहीं करूंगा या यौन संबंध नहीं बनाऊंगा चाहे उसकी सहमति या स्थानीय प्रथा हो। बच्चे की उम्र के बारे में भ्रम को प्रतिवाद नहीं माना जाता।

- समुदाय आधारित समावेशी विकास कार्यक्रमों के वयस्क हितार्थी के साथ यौन क्रिया नहीं करूंगा या संबंध नहीं बनाऊंगा क्योंकि इसमें दोनों पक्षों के बीच बहुत अंतर होता है।

- जब तक अनुरोध न किया जाए तब तक किसी बच्चे को ऐसे निजी कार्यों में सहायता नहीं करूंगा जो वह बिना सहायता के कर सकता है (जैसे शौच, स्नान या कपड़े बदलना)

- बच्चों या वयस्कों से किसी भी रूप में मारपीट नहीं करूंगा।

- बच्चों या वयस्कों को शर्मिंदा, अपमानित, हैरान, तुच्छ या अनादर अनुभव कराने वाला कोई कार्य (किसी भी रूप में भावनात्मक दुर्व्यवहार) नहीं करूंगा।

- जिन बच्चो–बड़ों के साथ कार्य कर रहा हूँ, उनमें से किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं करूंगा।
- किसी भी बच्चे को सीबीएम कार्यक्रमों में वाहन में अकेले नहीं ले जाऊंगा। ऐसा करना अनिवार्य हो जाए तो माता–पिता/पालक और प्रबंधन की सहमति लूंगा।
- प्रोफेशनल संबंध वाले वयस्कों को या अकेले बच्चों को अपने निजी आवास पर नहीं बुलाऊंगा, जब तक कि कोई आसन्न संकट न हो या चोट लगी हो या शारीरिक खतरा हो।
- बच्चों के साथ उसी कमरे में या उसी बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, जब तक कि अत्यावश्यक न हो (जैसे संकट या आपत्कालीन आश्रय में)। ऐसे में अपने पर्यवेक्षक को अनिवार्यतः सूचित करूंगा और संभव हो तो अन्य वयस्क की उपस्थिति सुनिश्चित करूंगा। ध्यान दें कि बच्चे व्यक्ति के अपने हों या वे हों जिनका कानूनी और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व उस पर हो, तब यह नियम लागू नहीं होगा।
- बच्चों के साथ गैर कानूनी, असुरक्षित या अनुचित व्यवहार नहीं करूंगा या उन्हें अनदेखा नहीं करूंगा। इसमें हानिकारक प्रथाएँ (जैसे लड़कियों का खतना) भी शामिल है।
- बच्चों का शारीरिक शोषण (जैसे घरेलू नौकर, आकस्मिक मजदूर के रूप में कार्य कराना) या यौन कार्यों के लिए शोषण (जैसे वेश्यावृत्ति) या अवैध व्यापार में लगाना जैसे कार्य नहीं करूंगा। ध्यान रखें कि स्कूल के समय में या उससे पहले/बाद में कभी–कभी बच्चों को संभालना, बागवानी करना या घर के कामकाज में मदद करना घरेलू नौकर की परिभाषा में नहीं आता।
- कंप्यूटर, मोबाइल फोन, वीडियो कैमरों, कैमरों या सोशल मीडिया का उपयोग बच्चों या वयस्कों के शोषण या उन्हें हैरान करने के लिए नहीं करूंगा या किसी भी माध्यम से बाल–शोषण सामग्री को एक्सेस नहीं करूंगा।
- बच्चों को गैर कानूनी दवाएँ, शराब या प्रतिबंधित सामग्री नहीं दूंगा या नहीं लेने दूंगा या लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं करूंगा।

स्थान एवं दिनांक : हस्ताक्षर :

मंगलवार प्रातः, तीसरा सप्ताह : पीबी एण्ड आरपी 1.2.2.1

परिशिष्ट 19

सीबीआईडी रिपोर्ट फॉर्म

दिनांक :

कार्यक्रम से जुड़े मुख्य व्यक्ति :

रिपोर्टकर्ता;

8. प्रयोजन, घटनाक्रम, स्थिति

9. घटना या स्थिति के महत्व का निर्वचन (इंटरप्रिटेशन) :

10. पर्यवेक्षणों पर टिप्पणियाँ, जिसमें त्वरित मूल्यांकन के तथ्य या परिणाम शामिल हो :

11. भावी कार्यवाही के संभावित परिणाम :

12. सिफारिशें – भावी कार्यवाही के लिए कार्य योजना और संदर्भ :

13. कोई अन्य निष्कर्षात्मक टिप्पणियाँ :

बुधवार प्रातः, तीसरा सप्ताह, *पीबी एंड आरपी 2.3.1.1*

परिशिष्ट 20

सशक्त बनाने वाले संबंधों के पाँच नैतिक तत्व (ट्रोन्टो, 1994)

सशक्त बनाने वाले संबंधों के पाँच नैतिक तत्वों के माध्यम से उदाहरण :

1. दत्तचित्तता (अन्य लोगों की जरूरतें पहचानना और उन जरूरतों के लिए स्वयं के लक्ष्यों, आकांक्षाओं, जीवन की योजनाओं और चिंताओं को एक ओर रख देना)
   - आवश्यकताओं से परिचित होने की प्रवृत्ति

2. उत्तरदायित्व (जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता हो उनकी देखरेख को बाध्यता या कानूनी कर्तव्य से बढ़कर समझना)
   - जरूरत के अनुसार ध्यान रखने की तैयारी

3. क्षमता (देखरेख प्रदान करना, जिससे जरूरतें पूरी होती हों)
   - बढ़िया और सफल देखरेख का कौशल

4. संवेदनशीलता (सुनिश्चत करना कि देखरेख उसी प्रकार की गई है, जैसी सामने वाले की अपेक्षा है)
   - दूसरों की स्थिति उनकी दृष्टि से ही समझना और देखरेख के संभावित दुरुपयोग को पहचानना

5. सदाशयता (उक्त पाँचों तत्वों का परस्पर मेल ताकि 'उत्तम' देखरेख का लक्ष्य प्राप्त हो)।

ट्रोन्टो जे (1994). मॉरल बाउंड्रीज़ : ए पोलिटिकल आर्ग्युमेंट फॉर एन इथिक ऑफ केअर
न्यूयार्क, एनवाय : रूटलेज, 126–136

मंगलवार दोपहर बाद, तीसरा सप्ताह : आईसीडी 2.1.2.1

परिशिष्ट 21

दिव्यांग रोल मॉडलों को उनकी कहानियाँ सुनाने के लिए प्रेरित करने वाले प्रश्न

- शुरुआत में स्थिति किस प्रकार की थी?
- सशक्त बनने की भावना और आत्म–संकल्प कैसे पनपे?
- सम्मिलित प्रयास की क्या उपलब्धि रही?
- किन–किन बाधाओं का सामना करना पड़ा?
- इन बाधाओं को कैसे दूर किया?
- परिवर्तन लाने में आपने अपना मनोबल और विश्वास कैसे बनाए रखा?
- आवश्यक परिवर्तन लाने हेतु दिव्यांगजनों को सहयोग करने में सीबीआईडी फील्डवर्कर की आदर्श भूमिका क्या है?

***मंगलवार दोपहर बाद, तीसरा सप्ताह** : आईसीडी 2.1.2.2*

परिशिष्ट 22

ज्ञानार्जन जर्नल : अभ्यास 7

स्थिति (दिनांक, विषय, सत्र संख्या और नाम) : **आईसीडी 2.2.1.2 : संसाधनों के मूल्यांकन का अभ्यास**

कार्य :

प्रशिक्षण केंद्र के कैंपस या सीबीआईडी संगठन के पहलुओं, आस्तियों और संसाधनों का रिकॉर्ड तैयार करें

विचार और चिंतन :

आपको जानकारी किस प्रकार प्राप्त हुई; आपने किससे परामर्श किया?

पहलू, आस्तियाँ और संसाधन तथा उनकी अवस्थिति (लोकेशन) :

अपने निष्कर्षों की सार्थक प्रस्तुति के लिए आप उन्हें किस प्रकार सुव्यवस्थित करेंगे?

मंगलवार प्रातः, तीसरा सप्ताह : आईसीडी 2.2.1.2

परिशिष्ट 23

सीबीआर मैट्रिक्स के क्षेत्रों की सेवाएँ और हितधारक

स्वास्थ्य	शिक्षा	कार्य	सामाजिक	सशक्तिकरण
प्रोन्नयन	शैशवास्था	कौशल विकास	व्यक्तिगत सहायता	पक्ष–पोषण और संप्रेषण
बचाव	प्राथमिक	स्व–नियोजन	संबंध (रिश्ते), विवाह और परिवार	समुदाय को लामबंद करना
चिकित्सकीय देखरेख	माध्यमिक एवं उच्च	सवैतनिक नियोजन	संस्कृति एवं कलाएँ	राजनैतिक सहभागिता
पुनर्वास	अनौपचारिक	वित्तीय सेवाएँ	मनोरंजन, विश्राम और खेलकूद	स्व–सहायता समूह
सहायक उपकरण	जीवन पर्यन्त ज्ञानार्जन	सामाजिक सुरक्षा	न्याय	दिव्यांगजन संगठन

सोमवार प्रातः चौथा सप्ताह : *आईसीडी 4.1.1.2*

भारतीय पुनर्वास परिषद्

भारतीय पुनर्वास परिषद्

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
भारत सरकार
बी–22, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली–110016
टेलि फोनः **+91-11-26532408, 26534287**; फैक्सः **+91-11-26534291**
ई–मेलः **rci-depwd@gov.in**
वेबसाईटः **www.rehabcouncil.nic.in**

समुदाय आधारित समावेशी विकास (सीबीआईडी)